"उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक अध्ययन"

(Impact of Ujjwala Yojan on Rural Women: A Study of Selected Panchayats of Lucknow District)

लघु शोध प्रबन्ध

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी

(एम0 फिल0)

शोधार्थी

मन्जू सिंह

नामांकन सं0—505 / 17

शोध निर्देशक

डा0 जया श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ,उ0प्र0

2019

Scanned by CamScanner

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय
विद्याविहार,रायबरेली रोड,लखनऊ –226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)-NAAC'A'Grade
Vidya vihar,Rae Bareli Road, Lucknow -226025

CERTIFICATE

This is certify that M.Phil.Dissertation titled "उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक अध्ययन (Impact of Ujjwala Yojana on Rural Women. A Study of Selected Panchayats of Lucknow District)" submitted by Ms. Manju singh is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other University.

The M.Phil Dissertation submitted to **Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow,** satisfies all the requirements as stipulated in the ***Master of philosophy (M.Phil.)*** *Regulations, 2015* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy of the University.

Jaya S.

(Supervisor)

Date 27/06/2019

Head of Department

Scanned by CamScanner

घोषणा पत्र

मैं मन्जू सिंह यह घोषणा करती हूँ कि मैंने **"उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक अध्ययन"** विषय पर शोध कार्य डा0 जया श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया हैं। एम0फिल0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध मेरा मौलिक कार्य हैं। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय में एम0 फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार सन्शोधन कर लिया गया हैं।

दिनांक – 27/06/2019

शोधार्थी

Manjusingh

मन्जू सिंह

समाजशास्त्र विभाग,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय

लखनऊ

Scanned by CamScanner

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबंध **'उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक अध्ययन'** विषय पर शोध करने का उद्देश्य लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की ग्रामीण क्षेत्र की उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिलाओं पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव का पता लगाना है। मेरे शोध कार्य में आदणीय गुरूजन, परम पूज्य माता–पिता, भाई व इष्ट मित्रों का साझा योगदान व सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैंने इन सबके प्रति कृतहीनता व्यक्त कर ऋण मुक्त नहीं होना चाहती हूं लेकिन आभार प्रस्तुत करने की परम्परा को त्याग कर मैं चली आ रही इस परम्परा का अनादर भी नहीं कर सकती।

मैं इस शोध कार्य व विषय चयन के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाली परम श्रद्धेय डॉ0 जया श्रीवास्तव की सदैव ही आभारी रहूंगी, जिनके कुशल निर्देशन में मेरी शोधयात्रा बिना किसी व्यवधान के अनवरत चलती रही। आपके विद्धतपूर्ण मार्गदर्शन व स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकती हूं। आपकी अति व्यवस्तताओं के बावजूद भी हर कठिन परिस्थितियों में मुझे आपने सही रास्ता दिखाया, मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी।

आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रो0 वीरेन्द्र कुमार दुबे, डॉ0 जया श्रीवास्तवा, डॉ0 बृजेश कुमार, प्रो0 मनीष कुमार वर्मा, प्रो0 विभूति भूषण मलिक,एवं प्रो0 कामेश्वर चौधरी आदि का समय–समय पर प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन व आपेक्षित सहयोग तथा बहुमूल्य परामर्श मिला, जिसके लिये आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

मैं परम–पूज्य माता श्रीमती आर. आर. देवी, पूज्यनीय पिता श्री एच. एन. सिंह एवम् मेरी आदरणीय निर्देशिका डा0 जया श्रीवास्तव मैम, अपने भाई–भाभी एवम् मित्रों का ह्रदय से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने बिना किसी शर्त व बिना

Scanned by CamScanner

स्वार्थ के मेरा सहयोग किया और मेरे विश्वास एवम् आत्मबल को विचलित होने नहीं दिया।

तथ्यों का संकलन करने हेतु गौतम बुद्ध केन्द्रीय पुस्तकालय बी. बी. ए. यू. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होने इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु सहयोग प्रदान किया।

अतः सभी गुरूजनो व मित्रों एवम् सगे संबंधियों के प्रति पुनः श्रद्धा भाव प्रकट करती हूं जिनके असीम सहयोग एवम् आर्शीवाद में मैं इस शोध कार्य को पूर्ण कर पायी हूँ।

Manju Singh
शोधार्थी

Scanned by CamScanner

विषय–सूची

प्रमाण–पत्र		i
उद्घोषणा		ii
आभार		iii
ताालिका–सूची		iv

क्रम सं0	अध्यायों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रथम अध्याय**	1–21
	1.1 प्रस्तावना	1–2
	1.2 ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थितिः एक सिंहावलोकन	2–10
	1.21 भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति	2–5
	1.22 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति	5–7
	1.23 लखनऊ में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति	8–9
	1.24 चयनित पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति	9–10
	1.3 अध्ययन का तर्काधार	10–11
	1.4 उज्ज्वला योजना : एक संक्षिप्त विवरण	11–14
	1.5 अध्ययन की शोध प्रविधि	14–19
	1.51 उद्देश्य	14
	1.52 परिकल्पना	15
	1.53 अध्ययन का क्षेत्र एंव निदर्शन	15–19
	1.54 शोध प्रविधि	19
	1.55 तथ्य संकलन के उपकरण	19–20
	1.56 संकलित आंकडों का सम्पादन,वर्गीकरण एंव व्याख्या की प्रविधि	20
	1.57 अध्यायों की संरचना	21

2.	**द्वितीय अध्याय** 2.1 साहित्य की समीक्षा एंव अवधारणात्मक पृष्ठभूमि	22—28
3.	**तृतीय अध्याय** 3.1 उज्ज्वला योजनाः एक परिचय 3.2 भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति 3.21 समाजिक— आर्थिक प्रस्थिति 3.22 शैक्षणिक प्रस्थिति 3.2.3 स्वास्थ्य प्रस्थिति 3.2.4 राजनैतिक प्रस्थिति 3.3 भारत में एल.पी.जी का वितरण 3.4 भारत में ग्रामीण क्षेत्र में एल.पी.जी का आधार या पृष्ठभूमि 3.5 वर्तमान समय में एल.पी.जी उज्ज्वला योजना की स्थिति	29—53 29—42 42—50 43—45 45—46 47—48 48—49 49—50 51—52 53
4.	**चतुर्थ अध्याय** 4.1 उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक आनुभविक विश्लेषण	54—84
5.	**पंचम अध्याय** 5.1 उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों का वैयक्तिक अध्ययन(Case Study)	85—92
6.	**पष्ठम् अध्याय** 6.1 निष्कर्ष एंव सुझाव	93—98
7.	सन्दर्भ सूची	99—102
8.	प्रश्नावली	103—108
9.	परिशिष्ट	i - viii

अध्याय प्रथम

1.1 प्रस्तावना

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार, "किसी समाज की महिलाओं की प्रगति पर ही उस समाज की प्रगति का अंदाजा लगाया जाता है अपना समाज तो अभी प्रगति पथ पर है।" (पाण्डेय अनुराधा, 2010)

आज के आधुनिक युग में सम्पूर्ण विश्व प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रतिदिन नई–नई तकनीकी का विकास मानव जीवन को सुविधा सम्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान 21 वीं शताब्दी में भी समाज की आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी समाज की मुख्य धारा में नही आ पाया हैं। विश्व के लगभग 38 प्रतिशत आबादी खाना पकाने के लिए अब भी पारम्परिक चूल्हों का प्रयोग करती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन बनाने से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण घर के अन्दर के वातावरण को ही नहीं बल्कि घर के बाहर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। साथ ही अनेक पूर्व के शोधों से हमें ज्ञात हैं कि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण एंव शहरीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग में तीव्रता से वृद्धि हुई हैं। जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व पर्यावरणीय संकट एंव मौसम परिवर्तन से जूझ रहा हैं। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन का चयन किया ।

आजादी के 70 वर्षों बाद भारत में आज भी लगभग 12.1 करोड़ परिवार (जनगणना, 2011 के अनुसार) अब भी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं। भारत में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं हैं। हमारे देश में आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों तथा कस्बों की तुलना में बहुत कम L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) कनेक्शन उपलब्ध है। अधिकतर ग्रामीण परिवार प्रमुखतः गरीब परिवारों में भोजन बनाने के लिए गोबर, उपले, लकड़ी तथा कृषि अवशिष्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। विश्व

स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट (WHO 2009) के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 5 लाख मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओं के विकास तथा स्वास्थ्य,पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2030 तक सस्ती एवं विश्वसनीय स्वच्छ आधुनिक ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य के संकल्प के साथ समाज की गरीब ग्रामीण महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्हें स्वस्थ तथा स्वालम्बनपूर्ण जीवन प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) के समान वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वच्छ L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिये बनाये गये इस कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव को जानने से पूर्व हमें भारतीय महिलाओं की समाज में प्रस्थिति के विषय में पहले समझना होगा ।

किसी भी समाज की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के लिये उस समाज के सामाजिक, संस्कृतिक ,राजनैतिक तथा आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अतः हमें सबसे पहले भारतीय समाज में महिलाओं की वास्तविक प्रस्थिति को जानना होगा।

1.2 ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति : एक सिंहावलोकन

1.21 भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति

भारत में अधिकांश जनता नगरों की अपेक्षा गांवों में निवास करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीणों को मुख्य व्यवसाय है। इस व्यवसाय में महिला और पुरूष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु महिलाओं के कृषि कार्यों को उत्पादक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। महिलाएं कृषि कार्य, गृहकार्य , कढ़ाई, बुनाई बच्चों के पालन पोषण, उद्योग एवं अन्य कार्य करती है। अतः ग्रामीण महिलाओं का योगदान बहुआयामी है। गृहणी तथा माता के रूप में वे घर परिवार को सम्भालती है। पानी भर कर लाती है। चूल्हा जलाने हेतु ईंधन (टहनी, सूखे पत्ते इत्यादि) बटोरती

है। सबके लिए भोजन बनाती है। घर में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें स्वयं महिलाएं ही करती हैं। घरेलू पशुओं की देखभाल, कृषि कार्यों में सहयोग आदि। **(उपाध्याय सौरभ, 2011)**

परन्तु फिर भी भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर विराधाभासी विचारधारायें हैं। भारत में एक ओर तो महिलाओं की पूजा की जाती है। उन्हें देवी का अवतार माना जाता है। उनके आर्शीवाद के बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर समाज में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या मे वृद्धि होती जा रही है। अनेक केसों में अपराध करने वाला उनके अपने संबंधियों या परिचितों में से ही होता है।

भारतीय समाज में पित्तसत्ता के मानदण्ड इतने अधिक गहरे हैं कि भारतीय समाज को इस पहेली से निकालना कठिन है। जब भारतीय परिवारों में एक लड़की का जन्म होता है। तो परिवार में उसका स्वागत नहीं किया जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में बेटा ही सम्पत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी होता है। दूसरी तरफ बेटी परिवार के लिए धन को खर्च कराने वाली होती है। तथा शादी के बाद वह ससुराल चली जायेगी। **(दास गुप्ता, 1976)**

जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 58.75 प्रतिशत है जबकि पुरूषों की साक्षरता दर 78.57 प्रतिशत है। इसका नकारात्मक पहलू है कि परिवार लड़कियों तथा अधिकतर ग्रामीण इलाकों में जिन लड़कियों के माता–पिता दोनों काम करते हैं उनके ऊपर अपने छोटे–छोटे भाई–बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। भारत में 62.70 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देती हैं। **(सांख्यिकी सर्वेक्षण, वर्ष 2014)**प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होने के बावजूद भी माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं हैं। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिए जाने के बाद भी यह वास्तविक रूप से लड़कियों को स्कूल तक लाने में सफल नहीं हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता है। यह

निर्णय उनके घर के वृद्धजनों द्वारा किया जाता है तथा उनका विवाह उनके ही जाति में करवा दिया जाता है। **(भटटाचार्य अरून्धती,2013)**

अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को इन सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर इन रूढ़िवादी विचारों से मुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गरीबी के साथ–साथ शैक्षिक स्तर पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अधिकांश महिलाओं के शिक्षित न होने के कारण उन्हें समाज में महिलाओं के संरक्षण तथा विकास के लिए बनने वाले कानून प्रावधानों व योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। ग्रामीण महिलाएं आज भी समाज में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही है। इसमें सभी वर्गों की महिलाएं अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं आती हैं। वहीं बड़ी संख्या में यह वर्ग आज भी समाज में गरीबी व विभेदीकरण का दंश झेल रहा है ।

कोई समुदाय कोई ''देश और अंततः समूचा विश्व उसी अनुपात में मजबूत होता है जिस अनुपात में उनके यहां रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है।'' मिशेल ओबामा के यह उद्‌गार महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व को सरल सटीक शब्दों में रेखांकित करते हैं। हैं। महिलाएं हमारे परिवार, समाज तथा अंततः देश की जड़ों की तरह होती है। भारत में ज्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पोषण में कमी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है तथा हर दूसरी महिला एनीमिया(रक्त की कमी) से पीड़ित है। **(कुरूक्षेत्र जनवरी, 2018)**

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति, उसके सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। एक सामान्य जीवन जीने में महिलाओं को बहुत सीह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण एशिया में कुपोषण की समस्या विशेष रूप से है। इसकी जड़ में स्त्री और पुरूष में असमानता है। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति अधिक खराब है। सम्पूर्ण विश्व में 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया है। जिसमें से 120 मिलियन महिलाएं विकासशील देशों की हैं। दक्षिण एशिया में 60 प्रतिशत

महिलाओं का वजन कम है। जिसमें से किशोरियां अधिक हैं। कुपोषण का प्रमुख कारण कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ की प्राप्त मात्रा का न मिल पाना है। गरीबी तथा सामाजिक स्थिति करोड़ों महिलाओं तथा किशोरियों के खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। भारत में मातृत्व मृत्युदर अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। विकासशील देशों की कुल मातृत्व मृत्युदर में 20 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। (Kawalya& Monaharam,2017)

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2018 की रिपोर्ट जारी की है। विश्वभर मे प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्युओं का आकलन करने वाली रिपोर्ट के अनुसार 2016 में पूरे विश्व में वायु प्रदूषण की वजह से 60 लाख लोगों की असमय मृत्यु हुई है। इसमें से आधे से अधिक चीन तथा भारत में हैं।सबसे गरीब समुदाय के लोग इसमें ज्यादा शामिल हैं। भारत में घरेलू वायु प्रदूषण का सामना करने वालों की संख्या 2016 में 56 करोड़ थी जोकि विश्व में अधिक है। भारत में बायोमास को घर में जलने की प्रक्रिया कुल व्याप्त पी0एम0 2.5 स्तर के लगभग 24 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है तथा भारत में प्रदूषण से होने वाली कुल मृत्युओं में घरों के अन्दर मौजूद Indoor Air Pollution के कारण 25 प्रतिशत मृत्यु होती है। घरेलू वायु प्रदूषण दुनिया भर में लगभग 26 लाख मौतों के लिए उत्तरदायी है। **(क्रॉर्निकल जून, 2018)** महिलाओं का स्वास्थ्य वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के अतिरिक्त अस्वच्छता के कारण भी प्रभावित होता है। घरों में खाना बनाने वाले जैव ईंधन (लकड़ी गोबर के उपले, कृषि अवशिष्ट) आदि में जलने से उत्पन्न धुंए के सम्पर्क में तीन घण्टे से अधिक रहने का अर्थ 20 पैक सिगरेट 1 पीने के बराबर है। जो महिलाएं तीन घण्टे से अधिक समय तक चूल्हे व धुंए के सम्पर्क में रहती हैं उन महिलाअ की आंखों की समस्या, श्वसन संबंधी समस्याओं के साथ–साथ खांसी तथा फेफड़ों का कर्क रोग (Lung Cancer) होने की सम्भावना रहती है। (Chandra, 2011**)**

1.22 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ (जनगणना 2011) के अनुसार है। आबादी की दृष्टि से

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल, 71 जिले तथा 1,07,452 गांव हैं। उत्तर प्रदेश की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है। अर्थात उनका जीवन स्तर तथा प्रतिव्यक्ति आय निम्न है। तेन्दुलकर कमेटी रिपोर्ट (2012) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 598.19 लाख जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। जिसमें से 30.40 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। **(तेन्दुलकर कमेटी रिपोर्ट, 2012)**

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित है, उत्तर प्रदेश में विशाल असमानता और धन का असमान वितरण है। इस असमानता के प्रमुख कारणों में जाति व्यवस्था है। जो अन्याय को बढ़ावा देती है। कमजोर व शोषित वर्ग को और संसाधन हीन बनाता है। उत्तर प्रदेश में लिंग, जाति और धन संसाधनों के वितरण के मामले में क्षेत्राधारित असमानताएं हैं। विषंमागी जनसंख्या जो विभिन्न जाति और सामाजिक समूहों के होते हैं उत्तर प्रदेश के गांवों में निवास करते हैं। गांवों में कुछ उच्च जातियां जोकि एक विशिष्ट जाति, विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक चरित्र के साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दलित विशेष रूप से वंचित समूह है, जाति व्यवस्था, अस्पृथ्यता, जमीदारी व्यवस्था आदि के द्वारा दलितों या अछूतों की दिक्कत चाहे, वे पुरूष महिला हो शताब्दियों से अधीनस्थ नागरिक बने हैं। दलित महिलाओं की स्थिति और भी गम्भीर है। महिलाओं की इस हानिकारक स्थिति का कारण आन्दोलन और गतिविधि की आजादी पर अत्यधिक सामाजिक प्रतिबंध है। महिलाओं को सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से दबा दिया जाता है। वे घर के आंगन तक ही सीमित है। घर के भीतर भी उन पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। शिक्षा में कम महिला भागीदारी महिलाओं की इस सामान्य पद्धति का एक पहलू है जो बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क का एक प्रमुख कारक है। महिलाओं को शिक्षा व सूचना प्राप्त करने के कम अवसर परिवार व समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। जड़ता का एक पहलू जो उत्तर प्रदेश में धीमी गति से सामाजिक व आर्थिक प्रगति के कारण है वह कारण है राज्य की उदासीनता एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। नागरिक समाज की जाति, वर्ग और लिंग संबंधों के दमनकारी प्रतिमानों को चुनौती देने की विफलता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18 प्रतिशत है।

तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर 48.48 प्रतिशत है, जोकि निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसकी गहरी जड़ें सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक मजबूत पितृसत्तात्मक समाज, लैंगिक असमानता और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा आर्थिक स्थिति को प्रभावित करना जारी रखती है। संवैधानिक प्रावधानों और 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया गया परन्तु यह भी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक सहायक नहीं हो सकी। संवैधानिक रूप से शक्ति प्राप्त होने के बाद भी व्यवहारिक रूप में शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वास्तविक रूप से शक्ति उसके पति या परिवार के पुरूष सदस्य के हाथों में होती है। जो मुख्य रूप से समाज में अन्तरनिहित कुछ रूढ़िवादी विश्वासों के कारण होता है। लड़कियां किसी और की सम्पत्ति है इसलिए उन्हें घर के कामों के लिए घर के अन्दर रहना चाहिए, लड़कों को पितृसत्तात्मक मूल्यों की वजह से महत्व दिया जाता है क्योंकि वो बुढ़ापे के लिए बीमा के रूप में माना जाता है। भ्रूण हत्या, भोजन व पोषण में भेदभाव होता है जो प्राकृतिक लिंग अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरूषों पर 912 महिलाएं हैं। जोकि देश के 940 की तुलना में कम है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण महिलायें अपने स्वास्थ्य तथा शारीरिक आदि निर्णय लेने में अक्षम होती है। विवाह आदि के मामलों में महिलाओं से राय नहीं ली जाती है। जिसके परिणाम जल्दी मातृत्व, गर्भधारण तथा परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच की कमी, एक महिला के स्वास्थ्य यहां तक की उसकी जीवन प्रत्याशा को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पूर्व हो जाती है। सम्पत्ति की पहुंच में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में महिलायें बहुत पीछे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला औसतन 5 से 6 घंटे लकड़ी, चारा व पीने के पानी के लिए खर्च करना पड़ता है। महिलायें घर चलाने व परिवार के निर्वाह के लिए काफी योगदान देती है। परन्तु उनके कार्यों को उत्पादक कार्यों में नहीं जोड़ा जाता है। पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास, स्व मूल्य, संचार कौशल आदि जैसे कुछ सहज गुण है जो सामाजिक रूप से दब गये हैं और स्त्रियों को बढ़ने नहीं देते हैं।

1.23 लखनऊ जिले में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जिले की कुल जनसंख्या 4,58,9,838 लाख है जिसमें से 21,95,362 लाख महिलायें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ जिले का 5 वां स्थान है, लखनऊ जिले में 66.2 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। लखनऊ जिला लिंग अनुपात में 24 वें स्थान पर है जो उत्तर प्रदेश के प्रति हजार पुरूष पर 912 महिलाओं की तुलना में अधिक है। लखनऊ जिले का जनसंख्या धनत्व 1.816 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जोकि उत्तर प्रदेश की औसत से अधिक है। लखनऊ जिले में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों शिक्षा, साक्षरता तथा लिंग अनुपात में उच्च स्थिति हैं।(District Census Handbook,Series-10Part-XIIB,2011)

वर्तमान समय में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी आम लोगों के बीच महिलाओं के संबंध में जो धारणाएं है कि बहुत अधिक सामाजिक रूप से पुरूषों पर आश्रित रहने वाली है यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं की पहचान एक व्यक्ति के रूप में नहीं है अर्थात् उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। सामान्यता उसकी पहचान पुरूषों के साथ एक पुत्री, एक पत्नी, एक बहन और मां के रूप में की जाती है। अर्थात् एक अधीनस्थ प्रस्थिति के रूप में होती है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात में अन्तर है। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात 923(जनगणना, 2011) है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रति हजार पुरूषों पर 906 महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक विषमता अधिक देखी जाती है। ग्रामीण लोगों का यह मानना है कि यह बेटा, न कि बेटी जो अपने परिवार के नाम और सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। बेटे ही हैं जो कि बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करेंगे, जिससे वे महिलाओं पर कम तथा पुरूषों की देखभाल पर अधिक निवेश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों में बहू मुख्य कार्यकर्ता होती है। वेा घर में साफ–सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना तथा घर के बुजुर्गों की देखभाल के अतिरिक्त घर के बाहर के काम भी करती है तथा कामकाजी महिला अपने पति के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी होती है। बालिकाओं का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि वे अपनी ससुराल में उनके अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को ढाल कर एक

अच्छी माता, पत्नी व बहू बनकर दूसरे के अधिनायकत्व में काम कर सके। महिलाओं को सदैव पुरूषों की तुलना में कमजोर या अबला दर्शाया जाता है। जिससे परिणाम रूवरूप सुरक्षात्मक और अनिच्छा से महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं।

ग्रामीण समाज में औरत को परिवार व पति की ओर से बहुत कम स्वायत्ता प्राप्त होती है अर्थात उन्हें अपने परिवार व पति के इच्छानुसार ही कार्य करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश 'स्वास्थ्य सर्वेक्षण.2012–13' के अनुसार लखनऊ जिले में 4.5 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7.6 प्रतिशत लड़कियों तथा शहरी क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है।

ग्रामीण परिवारों में महिलाएं गरीबों से भी गरीब हैं। उनके परिवार में उनके पति की तुलना में सम्पत्ति व आर्थिक अधिकार कम होते हैं और यदि दूसरे अन्य तथ्यों को देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि महिलायें पुरूषों से शिक्षा व साक्षरता के स्तर पर पीछे है। लखनऊ जिले में 8.6 प्रतिशत बच्चे 6.17 वर्ष के बीच स्कूल छोड़ देते हैं जिसमें से 9.9 ग्रामीण इलाके के बच्चे, इनमें से 8.8 ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां बीचे में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मापदण्डों के कारण महिलाओं व बालिकाओं को समाज में उनकी सीमाओं के व्यापक करने के लिए कम अवसर मिलते हैं। **(वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012–13)**

1.24 चयनित पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति

महिलायें किसी भी परिवार का केन्द्र बिन्दु होती है। इस लिए महिलाओं की भूमिका परिवार में महत्वपूर्ण होती है। इन पंचायतों की अधिकतर महिलायें मध्यम व निम्न वर्ग से है। वे आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर है। इस क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की तुलना में निम्न या कम है। महिलायें गृहकार्य जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, सिलाई, बुनाई, दूध दूहना, खाने बनाने के लिए गोबर के उपले बनाना आदि कार्य करती है। इसके अतिरिक्त कुछ निम्न वर्ग की महिलायें खेतों में कार्य भी करती हैं चूकि भारत एक पुरूष प्रधान, पितृसत्तात्मक समाज है। यह सदियों से ही पुरूषों की तुलना में महिलाओं को निम्न स्थान प्राप्त है तथा उनकी दुनिया

केवल चारदीवारी के भीतर ही सीमित कर दी जाती है। कमोवेश यही स्थिति इस क्षेत्र की महिलाओं की भी है। इन चयनित पंचायतों में अधिकतर परिवारों में महिलाओं की स्थिति पुरूषों से निम्न स्तर की है।

सामाजिक तथा आर्थिक निर्णय लेने में पुरूषों का ही अधिपत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार चयनित पंचायतों की कुल जनसंख्या 11.577 हजार है। इसमें से 46.06 प्रतिशत महिलायें हैं। महिलाओं की साक्षरता दर 67.47 प्रतिशत है। परन्तु यह पुरूषों की साक्षरता दर से कम है। **(जनगणना ,2011)**

1.3 अध्ययन का तर्काधार

एक विकसित राष्ट्र उसके सबल नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अगर नारी स्वस्थ तथा सशक्त हो तो उस देश का भविष्य (बच्चे) उन्नत होगा। भारत जैसे देश विकासशील देश में जहां देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है।

प्राचीन काल से ही ग्रामीण इलाकों में महिलायें चूल्हे पर भोजन बनाती आई हैं। आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा घर आज भी भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले, लकड़ी, गोबर के उपले इत्यादि का प्रयोग करती है। जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है जो कि वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करता है। जिससे महिलाओं तथा बच्चों को स्वास्थ संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पडता हैं प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख मृत्यु सिर्फ अशुद्ध ईंधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोगों से हुई है। कम उम्र के लोगों की मृत्यु भी इसमें शामिल है। जिसके अन्तर्गत हृदय सम्बंधित स्ट्रोक आदि बड़े कारण हैं। इस योजना की सहायता से इन समस्याओं का निवारण होगा।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महिला भोजन बनाते समय प्रत्येक घण्टे में 40 सिगरेट के बराबर धुएं का प्रभाव पड़ता है। जिससे उनकी आंखों में जलन तथा श्वसन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी

देश को विकास के पथ पर प्रगतिशील होने के लिए उस देश के ग्रामीण क्षेत्र तथा परिवारों का कल्याण किया जाये तथा देश के सभी नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन प्रदान किये जाये । इन सभी समस्याओं से महिलाओं को मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया हैं। अतः शोधकर्ता उपरोक्त योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव का विश्लेषण करना चाहती हैं जिसके माध्यम से यह पता लगाना चाहती हैं कि क्या उज्ज्वला योजना के कारण ग्रामीण महिलाओं को उपरोक्त समस्याओं से मुक्ति मिली हैं या इन समस्याओं की तीव्रता में कमी आई हैं।

1.4 प्रधानमंत्री उज्ज्वलवा योजना :एक संक्षिप्त विवरण

भारत में रसोई ईंधन की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारम्भ किया गया है। यह योजना धुआंरहित ग्रामीण भारत के सपने को साकार करने की ओर एक सशक्त कदम है। जिसका मूलमंत्र है– **स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन।**

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एल. पी. जी. कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करायेगी।

इस योजना का प्रारम्भ 01 मई, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले से किया गया था यह योजना पहले चरण में सात राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखण्ड, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में लागू की गई है। अगले तीन वर्षों में इस योजना को सम्पूर्ण भारत में लागू करने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत 3 साल में 5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) परिवारों को मुफ्त में एल. पी. जी. कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने का लक्ष्य हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ एल. पी. जी. गैस कनेक्शन वितरित किये जायेगे।

इस योजना का सम्पूर्ण कार्यभार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। यह पहली कल्याणकारी योजना है जो कि प्राकृतिक गैस एवम पेट्रोलियम मंत्रालय

द्वारा संचालित की जा रही है। आर्थिक मामलो ं की कबिनेट कमेटी ने इस योजना को साल 2016 में मंजूर किया था। इस कमेंटी के सदस्य प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी है। इस योजना की कार्यावधि तीन वित्तीय वर्ष की हैं। यह 2016–1017 से लेकर 2018–2019 के बीच इस योजना के सभी उद्देश्यो को पूरा करने का सरकार का लक्ष्य था परन्तु इस योजना की सफलता देखते हुये अब इसे 2020 तक बडा दिया गया है।

प्रथम चरण में 2016–2017 वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड BPL(गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हैं।

इस योजना का लक्ष्य गरीब महिलाओं को बेहतर जीवन तथा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण उनके स्वास्थ की रक्षा तथा स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

उज्ज्वला योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

- ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ की रक्षा करना तथा उन्हें एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना, जिससे उन्हें स्वास्थ सम्बन्धित समस्याओं से बचाया जा सके।
- अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना एवम् शुद्ध ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देना है। जिससे की पर्यावरण में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण को रोका जा सके तथा पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
- इस योजना के अन्तर्गत एल. पी. जी. गैस आपूर्ति चेन का निर्माण होगा जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उज्ज्वला योजना का बजट और वित्त पोषण

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कुल 8000 करोड़ रूपये का बजट बनाया गया है। जो कि 3 वित्तीय वर्षों के लिए है।

प्रथम वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए 2000 करोड़ रूपए के बजट की घोषणा की है।

पहले वित्तीय वर्ष 2016–2017 में सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक 1.5 करोड़ एल. पी. जी. कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

इस योजना में खर्च होने वाला पैसा एल. पी. जी. सब्सिडी में बचाये गए पैसों से होगा। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किए **'' गिव–इट अप''** अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) ने देश के नागरिकों से एल. पी.जी. सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को स्वीकारते हुए बहुत बड़ी संख्या लगभग 1.13 करोड़ लोगों ने एल. पी.जी. सब्सिडी छोड़ी। वे लोग अब बाजार मूल्य पर एल. पी. जी. खरीद रहे हैं। इस अभियान के द्वारा हजारों करोड़ रूपए की सरकार को बचत हो चुकी है। इन बचे रूपयों का उपयोग उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत किया जायेगां इसके अन्तर्गत बी. पी. एल. (गरीबी रेखा से नीचे) के परिवार की गैस कनेक्शन खरीदने के लिए 1600 रूपये क वित्तीय मदद उपलब्ध करवाई जायेगी।

उज्ज्वला योजना के लिये पात्रता

इस योजना के पात्रता के निम्न मानदण्ड है जो निम्नवत् है।

- उज्ज्वला योजना के लिये आवेदनकर्ता के द्वारा दी गयी समस्त सूचनाओं को SECC-2011 के आकडों के साथ मिलान होने पर ही योजना का पात्र माना जायेगा।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक ही होनी चाहिये।
- आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिला ही होनी चाहिये।
- कोई भी पुरूष इस योजना का पात्र नही हो सकता है। चाहे वह BPL परिवार का ही क्यों न हो।

- आवेदनकर्ता के पास गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाणपत्र या राशनकार्ड का होना आवश्यक है।

पात्रों की पहचान

इस योजना में पात्र BPL परिवारो की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना (SECC) के आधार पर की जायेगी। इसके लिये सरकार ने 5 करोड कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने अब इसके बजट को बढाकर 5 से 8 करोड कर दिया है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार ने विभिन्न श्रेणियों को इसमें सम्मिलित किया है।

– सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार

– PMAY के लाभार्थी

– अन्तोदय अन्य योजना (AAY)

– अति पिछडे वर्ग

– चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति

– जो व्यक्ति आइसलैण्ड और नदी द्वीप रहते है

1.5 अध्ययन की शोध प्रविधि

1.51 शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन ग्रामीण महिलाओं पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य उज्ज्वला योजना के विभिन्न पहलुओं यथा कारण, उद्देश्य आवश्यकता, लाभार्थियों की पात्रता आदि की व्याख्या करना।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना हैं।

3. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना हैं।

1.52 शोध परिकल्पना

अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुसंधान के सम्बध में जो कल्पना की जाती हैं। उसी को परिकल्पना कहते है। परिकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते है।

1. उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से लभार्थियों के स्वास्थ्य– सुरक्षा एंव सशक्तीकरण पर केन्द्रित हैं।
2. चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न हैं।
3. चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं के व्यक्गित, पारिवारिक एंव सामाजिक –आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ हैं।

1.53 अध्ययन का क्षेत्र एंव निदर्शन

प्रस्तावित शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में लखनऊ जिले को चुना गया है। इसके अन्तर्गत लखनऊ जिले के काकोरी ब्लॉक की सरोसा–भरोसा तथा सलेमपुर पंचायतों को अध्ययन क्षेत्र लिए चयनित किया गया है।

लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ का क्षेत्रफल 2528.00 वर्गकिलामीटर है इसका विस्तार 26.30–27.10 उत्तरी अक्षांश से 80.30–81.13 पूर्वी देशान्तर तक है यहाँ की कुल जनसंख्या 45,89,838 है जिसमें 23,94476 पुरूष तथा 21,95,362 महिलाएँ है। यहाँ कि कुल साक्षरता दर 77.3 प्रतिशत तथा पुरूष साक्षरता 82.6 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 71.5 प्रतिशत है (जनगणना 2011 वार्षिक रिर्पोट के अनुसार)।

काकोरी ,उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का एक ब्लाक है। जो कि लखनऊ मुख्यालय से 17 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। काकोरी ब्लाक के अर्न्तगत 50 पंचायतें आती है। सरोसा –भरोसा तथा सलेमपुर इन्ही 50 पंचायतें में से है। सरोसा –भरोसा तथा सलेमपुर दोनो ही बडें गॉव है। सरोसा –भरोसा पंचायत की कुल जनसंख्या 5,585 है।जिनमें से 2,468 महिलायें है।तथा इस पंचायत कुल साक्षरता दर 72.74 प्रतिशत् हैं।जिनमें से महिलाओं की साक्षरता दर 62.51 प्रतिशत् है।एवं सलेमपुर पतौरा की कुल जनसंख्या 5,992 है।जिसमें 2,865 महिलायें हैं। इस पंचायत की कुल

साक्षरता दर 67.63 प्रतिशत् हैं।जिनमें से महिलाओं की साक्षरता दर 60.43 प्रतिशत् हैं।(जनगणना 2011)

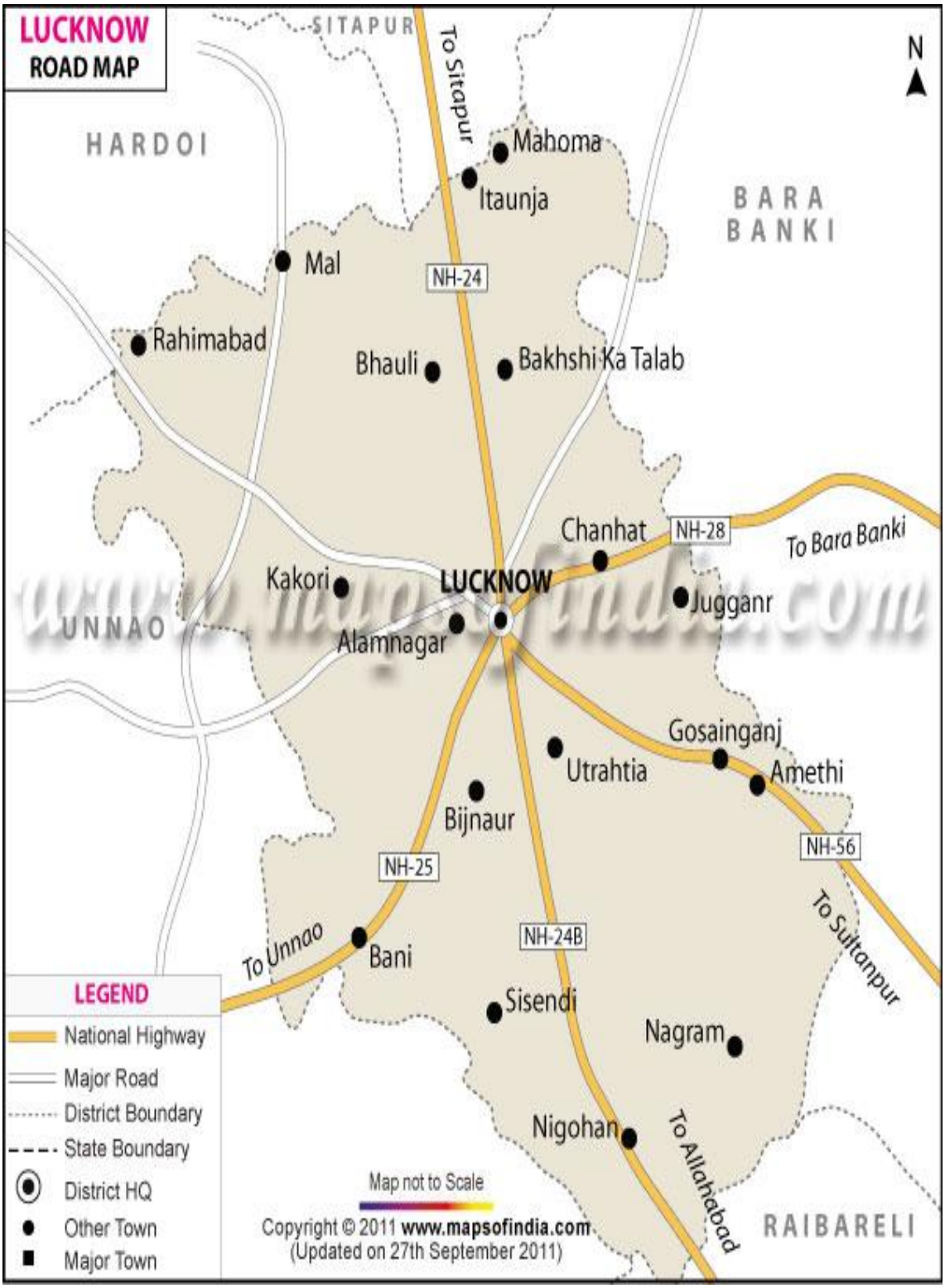

https://www.mapsofindia.com/maps/uttarpradesh/roads/lucknow-road-map.html

काकोरी ब्लाक के सलेमपुर तथा सरोसा –भरोसा पंचायतों का मानचित्र

Source https://www.google.co.in/maps/place/Sarosa+Bharosa+Salempur+Uttar+Pradesh/@26.8

तालिका संख्या–1

सलेमपुर पंचायत की जनसंख्यात्मक स्थिति–वर्ष 2011

Particulars	Total	Male	Female
Total No .of House	1,130	-	-
Population	5,992	3,127	2,865
Child(0-6)	799	388	411
Schedule Caste	1,888	971	917
Schedule Tribe	0	0	0
Literacy	67.63%	74.08%	60.43%
ज्वजंस Workers	1,859	1,533	326
Main Worker	1,091	748,717	-0
Marginl Worker	768	539	229

Source: https://www.census2011.co.in/data/village/143381-salempur-uttar-pradesh.html

तालिका संख्या–2

सरोसा –भरोसा पंचायत की जनसंख्यात्मक स्थिति–वर्ष 2011

Particulars	Total	Male	Female
Total No .of House	831	-	-
Population	5,585	3,117	2,468
Child(0-6)	673	352	321
Schedule Caste	3,358	1,928	1,430
Schedule Tribe	8	5	3
Literacy	72.74%	80.69%	62.51%
Total Workers	1,456	1,207	249
Main Worker	1,162	748,717	0
Marginl Worker	294	199	95

Source: https://www.census2011.co.in/data/village/143435-sarosa-bharosa-uttar-pradesh.htm

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा लखनऊ जनपद को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुनाव गया है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में समग्र के रूप में लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को सम्मिलित किया गया हैं। अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन वैयक्तिक स्तर पर योजना की लाभार्थी महिलाओं का साक्षात्कार किया गया है।

1.54 शोध प्रविधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन व्याख्यात्मक शोध प्रविधि पर आधारित हैं। इसमें काकोरी ब्लॉक के सरोसा–भरोसा तथा सलेमपुर पंचायतो का चयन सुविधापूर्ण निदर्शन द्वारा चयनित किया गया है। उपरोक्त पंचायतों से उज्ज्वला योजना के तहत LPG प्राप्त समस्त आवण्टनकर्ताओं का चयन किया गया है।। तथा आकड़ों के संग्रहण के लिए दैव–निदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा एवं आंकड़ों का विश्लेषण SPSS द्वारा किया गया हैं।

प्रस्तावित शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी प्रतिवेदनों सर्वेक्षण के आंकड़े, प्रतिवेदन, शोध पत्र, शोध आलेख या शोध विषय से संबंधित सामग्री का प्रयोग किया गया हैं। जबकि प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से शोध विषय से संबंधित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं को विश्लेषित किया गया हैं।

1.55 तथ्य संकलन के उपकरण

प्रस्तुत शोध में तथ्यों कें संकलन के लिये सर्वेक्षण तथा अवलोकन विधियों का प्रयोग किया गया है।तथा आकडों **के संकलन हेतु अर्ध संरचित** साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।तथा अकडों के संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। जिसमें उज्ज्वला प्राप्त ग्रामीण महिला लाभार्थीयों **के जीवन पर** योजना के प्रभाव से सम्बंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया हैं।प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार **अनुसूची** के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के

साक्षात्कार द्वारा अध्ययन विषय से सम्बंधित **सूचनाये संकलित करने का प्रयास** किया गया है।साक्षत्कार **अनुसूची** का निर्माण इस प्रकार किया गया है।जिससे शोध अध्ययन से संबधित उपकल्पनाओं की अच्छी तरहसे जाचॅ सम्भव हो सके।लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं से साक्षात्कार के समय वांछित तथ्यों के साथ –साथ सामाजिक जीवन, आर्थिक संरचना, पारिवारिक संरचना आदि संबधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी है।इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से लखनऊ जिले की चयनित पंचायतो के उज्ज्वला योजना प्राप्त लाभार्थीयों से मिलकर वांछित सूचनाओं एंव तथ्यों का संकलन किया गया हैं।

1.56 संकलित आंकडों का सम्पादन, वर्गीकरण एंव व्याख्या की प्रविधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर संपादन प्रक्रिया के माध्यम से यह ज्ञात किया जायेगा कि समस्त सूचना संकलित कर ली गई है। संकलित एवं सम्पादित सूचना का वर्गीकरण कर के इन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा, समस्त संकलित सूचना का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात् इसका विश्लेषण सांख्यकीय व तार्किक आधार पर किया जायेगा। आंकड़ों के सांखकीय विश्लेषण करने के लिए (SPSS) का प्रयोग किया जायेगा। आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विवरणात्मक रूप से प्रतिवेदन आलेख तथा अध्ययन की प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

1.57 अध्यायों की संरचना

प्रस्तुत शोध 6 अध्यायों में विभाजित है जो निम्नवत् हैः–

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना तथा ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति का सिंहावलोकन,भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति और चयनित पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति, उज्ज्वला योजना के अध्ययन का तर्काधार, उज्ज्वला योजना का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन की शोध प्रविधि, उद्देश्य, प्राक्कल्पना एवं अध्यायों की संरचना उल्लेखित है।

द्वितीय अध्याय में विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा एंव अवधारणात्मक पृष्ठभूमि उल्लेखित की गयी है।

तृतीय अध्याय उज्ज्वला योजना का परिचयात्मक विवरण तथा भारत में वर्तमान समय में महिलाओं की वास्तविक प्रस्थिति एवम् भारत में एल .पी.जी वितरण की स्थिति का विश्लेषण किया गया हैं

चतुर्थ अध्याय का शीर्षक उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक आनुभविक विश्लेषण हैं।

पंचम अध्याय में उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है।

षष्ठम् अध्याय में निष्कर्ष एवं सुझाव की व्याख्या की गयी है।

द्वितीय अध्याय

2.1 साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत साहित्य समीक्षा उज्जवला योजना के ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव से सम्बधित हैं। किसी भी शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उससे सम्बधित शोध पत्रों ,साहित्य का पूर्वावलोकन करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे की शोध कार्य को ठीक ढग से पूर्ण किया जा सके ।

श्यामचरण दुबे (1963)'मैन एण्ड वूमैन रोल इन इण्डिया' प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्यामचरण दुबे ने भारतीय महिलाओं की परिवर्तित होती परिस्थितियों के संबंध में प्रचलित परम्परागत मान्यताएं शैने–शैने परिवर्तित होती जा रही है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के सुअवसर, बढ़ती भौगोलिक तथा व्यवसायिक तथा नयी आर्थिक व्यवस्था प्रारम्भ होना ही इस प्रवृत्ति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

मीरा देसाई (1957) "वूमेन इन मॉर्डन इण्डिया" में बताया है कि महिलाओं ने अपनी लगन और मेहनत से यह सिद्ध किया है कि वो किसी भी स्थिति में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के प्रति बदले इस दृष्टिकोण के बारे में नीरा जी ने लिखा है कि अब महिलाओं को न तो बच्चे जन्म देने की मशीन और न घर की एक नौकरानी ही माना जाता है। उसने एक नया पहचान तथा एक नई सामाजिक महत्ता को प्राप्त कर लिया है।

दीपा माथुर (1997) पुस्तक **''वूमेन फैमिली एण्ड वर्क''** में महिलाओं की घरेलू और कामकाजी दोनो भूमिका के विषय में बताया है कि किस प्रकार कामकाजी महिलायें दोनो भूमिका में समंजस्य बैठा पाती है। इस पुस्तक में उन्होंने विवाह के पूर्व व विवाह के पश्चात् कामकाजी महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

तेज सिंह (2011) के अनुसार भारतीय महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्कार तथा मनुस्मृति है जो कि समाज महिलाओं को ग्रन्थ धर्म व संस्कृति तथा नैतिकता के नाम पर नारी की स्वतंत्रता तथा शिक्षा जैसे मानवीय अधिकारों से वंचित रखते हैं तथा सामाजिक स्तर में उनकी स्थिति को निम्न बनाये रखते हैं।

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव (2013) नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार ' प्रथम, द्वितीय, तृतीय खण्डों में सम्पादित इस ग्रन्थ में महिला सशक्तिकरण के विविध प्रतिरूपों को कई उपशीर्षक में विभाजित किया गया है।

सभी महिलायें ग्रामीण होने के साथ–साथ संयुक्त परिवार में रहने वाली तथा ब्राहमण एवं हिन्दू धर्म की है। ग्रामीण महिलाओं का निम्न शैक्षणिक स्तर, निम्न पारिवारिक स्थिति एवं अधिकतर ग्रामीण महिलायें अपने पति एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर पायी गई हैं।

प्रेम नारायण शर्मा एवं वाणी विनायक (2011) गरीबी तथा उससे महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा है तथा महिला सशक्तिकरण तथा महिला विकास में गरीबी के कारण महिलाओं की समस्या तथा सरकारी प्रयासों के बारे में बताया है।

Kankaria, Nagnakynirih & Gupta (2014) अपने अध्ययन में बताया कि इन्डोर वायु प्रदूषण भारत में होने के साक्ष्य उपस्थित है, जिसके कारण रोगों में वृद्धि से मृत्युदर मेंतीव्र वृद्धि हो रही है। इन्दौर वायु प्रदूषण के असुरक्षित स्तर तक असर को आगे के अध्ययनों की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण से तपैदिक, मोतियाबिन्दु, अस्थमा और कैंसर आदि रोग इन्डोर वायु प्रदुषण के कारण हो रहे हैं। ईंधन के पैटर्न में परिवर्तन करके स्टोव और घरों की उचित डिजाइनिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिवद्ध और निर्धारित अन्तरवैयक्तिक समन्वय की आवश्यकता है।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा (2010) ''महिलाओं के अधिकारों के प्रति चेतना में लिखा है कि महिलाओं को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु एवं उन्हें और अधिक, एवं सजक

बनाने के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। महिलाओं की प्रगति के लिए शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण आर्थिक आजादी, कानून के संबंध में जानकारी महिलाओं को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर अधिकार प्रदान करना इत्यादि आयामों के द्वारा महिलाओं के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को नैतिक एवं सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए योजनायें बनाई गई है जिससे कि वे देश के विकास में पुरूषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना योगदान दें सके।

कविता मिश्रा (2007) ने "Women Status in Modern World An Overview" में बताया कि भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की गति धीमी में, परन्तु यह नियमित प्रक्रिया है। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर वर्तमान समय में महिलाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिला उद्धार के लिए विभिन्न सुधारवादी आन्दोलन ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

अनुच्छेद 16 द्वारा महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। यद्यपि एक राष्ट्रीय रिपोर्ट **'समानता की ओर'** शीर्षक से प्राप्त परिणाम महिलाओं की स्थिति की निराशाजनक तथा हतात्साहित करने वाले हैं। इस रिपोर्ट की एक अच्छी बात यह कि इनमें राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को लेकर पुनः विचार को प्रेरित किया है।

Ministry Of Statistics of Programme Implementation 2011 के विश्लेषण में पाया गया है कि अधिकतर महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। वे एनीमिक तथा कुपोषण की शिकार है। गरीबी तथा जल्दी विवाह कुपोषण तथा स्वास्थ्य की सही देखभाल नहीं हो पाना शिशु व मातृत्व मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। भारत में अधिकांश महिलायें 22 वर्ष की उम्र के पहले मां बन जाती है तथा उनके अपने प्रजनन स्वास्थ्य अधिक नियंत्रण नहीं होता है तथा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता हैं 1/3 बच्चे कम वनज के पैदा होते है।

Eather Duflo, Michael Greenstone and Rema Hana, 2008 के उड़ीसा में सर्वेक्षण जिसमें परम्परागत चूल्हे के प्रयोग तथा उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा गया है। घरेलू वायु प्रदूषण वास्तव में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य खतरे का संकेत है जहां परिवार खाना बनाने के लिए पारम्परिक चूल्हों पर भरोसा करते हैं। वहां श्वसन बिमारी की एक उच्च घटना मिलती है। सर्वेक्षण के 30 दिन पहले सभी व्यस्कों में से एक तिहाई और आधों बच्चों ने श्वसन बिमारी के लक्ष्णों का अनुभव किया, जिसमें 10 प्रतिशत व्यस्क और 20 प्रतिशत बच्चों को गंभीर खासी थी तथा सर्वेक्षण में पाया गया कि स्वच्छ ईंधन के प्रयोग तथा बेहतर श्वसन स्वास्थ्य के बीच एक मजबूत संबंध है। यह सुझाव है कि पारम्परिक स्टोव का उपयोग वास्तव में श्वसन रोग के इनउ च्च स्तर के पीछे एक प्रमुख कारण है। चूकि स्वच्छ ईंधन का प्रयोग अन्य कारकों से संबंधित है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। चूकि स्वच्छ ईंधन का प्रयोग अन्य कारकों से संबंधित है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार अवलोकन संबंधी अध्ययन स्वास्थ्य और कल्याण के अन्य निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य परिणामों पर स्वच्छ स्टोव के इस आधारभूत सर्वेक्षण में निर्धारित क्षेत्र में उसी क्षेत्र के ग्राम के याच्छिक रूप से चुने घरों में परम्परागत चूल्हों में चिमनी के प्रयोग द्वारा घरेलू प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसमें केवल परम्परागत चूल्हे तथा संशोधित चूल्हों पर खाना बनाने के बीच अन्तर तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव को इंगित कर भविष्य के अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है।

Kumari Harishika, Chandra Avinash, Kaushik SC ,2014 खाना पकाने और हीटिंग के लिए ठोस ईंधन का उपयोग घरेलू वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अध्ययन के अनुसार पारम्परिक चूल्हे खाना बनाने में प्रयोग किये गये गोबर के उपले सबसे अधिक CO तथा NOX उत्सर्जित करते हैं। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए बायोमास ईंधन का उपयोग चूल्हे में किया जाना चाहिये। परम्परागत चूल्हे की तुलना में बायोमास से संचालित चूल्हे की थर्मल क्षमता 12 प्रतिशत से 28 प्रतिशत अधिक होती है। इस प्रकार बायोमास का प्रयोग जैवईंधन की रक्षा करेगा। विभिन्न प्रदूषणों में खाने पकाने के चूल्हे के संचालन से वायु प्रदूषण कीनिगरानी और कम प्रदूषणकारी चूल्हे के विकास, जिससे घरेलू वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

Esmen A. Nurtan,1985`The Status of Indoor Air Pollution वायु प्रदूषण हानिकारक रसायनो और अन्य साम्रगियों द्वारा इनडोर वायु गुणवत्ता का क्षरण है।यह बाहरी वायु प्रदूषण से 10 गुना तक अधिक है।।इनडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है दहन ,भवन निर्माण सामग्री और बायोमास ईधन। विकासशील देशों में इनडोर वायु प्रदूषण ,प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देता हैं। प्रस्तुत लेख में शोधकर्ता ने यह बताने का प्रयास किया है।कि ंआज व्यक्ति को बाहर के वातावरण से ज्यादा घर के अन्दर का वातावरण सबसे अधिक प्रभावित कर रहा हैं। क्योंकि घर पर खाना बनाने से होने वाले धुयें के सम्पर्क में आने से महिलाओं व छोटे बच्चे श्वास सम्बधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैंघर के अन्दर लोगो द्वारा किया जाने वाला धुम्रपान घर के अन्दर वायु प्रदूषण फैलाता है। अतः आज यह बहुत आवश्यक हो गया हैं।कि हम अपने घर के अन्दर के वातावरण को स्वच्छ रखे। औंर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें।

Parik Jyoti ,Smith Kirk and Laxmi Vijay, 1999 `Indoor Air Pollution:A Reflection on Gender Bias` प्रस्तुत लेख में शोधकर्ता ने बताया हैं।कि खाना बनाने के पुराने पारंपरिक तरीको द्वारा गॉव की महिलाओं को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पडता हैं क्योंकि खाना बनाने का कार्यभार घर की औरते ही करती हैं। इसलिये उन्हें अंदरुनी संक्रमण फेफडों का कैंसर, टी0 बी0 और भी कई खतरनाक जानलेवा बीमारियों को भी झेलना पडता हैं।यह सब पारम्परिक चूल्हे पर खाना बनाते समय लकडियों द्वारा होने वाले धुयें के कारण होता है। यह जानलेवा धुऑ श्वास के द्वारा अन्दर जाकर महिलाओं व उनके बच्चों को गम्भीर बीमारियों से ग्रासित करता हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिये समय–समय पर अनेक कदम उठाये गये है। तभी हम इस प्रदूषण मुक्त देश के सपने को साकार कर पायेगें।शोधकर्ता कहते हैं कि अब समय आ गया हैं। कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिये गम्भीरता से विचार करना होगा ।

Mazumdar Vina 1979 `Rural Women in India' प्रस्तुत लेख में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया हैं कि गॉव की महिलाओं के जीवन में किस प्रकार बदलाव आ रहा हैं। आज की महिलायें भी रोजगार की तरफ अपने कदम बढा रही है। छोटे

– मोटे स्वरोजगार करके वो अपने परिवार का पालन –पोषण कर रही हैं ।सरकार द्वारा भी इन ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजनायें बनायी जा रही हैं।उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसकी शुरूआत छठी पंचवर्षीय योजनाओं से हुई।जिससे वे भी सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके।

Brendon R Barnes 2005 `Interventions to Reduce Child Exposure to Air Pollution in Developing Countries` प्रस्तुत लेख में लेखक ने घरेलु वायु प्रदूषण जो खाना बनाते समय प्रयोग होने वाली लकडियों,गोबर के उपलों से फैलता हैं।ग्रामीण घरों में उसकें उचित निकासी की व्यवस्था नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप वह दम घोटू धुँआ घर में ही भरा रहता हैं। जो कि बच्चों को श्वास संबधी बिमारियॉ दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के घरों यह देखा गया है कि घर के छोटे बच्चें किसी न किसी श्वास सम्बन्धित बिमारी से पींडित है। इस लेख में लेखक ने तीन तकनीकी विकल्पों पर चर्चा की है। जिन्हें अपना कर हम इस दम घोटू धुँए से बच सकते है। 1 स्वच्छ जलाने के ईधन का प्रयोग। 2 रसोई में सुधार करना। 3 आवास विशेषतों में संशोधन। लेखक के अनुसार इन उपायों को अपनाकर हम अपने घर को धुएँ से मुक्त बना कर अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन शैली दे सकते है।

मजूमदार आर.सी. माधवानन्द स्वामी (1957) ने "ग्रेट वूमेन इन इण्डिया" में स्त्रियों की प्रस्थिति का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक का अपनी पुस्तक में विश्लेषण किया है। जिसमें वैदिक काल में महिलाओं की संतोषजनक स्थिति और मध्यकाल में महिलाओं की दुर्दशा तथा वर्तमान समय में स्त्रियों की प्रगति के विषय में बताया गया है।

जुगल किशोर मिश्रा (2006) ने "Empowerment of women in India" में भारत में महिलाओं के सशाक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुये,महिलाओं के जीवन की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं का वर्णन किया हैं। किस प्रकार प्राचीन काल से ही महिलाओं का हर स्तर पर शोषण किया गया हैं। यह लेख उसी पर

प्रकाश डालता हैं। प्राचीन काल से आज के वर्तमान युग में स्त्रियों की स्थिति में क्या परिर्वतन हुये हैं। उनकी आर्थिक निर्भरता कैसी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति हैं। वर्तमान समय में स्त्रियों का सशाक्तिकरण तीव्रता से हो रहा हैं। परन्तु आज भी ग्रामीण इलाकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हैं, यह लेख इन्ही सब मुद्दों पर चर्चा करते हुये सरकार द्वारा महिलाओं के सशाक्तिकरण के लिये बनायें गये विभिन्न कानूनों व योजनाओं के बारे में बताया गया हैं।

निष्कर्ष

विषय से सम्बन्धित ऊपर वर्णित पुस्तकों तथा शोध पत्रो की समीक्षा से यह पता चलता है। कि वर्तमान समय में भी महिलाओं व बच्चों को घरेलू वायु प्रदूषण के कारण बहुत सी स्वास्थ्य संबधी समस्याओं का सामना करना पडता है।

तृतीय अध्याय

3.1 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

परिचय– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं एवम् बच्चों को स्वच्छ भोजन बनाने का ईंधन (एल.पी.जी.) की सुविधा प्रदान करते हुये उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना जिससे कि वे धुये वाली रसोई के कारण अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें, अथवा ईधन लकडी व जलावन इकट्ठा करने के लिये असुरक्षित क्षेत्रो में भटकना न पडे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया था। इस योजना के अन्तर्गत आगामी 3 वर्ष में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को 5 करोड एल.पी.जी.(Liquefied Petroleum Gas) कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। जिसके अन्तर्गत इन्हें 1600 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करते हुये विशेष रुप से भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम से कनेक्शन दिये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 8000 करोड की धनराशि को आवण्टित किया गया है। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) के परिवारों की पहचान सोशियो इकोनामिक कास्ट सेन्सस डाटा के द्वारा की जायेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देती है। तथा भारतीय उद्योग को 10 हजार करोड व्यापार का लाभ अवश्य प्रदान करती है। इस योजना का शुभारम्भ 'मेक इन इंडिया' इस आन्दोलन से जुडे है– गैस सिलेण्डर या गैस स्टोव रेगुलेटर आदि के निर्माताओं के लिये भी एक महान सहयोगात्मक कदम होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आवश्यकता– भारत में 24 करोड से अधिक परिवारों की निवास करते है। जिनमे लगभग 10 करोड परिवार स्वच्छ ईंधन (एल.पी.जी.) से आज भी वंचित है। भोजन बनाने के प्राथमिक साधन के रुप में अस्वच्छ ईंधन लकडी, उपले, कण्डे आदि का प्रयोग करते है। इस प्रकार के ईंधन लकडी, उपले, कण्डे आदि के जलाने से घरेलू हानिकारक वायु प्रदूषण होता है, जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे श्वसन सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अस्वच्छ ईंधन से निकलने वाला धुये से प्रत्येक महिला पर एक घंटे में 400 सिगरेट के बराबर धुयें का प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त लकडियॉ इकट्ठा करने के लिये महिलाओं बच्चों को अधिक मेहनत व समय की बरबादी करनी होती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्य –प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली घरेलू महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराना है। सरकार ने सम्पूर्ण देश की 5 करोड बी.पी.एल.(गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन) महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2016–2017 के केन्द्रीय बजट में 1.5 बी.पी.एल. घरेलू महिलाओं को 2016–2017 के दौरान रु0 2000 करोड के निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन देने का प्राविधान है।

- महिलाओं का सशक्तिकरण करना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर संकट कारक बीमारियॉ दूर करना, जो कि हरी लकडियों (जीवाश्म ईंधन) से सम्बन्धित है।
- भारत में खाना बनाने में प्रयुक्त अस्वच्छ ईंधन के उपयोग के कारण होने वाली मौतों को कम करना
- अस्वच्छ ईंधन के जलने से होने वाले आन्तरिक वायु प्रदूषण से जनित विशेष प्रकार के गम्भीर श्वसन रोगो से छोटे बच्चों को बचाना तथा रोगो की रोकथाम करना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ निम्नवत है–

- देश के विविध भू–भागों में बी.पी.एल. परिवारो के लिए एल.पी.जी. गैस कनेक्शन वितरण सुनिश्चित करना।
- यह योजना महिलाओं को सशक्त करेगीं और उनके स्वास्थ्य की आरम्भिक दशा में सुधार करेगी।

- इस योजना से परेशानी कम होगी, और खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत होगी और उस बचे हुये समय का उपयोग दूसरे उत्पादक व्यवसायों में लगाया जा सकता है।
- इस योजना से कुकिंग गैस वितरण व्यवस्था में ग्रामीण युवकों को रोजगार भी मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता– केन्द्रीय भारतीय सरकार ने सिलेण्डर और प्रेशर, रेगुलेटर आदि के सिक्योरिटी डिपाजिट के लिए तथा सुरक्षा हौज पाइप के मूल्य के लिए वित्तीय सहायता देती है। डी.जी.सी.सी. बुक, इंस्टालेशन, तथा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के लिए भी एकमुश्त वित्तीय सहायता देती है। एक नए कनेक्शन के लिये सरकार द्वारा 1600 रुपये निर्धारित किये गये है। जिसमे 14.2 किलो का सिलेण्डर सम्मिलित है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता– इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है–

- बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित महिला इस योजना के लिए पात्र होगी।
- पात्र लाभार्थी महिला 18 वर्ष से अधिक आयु की हो तथा स्थायी रुप से भारत की निवासी हो।
- पात्र लाभार्थी महिला के अपने या घर के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एल.पी. जी. कनेक्शन न हो।
- बी.पी.एल. परिवार की घरेलू आय राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्रशासित राज्यों द्वारा निर्धारित मानक से अधिक न हो।
- पात्र लाभार्थी का डाटा, तेल बाजार कम्पनियों सहित बी.पी.एल. डाटा के अनुरुप होना चाहिए जैसाकि एस.ई.सी.सी.–2011 डाटाबेस में वर्णित है।
- पात्र लाभार्थी ने किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के लाभ प्राप्त न किए हों।

एल.पी.जी. के द्वारा होने वाली दुर्घटना के लिए बीमा पॉलिसी– तेल उद्योगो ने 'पब्लिक लाइबेलिटी इंश्योरेन्स पॉलिसी' विकसित की है, इससे सम्बन्धित बीमा

कम्पनिया एल.पी.जी. से सम्बन्धित दुर्घटना के केस में पंजीकृत या प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत पहुॅचाने की सुविधा प्रदान की जा सके। बीमा पॉलिसिया जो तेल विपणन कम्पनी से ली गई है। वे पब्लिक लाइबेलिटी पॉलिसी है, न कि एल.पी.जी. के किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से।

उपर्युक्त बीमा पॉलिसी के किश्त की भुगतान का व्यय वितरको या तेल विपणन कम्पनी के द्वारा वहन किया जाता है, अलग से ग्राहक द्वारा नही किया जाता।

वहन करने की सीमा– पर्सनल ऐक्सीडेन्ट (व्यक्तिगत दुर्घटना) थर्डपार्टी को कवर करता है। और एल.पी.जी. ग्राहक को तथा अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत आवासीय परिसर में सम्पत्ति–क्षति को कवर करता है।

पर्सनल ऐक्सीडेन्ट– रुपये 6,00,000 प्रतिव्यक्ति, प्रतिघटना मृत्युदशा में।

चिकित्सीय व्यय– अधिकतम मुल्य 2,00,000 प्रतिव्यक्ति (30,00,000 रु0 प्रतिघटना तक सीमित)

सम्पत्ति क्षति– अधिकतम मुल्य 2,00,000 प्रतिघटना, (अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत आवास पर)

प्रतिवर्ष का कुलयोग– रु0 10 करोड

भुगतान दावा की प्रक्रिया–

- कोई दुर्घटना, जिसमे उपभोक्ता का एल.पी.जी. संलिप्त हो, जहॉ से उपभोक्ता की आपूर्ति होती हो, उस वितरक को सबसे पहले सूचित करना चाहिए।
- सम्बन्धित वितरक या क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित बीमा कम्पनी के स्थानीय कार्यालय को प्रारम्भिक जॉच के बाद सूचित करेगा, जिससे नियमानुकूल बीमा पॉलिसी के भुगतान की प्रक्रिया के लिए कार्यवाही की जा सके।
- उपभोक्ताओं को बीमा कम्पनी से सीधे सम्पर्क करने या वहॉ आवेदन करने की आवश्यकता नही है।
- उपभोक्ता को आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु की स्थिति में मूल मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु दुर्घटना के जॉच अधिकारी की रिपोर्ट, कानूनी जॉच रिपोर्ट, जो वहॉ लागू हो, घायल होने के मामले में, चिकित्सक का मूल– निदान एवं औषधि (Prescriptions) का पर्चा, दवाइयों की खरीद की पुष्टि हेतु,

ओरिजिनल मेडिकल बिल, ओरिजिनल डिस्चार्ड कार्ड तथा अन्य कोई दस्तावेज जो अस्पताल से सम्बन्धित हो।

सम्पत्ति क्षति के मामले में– बीमा कम्पनी उपभोक्ता के पंजीकृत आवास पर क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अपना सर्वेक्षक नियुक्त करती है।

सूचना– क्लेम (भुगतान) प्रत्येक मामले की मेरिट पर निर्धारित किये जाते है। सम्बन्धित बीमा कम्पनी बीमा पॉलिसी के प्राविधानो के अनुरुप भुगतान के सेटिलमेण्ट के बारे में निर्णय करेगी।

प्रतिबन्ध–

- जिन उपभोक्ताओं का कोई बैंक एकाउण्ट "नेशनल पेमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा या फिर आधार पेमेण्ट ब्रिज" द्वारा या "नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस" द्वारा सूची बद्ध बैंक में नही है उनका भुगतान बाधित होगा।
- वे उपभोक्ता जो एस.ई.सी.सी. डाटा में सूची बद्ध नही है।

एस.ई.सी.सी. डाटा का परिचय– वर्ष 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाउसिंग तथा नगरीय निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में जनगणना का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनमें महापंजीयक कार्यालय तथा भारतीय जनगणना आयुक्त एवं राज्य सरकारे भी शामिल है। 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरम्भ किया, जून 2011 में सम्पूर्ण देश में घर–घर जनगणना का विशाल कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। यह पहला मौका है जब भारत में ग्रामीण और नगरीय स्तर पर यह विशाल प्रोग्राम किया गया। यह भी प्रत्याशित है कि सम्पूर्ण देश में बहुसंख्य या विशाल स्तर पर सामाजिक और आर्थिक सूचनाए विस्तारित कर जाए।

एस.ई.सी.सी. के निम्नांकित उद्देश्य–

1 गृहिणी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर जीवन स्तर के सुधार के लिए योग्य बनाना।

2 जातिक्रम से जनसंख्या गणना से सम्बन्धित प्रामाणिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

3 आबादी की जातियों वर्गों आदि की शैक्षिक एवं सामाजिक–आर्थिक दशा के बारे में प्रामाणिक सूचना या ऑकडे प्राप्त करना।

एस.ई.सी.सी.–अभाव सूचक या मानक– एस.ई.सी.सी. के द्वारा स्वीकृत किए गए सात अभाव सूचक है–

1 घर के सभी सदस्यों के एक कमरे वाला घर, कच्ची दीवार और कच्ची छत।

2 16 से 59 के बीच वयस्क सदस्य न होना।

3 महिला प्रमुख परिवार में 16 से 59 के बीच वयस्क पुरुष सदस्य न होना।

4 घर–परिवार में अक्षम या विकलांग सदस्य होना और कोई समर्थ सदस्य न होना।

5 एस.सी./एस.टी. घर–परिवार।

6 परिवार में 25 वर्ष से अधिक वयस्क शिक्षित सदस्य न होना।

7 भूमिहीन परिवार के सदस्य, जो अपनी आय का अधिकांश भाग दैनिक रुप से प्राप्त करते है।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए एस.ई.सी.सी.–अभाव सूचक या मानक– ग्रामीण परिवारों पर निम्नांकित समावेशन और वर्जन के डाटा लागू होगे–

1 ग्रामीण परिवारों का एस.ई.सी.सी. डाटा प्रयुक्त होगा।

2 "Exclude the data with the Compulsory Exclusion criteria" इसका अर्थ यह है कि यदि Exclusion criteria में से किसी एक भी पूर्ति हो रही है, तो उसे यही माना जायेगा िकवे गरीब नही है।

3 इसी प्रकार–"Exclude the data with the Compulsory Exclusion criteria" इसका अर्थ है यदि Exclusion criteria के किसी प्रतिबन्ध की पूर्ति हो रही है, तो उन्हें यह माना जायेगा कि वे इस योजना के पात्र लाभार्थी नही है।

4 शून्य निर्धनता वाले पारिवारिक सदस्यों की छॅटनी की जायेगी।

5 अब शेष पारिवारिक सदस्य (जो कम से कम हीनता के एक भी लक्षण वाले सदस्य है) इस योजना के उपयुक्त पात्र लाभार्थी माने जायेंगे।

एस.ई.सी.सी. सांख्यिकी एकदृष्टि में– एस.ई.सी.सी.–2011 ग्रामीण और नगरीय परिवारों के सामाजिक–वित्तीय–स्तरों या अवस्थाओं का आकलन/अध्ययन और यह पूर्व परिभाषित मानकों पर आधारित परिवारो को स्तर निर्धारण के उपयुक्त बनाता है। एस. ई.सी.सी.–2011 में 3 जनगणना घटक है जो तीन पृथक स्वतन्त्र प्रतिष्ठानो द्वारा प्रयुक्त किए गए, किन्तु सम्पूर्ण रुप में यह भारत सरकार के ग्रामीण विभाग के संयोजन समन्वय में हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनगणना सम्पन्न की गयी, नगरीय क्षेत्र में यह कार्य हाउसिंग एवं अर्बन पावर्टी एलेविएशन मंत्रालय की प्रशासनिक अधिकार वाली शाखा के निर्देशन में किया गया। जातीय जनगणना(Caste Census) गृह मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में भारत के महापंजीयक एवं भारतीय जनगणना आयुक्त के द्वारा सम्पन्न हुई।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में एस.ई.सी.सी. की स्थापना की, जून 2011 में सम्पूर्ण देश में घर–घर जाकर विशाल पैमाने पर जनगणना कार्य किया गया। यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण और नगरीय जनता दोनो के लिए जनगणना का कठिन कार्य सम्पन्न किया गया। इससे यह भी उम्मीद की जाती है कि सम्पूर्ण देश में बडी संख्या में सामाजिक एवं आर्थिक संकेतको की जानकारी हो सके।

सम्पूर्ण देश में परिवार सदस्य – 24.49 करोड

कुल ग्रामीण में परिवार सदस्य – 17.97 करोड (73.40)

- जिला मजिस्ट्रेट एक जिला या कस्बा प्लान बनायेगे तथा एक कम्युनिकेशन प्लान बनायेगे।
- एस.ई.सी.सी. 2011 के लिए 24 लाख Enumeration Blocks प्रयुक्त होगे। प्रत्येक Enumeration Blocks में सामान्यतः 125 परिवार होते है। ये वैसे ही Enumeration Blocks है, जैसे कि जनगणना 2011 के दौरान बनाए गए थे। गणको को Layout maps और घरों की संक्षिप्त सूची की प्रतियॉ उपलब्ध करायी जायेगी। जो जनगणना 2011 की अवधि में तैयार की गयी थी। यह सम्पूर्ण क्षेत्र के कवरेज को सुनिश्चित करेगा।

- गणको को एस.ई.सी.सी. 2011 के संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रत्येक गणक को चार Enumeration Blocks दिये जायेगं, प्रत्येक छः गणक एक सुपरवाइजर को देंगे।
- गणक Enumeration Blocks में वर्णित प्रत्येक घर परिवार का भ्रमण करेंगे और प्रश्नावली का परीक्षण करेंगे। वे बेघर परिवारो का भी भ्रमण करेंगे। (जैसे रेलवे स्टेशनो, सडक किनारे, फुट पाथों पर रहने वाले लोग)
- प्रत्येक गणक के साथ एक डाटा एण्ट्री आपरेटर भी रहेगा।
- डाटा सीधे ही इलेक्ट्रानिक हैण्डहेल्थ डिवाइस (टैबलेट पी.सी.) पर अंकित होगा। हैण्डहेल्थ डिवाइस में नेशनल पापुलेशन रजिस्ट्रार के लिए भरे फार्म की फोटो स्कैन होगी। यह भी पूर्ण और उपयुक्त कवरेज को सुनिश्चित करेगा।
- टैबलेट पी.सी. में अंकित जो सूचनाए कम्प्यूटर में फीड है उनको उत्तरदायी द्वारा पढवाकर सूचना को सत्यापित करवाया जायेगा। गणक एवं डाटा एण्ट्री आपरेटर द्वारा हस्ताक्षरित, छपा हुआ एकनालेजमेण्ट कार्ड रिस्पाण्डेण्ट को दिया जायेगा।
- संग्रहित किया गया डाटा पंचायत में वेरीफाई होगा।
- सबसे अन्त में Enumeration Blocks से समस्त सूचनाएँ इकट्ठी करने के बाद सार्वजनिक मसौदा प्रकाशन सूची सत्यापन के लिए तैयार की जायेगी।
- ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम सभा में लिस्ट पढी जायेगी।
- कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस प्रयोजन के लिए क्लेम, आब्जेक्शन अथवा पूर्ण प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत कर सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट ग्राम पंचायत, बी.डी.ओ. कार्यालय, चार्ज सेण्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी।
- यह लिस्ट निक, राज्य सरकार, MoRD, MoHUPA की वेबसाइड पर अपलोड की जायेगी इससे पारदर्शिता होगी, और उत्तरदायित्व बढेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन–

- योग्य बी.पी.एल. उम्मीदवार अपने नजदीकी एल.पी.जी. वितरण केन्द्र पर जानकर मुफ्त में उज्ज्वला योजना फार्म की प्राप्त कर सकता है।
- महिला उम्मीदवार को फार्म पर अपना नाम, फोन नम्बर, आधार नम्बर, जनधन बैंक, खाता संख्या तथा यह शपथ पत्र देना होगा।
- प्रार्थना पत्र 14.2 या 5 किलो के सिलेण्डर के लिए दिया जा सकता है।
- प्रार्थना पत्र के साथ मांगे गये दस्तावेजो जैसे आधार की प्रति लिपि, या बैंक खाते के स्टेटमेन्ट, निवास के लिए प्रमाण पत्र जैसे बिजली का बिल या टेलीफोन बिल, पानी का बिल या घर की रजिस्ट्री आदि होनी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे।
- सभी संलग्न दस्तावेजो के साथ आवेदन पत्र एल.पी.जी. वितरण केन्द्र पर जमा करना होगा।
- एल.पी.जी. कनेक्शन की लागत सरकार द्वारा दी जायेगी।
- आवेदनकर्ता का विवरण एस.ई.सी.सी. 2011 से उसकी पात्रता को जाचॉ जायेगा उसका नाम एस.ई.सी.सी. लिस्ट में जाचॉ जायेगा।
- यदि आवेदनकर्ता पात्र होगा तो लाभार्थी को कनेक्शन तेल विपणन कम्पनियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- आवेदनकर्ता गैस स्टोब व प्रथम रिफिल के लिए ई.एम.आइ. व्यवस्था का लाभ भी ले सकते है।

आवेदन पत्र– एल.पी.जी. कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्षण प्राप्त करने के लिए समस्त देश में एल.पी.जी. वितरण केन्द्र उपलब्ध है। आवेदन पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध है।

सुरक्षा उपाय– खाना बनाने में कुकिंग गैस का प्रयोग करते समय उपभोक्ता को निम्न सुरक्षा मानको को अपनाना चाहिये–

- सिलेण्डर को सदैव सीधी अवस्था में तथा आग से दूर और खुली जगह पर रखना चाहिये।
- चूल्हा सदैव सिलेण्डर से ऊॅचाई पर प्लेटफार्म पर रखना चाहिये।

- जब आप गैस का उपयोग नही कर रहे है तो सदैव गैस को रेगुलेटर से बन्द करना चाहिये मुख्यतः रात के समय एवं कभी भी अपने आप सिलेण्डर या सम्बद्ध उपकरणों की मरम्मत करने की कोशिश नही करनी चाहिये।
- यह सुनिश्चित करना कि स्थापित सभी अंग अच्छी स्थिति में है यदि वे खराब है तो गैस वितरक या प्रशिक्षित मकैनिक को दिखा लें।
- रसोई में काम करते समय सूती कपडे पहनना अधिक सुरक्षित है। गैस के गर्म बर्तन उतारने के लिए दुपट्टा, साडी, या कपडे का उपयोग आग के लिए खतरनाक हो सकता है।
- खाना बनाते समय आगरोधी एप्रन का प्रयोग करना चाहिये।
- बच्चों को खाना बनाते समय गैस से दूर रखना चाहिये।
- खाना बनाने के लिये केवल 'आई.एस.आई.' मार्क वाला चूल्हा प्रयोग करना चाहिये।
- खाना बनाते समय खाद्य सामग्री को बर्नर पर छोडना नही चाहिये क्योंकि बर्नर पर सामग्री गिरने के कारण वह बुझ सकता है। इससे बर्नर से गैस रिसाव हो सकता है।
- कूकर या पैन को इस तरह से बर्नर पर रखना चाहिये कि वे आग से दूर रहें।
- प्लास्टिक के सामान को गैस व स्टोब से दूर रखना चाहिये।
- गैस की रबर की पाइप से गैस रिसाव आसानी से हो सकता है इस लिए समय–समय पर जॉचते व बदलते रहना चाहिये।
- रबर पाइप को अवश्य ही 'आइ.एस.आइ.' मार्क सुरक्षा पाइप को एल.पी.जी. वितरक से सलाह अनुसार खरीदना चाहिये।
- मानको के अनुसार रबर पाइप को प्रत्येक 2 वर्ष बाद तथा सुरक्षा एल.पी.जी. नली या होज को 5 वर्ष बाद बदल देना चाहिये।
- सुरक्षा कैंप को सदैव प्रयोग में न आने वाले सिलेण्डर पर लगा कर रखना चाहिये, चाहे वह भरा हो या खाली।

अपने घर पर सिलेण्डर की डिलेवरी के दौरान निम्न जांच करें–

– सिलेण्डर को प्राप्त करते समय की स्थिति सील व वजन को अवश्य जांच लें।
– यह जानने के बाद कि सिलेण्डर की सील व वनज सही है तो अपनी उपस्थिति में वितरक से सील तुडवायें और जांच लें कि सिलेण्डर प्रयोग के लिए सही है या नही।

यदि गैस में रिसाव हो तो–

– यदि गैस में रिसाव है और गैस की गंध आने की स्थिति में घबरायें नही।
– रेगुलेटर की नाब को बन्द कर दें।
– रसोई घर से सभी ज्वलनशील पदार्थ बाहर करें।
– कोई भी माचिस या लाईट को आन या आफ न करें।
– घरों की सभी खिडकी और दरवाजों को खोल देना चाहिये।
– वितरक को या आपात नम्बर पर काल करनी चाहिये।

समस्या निवारण केन्द्र– शिकायत केन्द्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से सम्बन्धित समस्याओ को सुनता है।

– ये फ्री नम्बर 18002666696 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
– शिकायत केन्द्र सभी क्षेत्र में हिन्दी व अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। काल सेन्टर शिकायतो को शिकायत प्रबन्ध प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत ओ.एम.सी. में स्थान्तरित कर दी जानी है।
– उपभोक्ता अपनी शिकायत को आइ.ओ.सी., एच.पी.सी. और बी.पी.सी. की आफिसियल वेवसाइड पर दर्ज करा सकता है।
– ओ.एम.सी. के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शिकायत के निवारण के लिए सभी कार्य दिवसो में कार्यालय समय के दौरान ग्राहक सेवा प्रकोष्ठो का संचालन किया जाता है।
– उपभोक्ता सेवा केन्द्र का पता व फोन नम्बर सभी वितरण केन्द्रो के शोरुम पर प्रदर्शित होते रहते है।
– उपभोक्ता वितरण केन्द्र पर जाकर फार्म संख्या 6 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

- आपात कालीन सेवा केन्द्र कुछ निश्चित बाजारो में वितरण केन्द्रों की साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी शिकायतों को दर्ज करा सकते है।
- आपात कालीन सेवा केन्द्र का फोन नम्बर सिलेण्डर भरवाने के बाउचर पर लिखा होता है।
- उपभोक्ता ओ.एम.सी. कम्पनी के पारदर्शिता पोर्टल पर लाग–इन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
- शिकायत करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध है। जिसको उपभोक्ता द्वारा प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आधार नामांकन/ ई–आधार बनाने के लिये या आधार से सम्बन्धित किसी प्रश्न या शिकायत के लिए उपभोक्ता 'यू.आई.डी.ए.आई.' को निशुल्कः फोन नम्बर 1800 300 1947 पर काल कर सकते है या help@uidai.gov.in. पर संदेश भेज सकते है।
- बैक में आधार सिडिंग व सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सम्बन्धित बैंक शाखा या टोलफ्री नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
- अपनी शिकायत उस बैंक के लोकपाल से कर सकते है जिसकी विस्तृत जानकारी उस बैंक शाखा की बेवसाइड से प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्रीय आपात कालीन सेवा कोष्ठ नम्बर '1906' सदैव एल.पी.जी. रिसाव से सम्बन्धित समस्याओ को हिन्दी व अंग्रेजी के अतिरिक्त 9 भाषाओं मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया, असामी, तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

प्रमुख हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां– तेल विपणन कम्पनियों के प्रतिनिधि–जिला नोडल अधिकारी–

- जिला नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण केन्द्र पर उचित मात्रा में आवेदन पत्र उपलब्ध है कि नही।
- नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बैनर या होर्डिंग एल.पी.जी. वितरक और स्टेशन रेलवे, स्टेशन मैट्रो, स्टेशन जैसे अन्य प्रमुख स्थानो पर लगायें जाये।

- विज्ञापन को तैयार करना तथा उसे प्रेम में निकलवाना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है।
- अभियानो का संचालन कर तथा उन्हें एफ.एम. आकाशवाणी तथा टी.वी. के माध्यमों से लोगो तक पहुचाना।
- वितरको को आधार/बैंक लिंक की सुविधा प्रदान करना।

एल.पी.जी. वितरक की भूमिका या जिम्मेदारी–

- सभी लाभार्थियों को आवेदन पत्र प्रदान करवाना।
- आधार का सत्यापन करना और आधार नम्बर तथा बैंक विवरण को एल.पी.जी. डाटा बेस से मिलान करना।
- एन.ओ.एस./बैंक विवरण को डाटा बेस पर अपलोड करना।
- उपभोक्ता को आधार नम्बर व बैंक डाटा बेस एल.पी.जी. की प्राप्तिदके लिये सूचित करना।
- IFSC code, बैंक का नाम शाखा आदि एल.पी.जी. Seeding के।
- दूरस्थ आधार लिंक ढाचे पर आधार लिंक का सत्यापन करना।
- वितरक का काम उन उपभोक्ताओं को जिन्होने अपना आधार एल.पी.जी. और बैंक डाटा बेस के साथ लिंक नही किया है। उन्हें लिंक करने के लिए ध्यान दिलाना।
- योजना का प्रचार बाजारों, पंचायतों आदि में करना।

परियोजना का प्रबंध एवं सूचना प्रणाली–

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए परियोजना प्रबंध एवं सूचना प्रणाली एक आधारित समाधान प्रणली है। यह अप्लीकेशन MoPNG, OMCS, LDPM वितरको और अन्य चिन्हित एजेंसियों, उनसे सम्बन्धित जानकारी देखने के लिए उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए रिर्पोट– परियोजना प्रबंध प्रणाली द्वारा डी.बी.टी. आई., गिव इट अप, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस प्रकार सूचनाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए तैयार की जाती है।

– राज्यवार डेशबोर्ड रिर्पोट
– जिला स्तर पर रिर्पोट
– विस्तृत डेशबोर्ड रिर्पोट
– दैनिक प्रगति रिर्पोट

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए मीडिया व संचार माध्यम–

– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सरकारी बेवसाइड–http://www.Pmujjwalayojana.com
– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए फेस बुक प्रोफाइल Pmuy Ujjwala yojana community.
– पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए टुइटर हैण्डल@petroleumMin.
– किसी सूचना या शिकायत या प्रोत्साहन के लिए pmuy.cell@gmail.com and lpg.section@gmail.com संदेश भेज सकते है।
– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से सम्बन्धित सूचनाओ को संप्रेषित करने के लिए गूगल समूह बनाया गया है जो दो स्तर पर है–

1– उज्ज्वला कोर गूगल समूह जिसमे संयुक्त सचिव विपणन एल.पी.जी. निर्देशक, MoNPNG के सलाहकार और कोर टीम सदस्य जो तेल विपणन कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते है जो कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कोष्ठ नयी दिल्ली का संचालन करती है।

2– DNOs के लिए गूगल समूह–यह DNOs गूगल समूह एक विशेष राज्य के लिए बनाये जाते है। इस गूगल समूह का नाम राज्य के नाम पर रखा जाता है। जैसे राज्य का नाम–DNO@googlegroups.com

– उदाहरण के लिए UP DNO@googlegroups.com

– यह समूह का उपयोग एक प्रमुख राज्य को दर्शाने के लिए किया जाता है।

3.2 भारत में महिलाओं की प्रस्थिति

वीना मजूमदार(1985) के अनुसार "Patriarchy had not been weakened, but had extended its sway and strengthened its hold on the majority of the population." आजादी के 70 वर्षों बाद महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट 'समानता की ओर' के 40 वर्षों के बाद भी भारतीय महिलाओं को अपने सम्मान और गौरव तथा समानता और अधिकारों को प्राप्त करनें के लिये निरन्तर और अन्तहीन प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता काल ही विभिन्न महिलावादी लेख, आकडों व समाज सुधारक, साहित्य द्वारा संवैधानिक और असंवैधानिक रुप से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की प्रस्थिति में समानता लाने जैसे लैंगिक समानता, सामाजिक समानता लाकर महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। महलाओं की प्रस्थिति पर उच्च स्तरीय रिपोर्ट 2015 में यह साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनैतिक सहभागिता में स्थानीय स्तर पर महिलाओं ने वृहद स्तर पर सफलता प्राप्त की है। परन्तु अभी भी महिलाओं के लिये जमीनी दर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्तमान समय में महिलाओं की प्रस्थिति को समझने के लिये उनकी सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक प्रस्थिति को समझना होगा। (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जून 2015)

3.21 सामाजिक– आर्थिक प्रस्थिति

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। परन्तु फिर भी समाज में पुरुषों की तुलना में उनकी प्रस्थिति निम्न है। प्राचीन काल से ही महिलाओं की भिन्न रीति–रिवाजों धर्म संस्कृति और संस्कारों के नाम पर जानबूझ कर विकास के अवसरों से वंचित रखा गया है। आजादी के पूर्व महिलाओं को कई घृणित व क्रूर रीति–रिवाजों का शिकार बनाया जाता था। जैसे सतीप्रथा, बाल–विवाह, इसके कारण वे अशिक्षा व अलगाव का शिकार थी भारतीय समाज में महिला के सामाजिक आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में भेद–भाव होता आया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में

21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। जिसमें 25.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। (जमीर अहमद भट्ट, 2014)

तालिका संख्या–3

भारत एवं उत्तर प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या

राष्ट्र/राज्य	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कुल
भारत	25.7	13.7	21.9
उत्तर प्रदेश	30.4	26.1	29.4

स्त्रोत –जनगणना 2011 के अनुसार

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की प्रस्थिति शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में निम्न है उसमें से निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति और भी निराशाजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों की रीति–रिवाजो की दृढता, शिक्षा की कमी के कारण महिलाओं की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। ग्रामीण समाज में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर महिलायें घर के काम के अतिरिक्त खेतों में पुरुषों के बराबर काम करती है। परन्तु महिलाओं के श्रम व घरेलू कार्य को कार्य की श्रेणी में सम्मिलित नही किया जाता है। न ही उनके कार्य का कोई मूल्य आंका जाता है।

भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रस्थिति को सदैव निम्न स्थान प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि समाज में आज भी लडकियों की तुलना में लडकों को अधिक महत्व दिया जाता है। ग्रामीण समाज में लडकों को प्राप्त करने की अवधारणा और प्रबल है। यही कारण है कि भारत में लिंग अनुपात सदैव लडकियों की तुलनात्मक रुप से कम होता है। वर्तमान समय में भारत में 1000 लडकों पर 443 महिलायें है।

तालिका संख्या–4

1951 से लेकर 2011 तक लिंग अनुपात

वर्ष	लिंग अनुपात
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	926
2001	933
2011	943

Source-o/o Register General of India, cited in National Health Profile, 2018

3.22 महिलाओं की शैक्षणिक प्रस्थिति

शिक्षा किसी भी मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का स्तर किसी व्यक्ति को समाज में पहचान सम्मान दिलाने में सहयोग करता है। शिक्षा सामाजिक और व्यक्तिगत दोनो रुप से व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। शिक्षा केवल मनुष्य को ज्ञान ही नही देती बल्कि उसे अधिक सभ्य व समाज के लिए उपयोगी भी बनाती है। एक सम्मान जनक जीवन बिना शिक्षा के सम्भव नही है। यह एक स्वस्थ्य वातावरण तैयार करने में भी मदद करती है। शिक्षा गरीबी को मिटाने में भी सहायक है। महिलाओं की शिक्षा देश व व्यक्ति दोनो के लिए महत्वपूर्ण है क्योकि घर–परिवार और स्वयं को सम्भालने का उत्तरदायित्व महिलाओ पर होता है। एक शिक्षित महिला अपने प अपने परिवार की स्वास्थ्य शिक्षा पोषण की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न है। समाज में पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को समाज में पुरुषों से निम्न समझा जाता है। जो महिलाए गरीबी में निवास करती है। वे पुरुषों की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक कार्य करती है परन्तु वे पुरुषों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत कम मजदूरी प्राप्त करती है। समाज के रुढिवादी सोच के कारण महिलाओं को हर स्तर पर भेद–भाव का सामना करना पडता है। शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ समाज में परिवर्तन आ रहा है। परन्तु महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नही आया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर 58.75 प्रतिशत है। जो

कि पहले से अधिक है परन्तु पुरुषों की तुलना तें अभी भी कम है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कम होने के बहुआयामी कारक जिम्मेदार है जैसे सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक तथा धार्मिक कारको के अतिरिक्त भी विभिन्न ततव है जो महिलाओ की निम्न शैक्षिक स्थिति के लिए उत्तरदायी है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार लडकियों की विवाह और पढाई का खर्च नही उठा सकते है। दूसरी ओर गरीब परिवार अधिकतर अशिक्षित होते है। इसलिए वे लडकियों की शिक्षा को लेकर अधिक जागरुक नही होते है। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की साक्षरता दर को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या–5

1951 से लेकर 2011 तक भारत की साक्षरता दर

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
1951	**24.9**	**7.3**	**16.7**
1961	**34.4**	**13.0**	**24.0**
1971	**39.5**	**18.7**	**29.5**
1981	**46.9**	**24.8**	**36.2**
1991	**63.9**	**39.2**	**52.1**
2001	**76.0**	**54.0**	**65.38**
2011	**82.14**	**65.46**	**74.4**

स्त्रोत –जनगणना. 2011

भारत में विभिन्न राज्यो में शिक्षा का स्तर भिन्न–भिन्न है जनगणना 2011के अनुसार भारत में महिला साक्षरतादर में केरल राज्य 92 प्रतिशत के साथ देश में सबसे उच्च स्तर पर है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है जिसकी साक्षरतादर 89.4 प्रतिशत है जबकि उत्तरप्रदेश की साक्षरतादर 59.3 प्रतिशत है जबकि बिहार में 53.3 प्रतिशत तथा सबसे कम राजस्थान में 52.7 प्रतिशत है।(यामिनी ज्योत्सना 2016)

3.23 महिलाओं की स्वास्थ्य प्रस्थिति

किसी भी समाज में महिला या व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी पोषण स्थिति से पूर्णतः सम्बन्धित होती है। जिस देश में व्यक्तियों की पोषण स्तर अधिक उच्च होता है। वह लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। और जिन देशों में जीवन स्तर निम्न होता है वहॉ की पोषण स्थिति खराब होती है। भारतवर्ष जैसे परम्परागत और विकास शील देश में व्यक्ति के स्वास्थ्य की पोषण स्थिति के साथ कई महत्वपूर्ण तत्व जैसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति जीवन स्तर शिक्षा आदि प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करती है।(Prabhavathi, Prakash, vatsala 2017)

भारत में एक अनुमान के मुताबिक हर तीसरी महिला में खून की कमी पायी जाती है अर्थात वह एनीमिक है तथा अधिकतर महिलाओं का पोषण स्तर निम्न है और वे कुपोषण की शिकार है। भारत में विशेष कर ग्रामीण समाज की महिलाओं को कुपोषण सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पडता है। भारतीय समाज में यह धारणा है कि पुरुषों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय समाज में पहले पुरुषों या बालकों को अच्छा भोजन दिया जाता है। इसके बाद तहिलाओं व लडकियों को। जिससे कि महिलाओं को सम्पूर्ण पोषक तत्व नही मिल पाते है। जिससे कि उनमे कुपोषण की समस्या पायी जाती है। भारत सरकार ने भारत में महिलाओं और शिशु के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये विभिन्न योजनाये जैसे जनमी सुरक्षा योजना, इन्द्रधनुष योजना आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्वास्थ्य प्रस्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। भारत में मातृत्व मृत्युदर वर्ष 2011 से 2013 के बीच 167 प्रति 2 लाख है। वही उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड को मिलाकर यह मातृ मृत्युदर 285 है। सम्पूर्ण देश में केरल राज्य में मातृ मृत्युदर 61 सबसे कम तथा असम में सबसे अधिक 300 है। (नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018)

भारत में 2011 से लेकर 2016 तक शिशु जन्मदर तथा मृत्युदर की निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है।

तालिका संख्या–6

भारत में 2011 से लेकर 2016 तक शिशु जन्मदर तथा मृत्युदर

वर्ष	जन्म दर ग्रामीण क्षेत्र	मृत्युदर	सम्पूर्ण भारत में वृद्धि दर
2011	23.3	7.6	14.7
2012	23.1	7.6	14.5
2013	22.9	7.5	14.4
2014	22.7	7.3	14.3
2015	22.4	7.1	14.3
2016	22.1	6.9	14.0

Source-National Health Profile 2018

3.24 राजनैतिक प्रस्थिति

राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रस्थिति को उनके राजनैतिक क्षेत्र में शक्ति और उनकी स्वतन्त्रता के पैमानो के आधार पर समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिला दिवस पर बोलते हुये संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि "निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका दुनिया भर में महिलाओं की उन्नति और समग्र रुप से मानव जाति प्रगति के लिये केन्द्रित है।" (Thanikodi and M sugirtha2007)

सामान्यता भारतीय समाज में पित्तृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण महिलाओं को राजनीतिक में आने के बहुत ही कम अवसर प्रदान हो पाते है। यदि वे राजनीतिक में आती भी है तो भी वे मात्र एक ठप्पा मात्र ही होती है। उनका वास्तविक कार्य घर के किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। भारतीय ग्रामीण समाज में तो शहरों की अपेक्षा गॉव में तो महिलाओं से यही अपेक्षा की जाती है कि परम्परागत भूमिका का ही निर्वाह करे। भारत में 1951 के बाद से आज तक राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वास्तविकता यह है कि महिलाओं विशेष कर ग्रामीण

महिलाओं की आबादी का बहुत बडा हिस्सा वर्तमान समय में भी अपनी मूल–भूत आवश्यकताओं के पीछे भाग रहा है। विकास की धारा इन्हें छू तक नही पायी है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं को तोडकर वर्तमान समय में महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनायी है। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में सदैव से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है। अभी तक हमारे देश की एक मात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। जबकि देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। भारतीय राजनीति में हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। वास्तव में महिलाओं की राजनीति में आने को लेकर कितनी अधिक बातें की जाती है। काम के रुप में परिणित नही हो पाती है। केवल पंचायतों में ही महिलाओं को अभी तक 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है। जबकि लोकसभा तथा विधानसभा में अभी तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त नही हुआ है। भारत में राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम ही महिलाए है। जिनके नाम लिए जा सकते है जैसे कि सुषमा स्वराज, मायावती, सोनिया गॉधी, जय ललिता, वसुन्धरा राजे आदि महिलाए शिखर पर है। (मधू केशवार) आजादी के बाद से पहली बार 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 61 था।

3.3 भारत में एल.पी.जी. की वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार में 75 प्रतिशत जनता गॉवो में निवास करती है। भारत में 39 प्रतिशत से अधिक घरों में आज भी एल.पी.जी. नही पहुॅची (L.P.G Assessement Report 2016) भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भोजन बनाने का मुख्य स्त्रोत लकडी, गोबर के उपले आदि है जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब वर्ग को आसानी से व बिना पैसो के मिल जाता है। परन्तु इसमें स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। क्योंकि भोजन अधिकांश भारतीय घरों में महिलायें ही बनाती है। इसलिये धुये से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलायें ही होती है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को बेहतर जीवन देने तथा सम्पूर्ण समाज की प्रगति के लिये देश के गरीब परिवारों तक एल.पी. जी. पहुॅचाने के लिये भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय के सौजन्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन किया गया है। जिससे की पर्यावरण संरक्षण के

साथ–साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को सुधारने के लिये इस योजना का आरम्भ किया गया।

सम्पूर्ण भारत में एल.पी.जी. का वितरण मात्र 28 प्रतिशत है। (L.S. question no. 2706) जिसमे से शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11 प्रतिशत है। और शहरी क्षेत्रों में व कस्बों एल.पी.जी. कनेक्शन अधिकतम उच्च या माध्यम वर्ग के पास है। जबकि भारत की 75 प्रतिशत जनता गॉवों में निवास करती है। अगर हम जनता के निवास के अनुपात में देखे तो ग्रामीण समाज में एल.पी.जी. का वितरण न के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 11 प्रतिशत लोगों व परिवारों में वे व्यक्ति है जो कि आर्थिक रुप से सम्पन्न है। हमारे देश में 22 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। जिसमे से 25.7 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार ग्रामीण क्षेत्र में तथा 13.7 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार शहरों व कस्बों में निवास करते है। ग्रामीण व शहरों क्षेत्रों में एल.पी.जी. की बी.पी.एल. परिवारो में कम पहुॅच का प्रमुख कारण एल.पी.जी. गैस की ऊॅची कीमत के कारण इसकी पहुॅच शहरी व कस्बो आदि के निश्चित वर्ग या तबके तक ही है।

भारत में किये गये 'प्राथमिक सर्वेक्षण' के 13 राज्यों मे बिना एल.पी.जी. परिवारों पर किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश ही उत्तर भारत का ऐसा राज्य है। जहॉ एल.पी.जी. का विस्तार 50 प्रतिशत से कम है। पूर्वी भारत के बिहार 28 प्रतिशत, झारखण्ड में 25 प्रतिशत, उडीसा में 26 प्रतिशत, गुजरात में 48 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 46 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 39 प्रतिशत है। (एल.पी.जी प्राथमिक सर्वेक्षण' 2016)

एक अनुमान के अनुसार 35.7 ग्रामीण परिवार बायोमास को ईंधन के रुप में प्रयोग करते है। भारत में इस प्रकार के ईंधन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल इसके पश्चात त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उपयोग होता है। 37.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार निशुल्कः मिलाने वाले ईंधनो में सबसे अधिक लकडी तथा 87.1 प्रतिशत बायोमास, 76.3 प्रतिशत उपलो का प्रयोग करते है।

3.4 भारत में ग्रामीण क्षेत्र में एल.पी.जी. की आधार या पृष्ठभूमि

भारत में ग्रामीण क्षेत्र में एल.पी.जी. गैस की पहुॅच को सुनिश्चित करने के लिये उज्ज्वला योजना से पूर्ण विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

1– **राजीव गॉधी ग्रामीण एल.पी.जी. विवरण योजना** यह योजना 2009 में ग्रामीण क्षेत्र में कम एल.पी.जी. गैस पहुॅच को देखते हुये बनायी गयी थी। इसमे ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. वितरकों को लाने की योजना है जिससे कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. की पहुॅच को आसान बनाया जा सके।

2– **बी.पी.एल. परिवार कनेक्शन के लिये सी.एस.आर. योजना**

इस योजना में परिवार को कनेक्शन प्राप्त करने के लिये विभिन्न सेकोरिटी जमा किये बिना कनेक्शन प्राप्त हो जाता है। राजीव गॉधी ग्रामीण एल.पी.जी. विवरण योजना की सी.एस.आर. स्कीम द्वारा प्रदान किया जायेगा। तथा कनेक्शन लेने के अन्य खर्चों को उपभोक्ता द्वारा वहन किया गया है। ओ.एम.सी. के सी.एस.आर विधियो द्वारा जब उपभोक्ता अपना एल.पी.जी. के लिये पंजीकरण करवाता है तो इसमे उसे 5 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है।

3– प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। इसमे सरकार द्वारा प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये 1600 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। इस योजना का प्रारम्भ 1 मई 2016 को श्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसमे तीन वित्तीय वर्षों में बी.पी.एल. परिवार को 5 करोड एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु इसकी सफलता को देखते हुये अब इसे 2020 तक 8 करोड एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

4– पहल (PAHAL)योजना

यह योजना 2014 में लागू की गयी थी। भारत सरकार द्वारा एल.पी.जी. सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुॅचाने के लिये भारत सरकार द्वारा पहल योजना का प्रारम्भ किया गया इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता की सब्सिडी सीधे उसके खाते में सरकार द्वारा पहुॅचा दी जाती है। जिससे कि गैस की कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलती है। पहल योजना देश की सबसे बडी प्रत्यक्ष लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से निश्क्रिय गैस कनेक्शन का भी पता चला है। इसे व्यवसायिक कार्यों के लिये सब्सिडी वाले सिलेण्डरों के उपयोग पर भी रोक लगी है।

5– गिव इट अप योजना यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में गैस सिलेण्डर पर मिलने वाली सब्सिडी को स्वेच्छा से छोडने के लिये प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जी देश के आर्थिक रुप से सम्पन्न एल.पी.जी. उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से एल.पी.जी. सब्सिडी छोडने का अनुरोध किया तथा जिसके परिणाम स्वरुप देश में लगभग 1.04 करोड से अधिक उपभोक्ता ने स्वेच्छा से एल.पी. जी. सब्सिडी छोड दिया था। इस योजना से प्राप्त पैसो का उपयोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार को दिये गये गैस कनेक्शन के लिये किया गया है।

उज्ज्वला दिवस

20 अप्रैल 2018 को सम्पूर्ण भारत में उज्ज्वला दिवस के रुप में मनाया गया है। इसमे पूरे देश में पंचायतों का आयोजन किया गया जिससे oil marketing companyके अधिकारियो व विशिष्ट व्यक्तियों ने उज्ज्वला योजना के कैंप लगाकर इच्छुक परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किये गये, इन पंचायतों में 5 मिलियन से अधिक उज्ज्वला योजना लाभार्थी उपस्थित हुये और उन्हें एल.पी.जी. के सुरक्षित उपयोग के विषय में बताया गया। उज्ज्वला दिवस के दिन 1.1 मिलियन नये लाभार्थी को योजना का लाभ प्रदान किया गया।

3.5 वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना की स्थिति

वर्तमान योजना के प्रारम्भ (1 अप्रैल 2016) से अब तक 3.57 करोड से अधिक बी.पी. एल. परिवार को योजना और एल.पी.जी. कवरेज से लाभान्वित किया गया है। इस योजना ने 1.4 का लक्ष्य 2016 में 61.9 प्रतिशत था 80 प्रतिशत को पार कर लिया है। जिसमे 44 प्रतिशत लाभार्थी, 1.57 करोड लाभार्थी SC/ST है। इस योजना ने वित्तीय वर्ष 2016–2017 और 2017–2018 में अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। 2 जनवरी 2019 तक 6 करोड एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित किये जा चुके है।एवम् 8 मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोंड एल.पी.जी कनेक्शन अब तक दिये जा चुके है।एक अधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने शुभारम्भ 1 मई 2016,के 34 महीने के अन्दर लक्ष्य प्राप्त कर लिया हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अर्न्तगत 1,26,40,088 कनेक्शन अब तक दिये जा चुके है।(द हिन्दू समाचार पत्र)

चतुर्थ अध्याय

4.1 उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक आनुभविक विश्लेषण

तालिका संख्या– 7

सूचनादाताओं की आयु का वर्गीकरण

क्रमांक	वर्षो में	उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत्
1.	18 – 28	8	6.25%
2.	28 – 38	20	15.62%
3.	38 – 48	48	37.5%
4.	48 – 58	41	32.03%
5.	58 – अधिक	11	8.5%
		कुल संख्या=128	

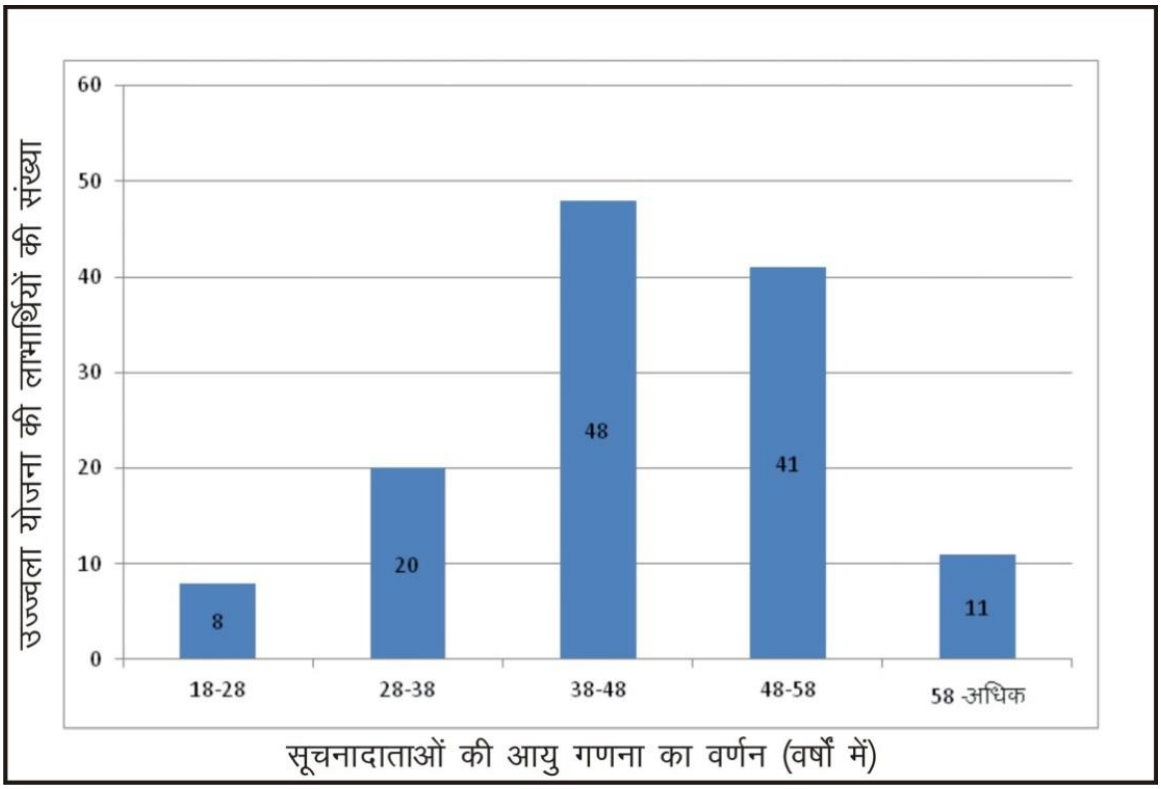

उपरोक्त तालिका संख्या–7 में लखनऊ जिले की चयनित पंचयतों की उज्ज्वला योजना प्राप्त लाभार्थियों का वर्गीकरण किया है। इस अध्ययन में कुल 128 लाभार्थियों में 38 से 48 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 48 है तथा इनका प्रतिशत् 37.5 है। तथा 48 से 58 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 41 है तथा इनका प्रतिशत् 32.03 है। 28 से 38 की बीच की महिलाओं की संख्या 20 है। इनका प्रतिशत् 15.62 है। और 58 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 11 है। तथा इनका प्रतिशत् 8.5 है। और 18 से 28 आयु वर्ग की लाभार्थियों की संख्या सबसे कम 8 है तथा इनका प्रतिशत् 6.25 है।

तालिका संख्या–8

लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	लाभार्थियों कीसंख्या	प्रतिशत्
1-	साक्षर	24	18.75 %
2-	निरक्षर	97	75.78%
3-	हाईस्कूल	4	3.12%
4-	इण्टरमीडिएट	1	0.781 %
5-	स्नातक	2	1.56 %
		योग– 128	

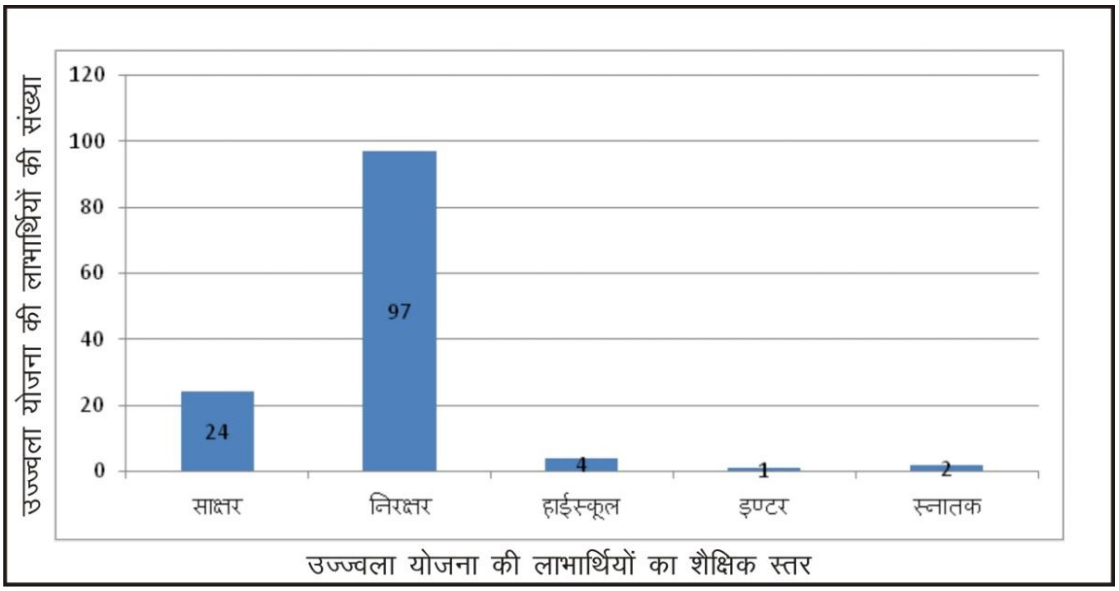

उपरोक्त तालिका संख्या–संख्या के अनुसार चयनित पंचायतों में लाभार्थियों की अधिकांश महिलायें निरक्षर है। जिनकी संख्या 97 तथा प्रतिशत् 75.78 है। वही दूसरे स्थान पर साक्षर महिलायें है जिनकी संख्या 24, तथा इनका प्रतिशत् 18.75 है। चौथे स्थान पर स्नातक स्तर की लाभार्थी है जिनकी संख्या 2 तथा प्रतिशत् 1.56 प्रतिशत् है। पॉचवे स्थान पर इण्टरमीडिएट तथा तीसरे स्थान पर हाईस्कूल स्तर की लाभार्थी है। जिनकी संख्या व प्रतिशत् क्रमशः 1,4 तथा प्रतिशत् .78 व 3.12 है।

तालिका संख्या–9

लभार्थियों की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत्
1.	विवाहित	122	95.3%
2.	अविवाहित	2	11.56%
3.	अन्य	4	3.12%
		योग– 128	

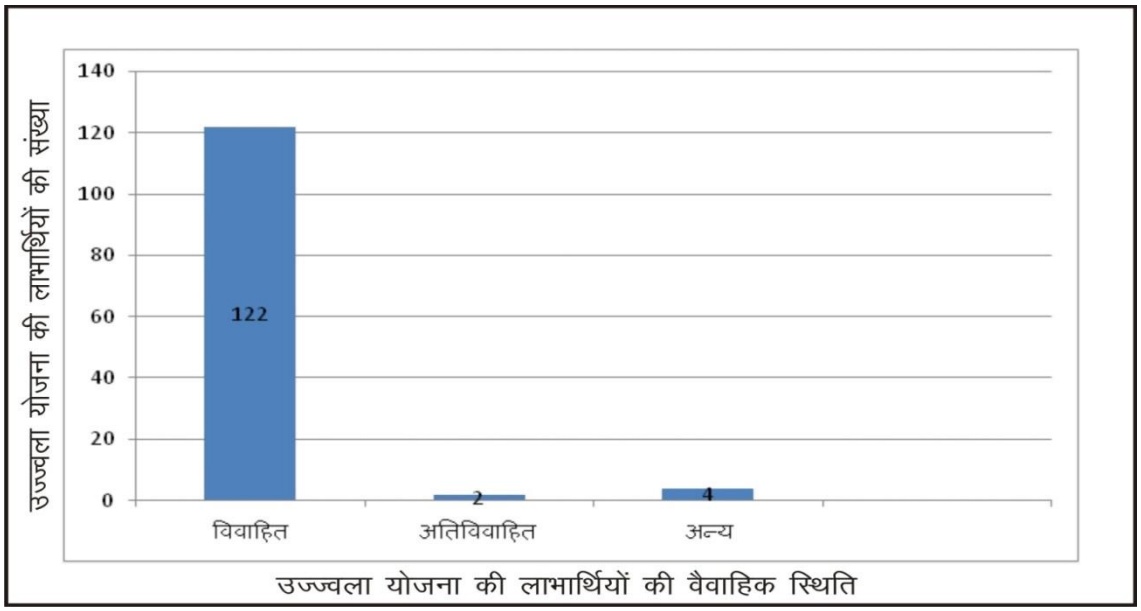

लभार्थियों की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

लखनऊ जिले की पंचायतों में योजना की लाभार्थी महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण तालिका–9 में दर्शाया गया है जिसमें विवाहित लाभार्थियों की संख्या 122 है तथा इनका प्रतिशत् 95.3 है। तथा अविवाहित लाभार्थियों की संख्या 2 तथा इनका प्रतिशत् 1.56 है एवम् अन्य (विधवा) महिला लाभार्थियों की संख्या 4 तथा इनका प्रतिशत् 3.12 है।

तालिका संख्या–10

लाभार्थियों की व्यवसायिक स्थिति का वर्गीकरण

क्रमांक	व्यवसाय	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत्
1.	नौकरी	4	3.12%
2.	गृहणी	110	85.93%
3.	व्यवसाय	6	4.68%
4.	अन्य	8	6.25%
		कुल योग =128	

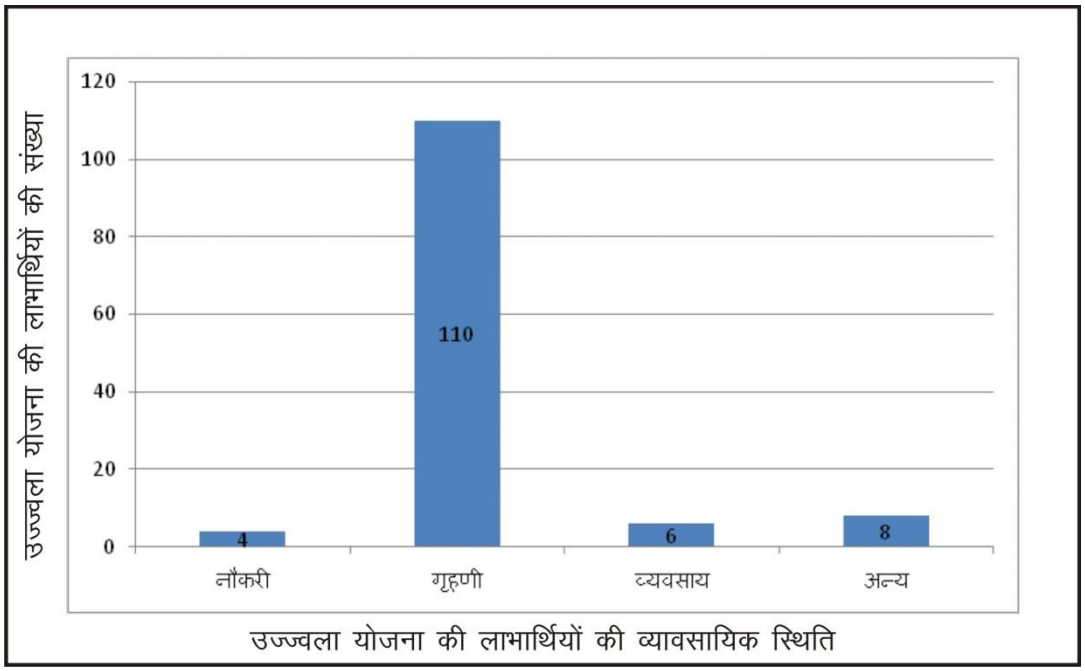

लाभार्थियों की व्यवसायिक स्थिति का वर्गीकरण

प्रस्तुत तालिका संख्या–10 में लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की योजना की लाभार्थी महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें से सबसे बडी संख्या में लाभार्थी महिलायें गृहणी है जिनकी संख्या 110 तथा प्रतिशत् 85.93 है। वे महिला लाभार्थी जो व्यवसाय करती है उनकी संख्या 6 तथा उनका प्रतिशत् 4.68 प्रतिशत् है द्वितीय स्थान पर वे लाभार्थी महिलायें है जो अन्य (मजदूरी, कढाई, बुनाई आदि) कार्य में लगी है। उनकी संख्या 8 तथा उनका प्रतिशत् 6.25 है चतुर्थ स्थान पर नौकरी पेशा महिलायें है जिनकी संख्या 4 तथा 3.12 प्रतिशत् है।

तालिका संख्या–11

लाभार्थियों की पारिवारिक संरचना

क्रमांक	परिवार की संरचना	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	एकांकी परिवार	94	73.43%
2.	संयुक्त परिवार	34	26.56%
3.	विस्तृत परिवार	0	0
		कुल– 128	

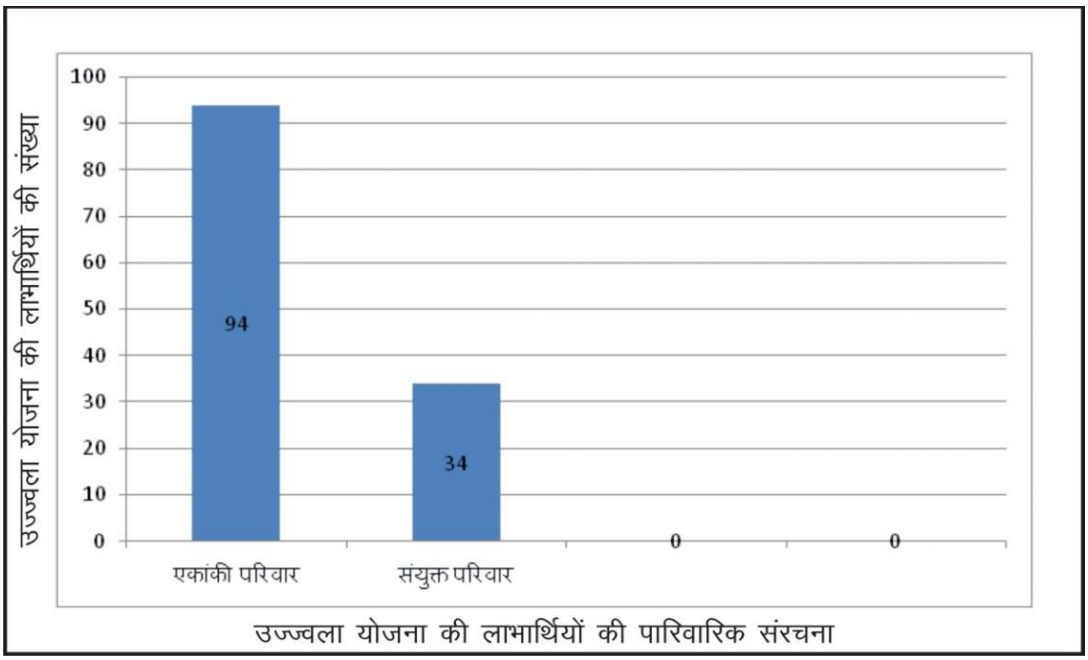

लाभार्थियों की परिवारिक संरचना

उपरोक्त तालिका संख्या –11 से स्पष्ट हैं कि लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों में अधिकतर लाभार्थी महिलायें परिवार में रहती हैं जिनकी संख्या–94 हैं। तथा प्रतिशत् 73.43 हैं 34 महिला लाभार्थी सयुक्तं परिवार में रहती हैं एवम् इनका प्रतिशत् 26.56 हैं।

तालिका संख्या –12

लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों की संख्या

क्रमांक	सदस्यों की संख्या का वर्गीकरण	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	1 से 3	19	14.89%
2.	3 से 5	46	35.93%
3.	5 से अधिक	69	49.21%
		कुल योग =128	

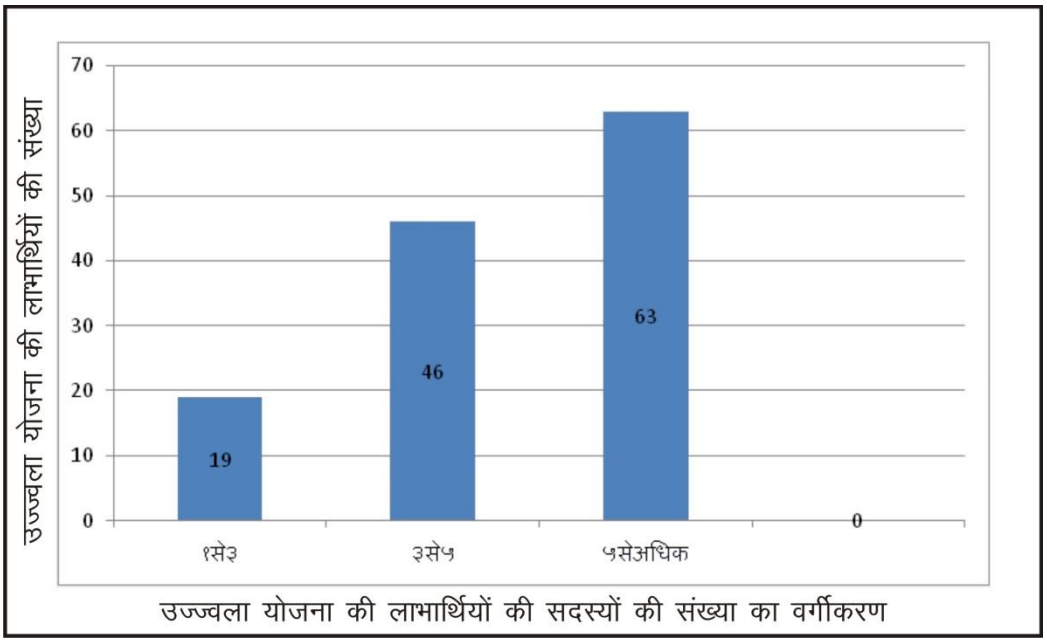

लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों की संख्या

उपरोक्त तालिका संख्या–12 में चयनित पंचायतों में लाभार्थी महिलाओं के परिवार के सदस्यों की संख्या का विवरण इस प्रकार है इसमें 5 से अधिक सदस्यो वाले परिवारों की संख्या 63 है। जिनका प्रतिशत् 49.21 है। जो कि सबसे अधिक है दूसरे स्थान पर 3 से 5 सदस्यों वाले परिवार है। जिनकी संख्या 46 एवम् प्रतिशत् 35.93 है। तथा तृतीय स्थान अर्थात् 1 से 3 सदस्यों वाले परिवार जिनकी संख्या 19 तथा प्रतिशत् 14. 84 है।

तालिका संख्या–13

लाभार्थियों के परिवार की मासिक आय(हजार रू0 में)

क्रमांक	परिवार की मासिक आय(हजार रू0)	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	1 से 5 हजार	15	11.71%
2.	5 से 10 हजार	96	75%
3.	10 से 15 हजार	15	11.71%
4.	15 से 20 हजार	2	1.56%
		कुल योग =128	

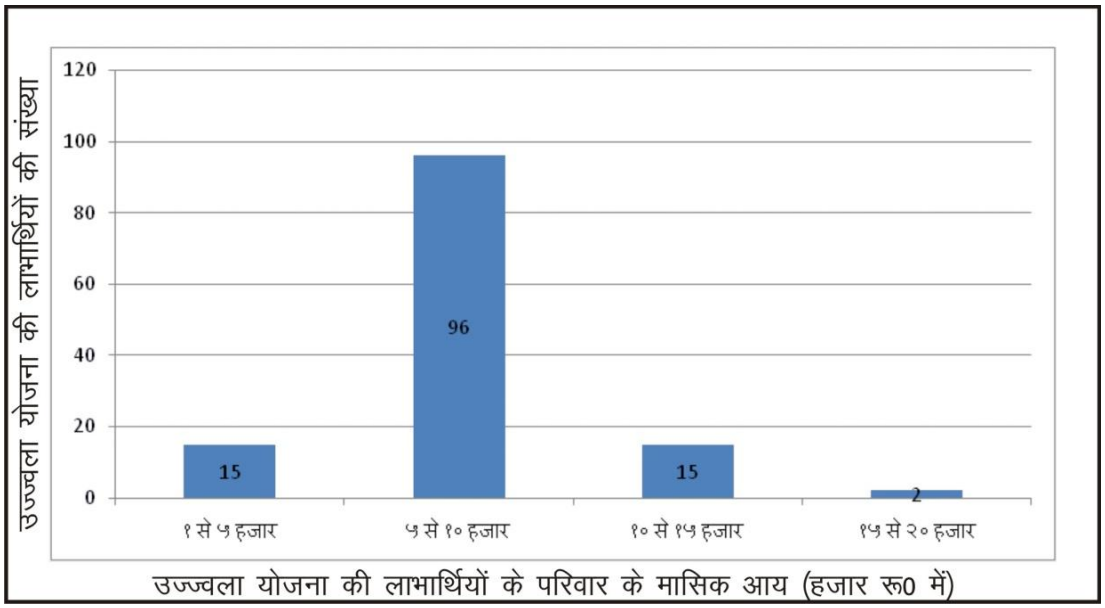

लाभार्थियों के परिवार की मासिक आय(हजार रू0 में)

उपरोक्त तालिका के अनुसार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय में सबसे अधिक प्रतिशत् 5 से 10 हजार आय वर्ग है। जिनकी संख्या 96 तथा प्रतिशत् 75 है। 1 से 5 हजार आय वर्ग की संख्या 15 तथा प्रतिशत् 11.71 है। और 10 से 15 हजार आय वर्ग की संख्या 15 तथा इनकी भी प्रतिशत् 11.71 प्रतिशत् है। एवम् 15 से 20 हजार आय वर्ग का प्रतिशत् 1. 56 तथा इनकी संख्या 2 है। जो कि सबसे कम है।

तालिका संख्या–14

लाभार्थियों की जातिगत श्रेणी

क्रमांक	जाति का वर्गीकरण	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	सामान्य	3	2.3437%
2.	पिछडा	21	16.40%
3.	अनुसूचित जाति	104	81.25%
4.	अनुसूचित जनजाति	-	-
		कुल योग =128	

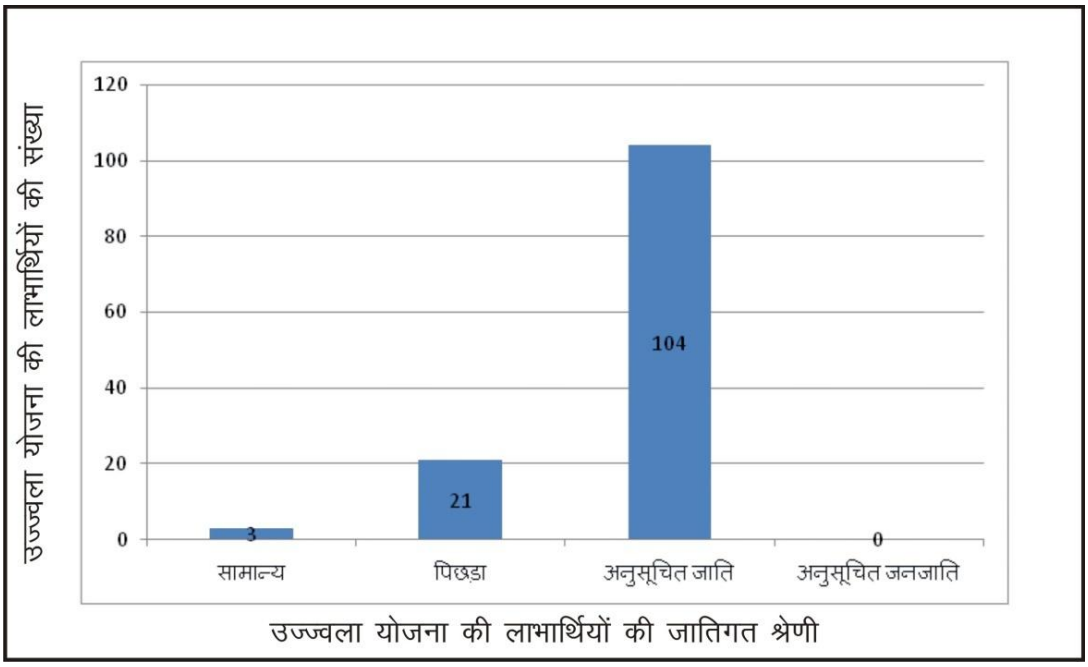

लाभार्थियों की जातिगत श्रेणी

उपरोक्त तालिका संख्या–14 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में सबसे अधिक जनसंख्या 81.25 प्रतिशत् अनुसूचित जाति की लाभार्थियों की है। जिनकी संख्या 104 है। एवम् 16.40 प्रतिशत् पिछडे जाति श्रेणी के लाभार्थी है। इनकी संख्या 21 है। एवम् 2.34 प्रतिशत् सामान्य जाति श्रेणी के लाभार्थी है।

तालिका संख्या–15

लाभार्थियों के धर्म का विवरण

क्रमांक	लाभार्थियों का धर्म	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हिन्दू	117	91.406%
2.	मुस्लिम	11	8.59%
3.	सिख	0	-
4.	अन्य	0	-
		कुल योग =128	

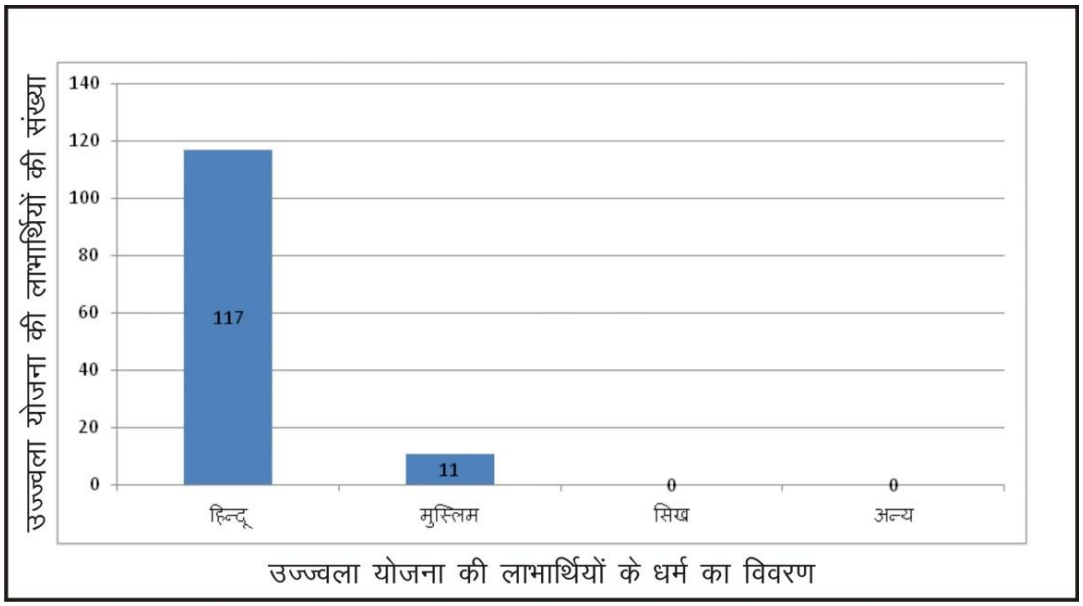

लाभार्थियों के धर्म का विवरण

उपरोक्त तालिका संख्या–15 से स्पष्ट है कि अध्यायन क्षेत्र में सर्वाधिक लाभार्थी हिन्दू धर्म की है। जिनकी संख्या 117 तथा प्रतिशत् 91.40 है। एवम् मुस्लिम धर्म की लाभार्थी की संख्या 11 एवम् प्रतिशत 8.59 हैं।

तालिका संख्या–16

उज्ज्वला योजना से मिले लाभों के विषय में जानकारी का विवरण

क्रमांक	योजना के लाभों की जानकारी	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	पूर्णरुप से जानकारी	50	39.06%
2.	बिल्कुल नही	27	21.09%
3.	आन्शिक जानकारी	51	39.84%
		कुल योग =128	

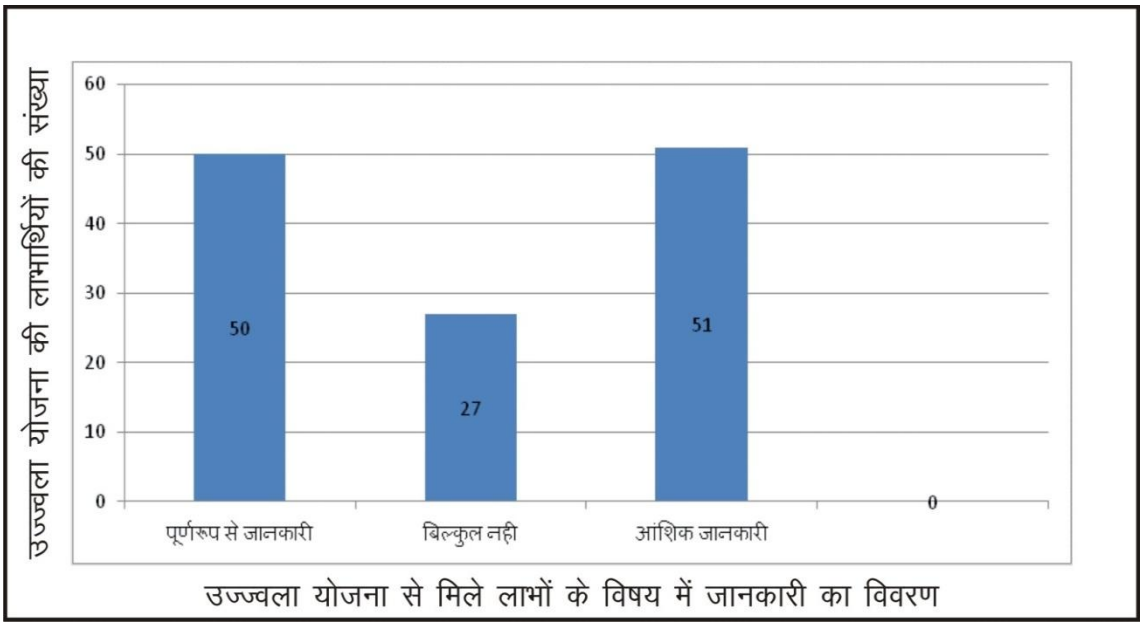

उज्ज्वला योजना से मिले लाभों के विषय में जानकारी का विवरण

उपरोक्त तालिका संख्या–16 से स्पष्ट है कि 39.84 प्रतिशत् महिलायें योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में आंशिक जानकारी रखती है। और 39.06 प्रतिशत् महिलायें ऐसी है। जिनको योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में पूर्णरुप से जानकारी है। तथा 21.09 प्रतिशत् ऐसी महिला लाभार्थी है। जिनको योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में बिल्कुल भी जानकारी नही है।

तालिका संख्या–17

उज्ज्वला योजना से पूर्व भोजन बनाने का स्त्रोत

क्रमांक	भोजन बनाने का स्त्रोत	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	एल.पी.जी.	0	0
2.	चूल्हा	128	100%
3.	अन्य	0	0
		कुल योग =128	

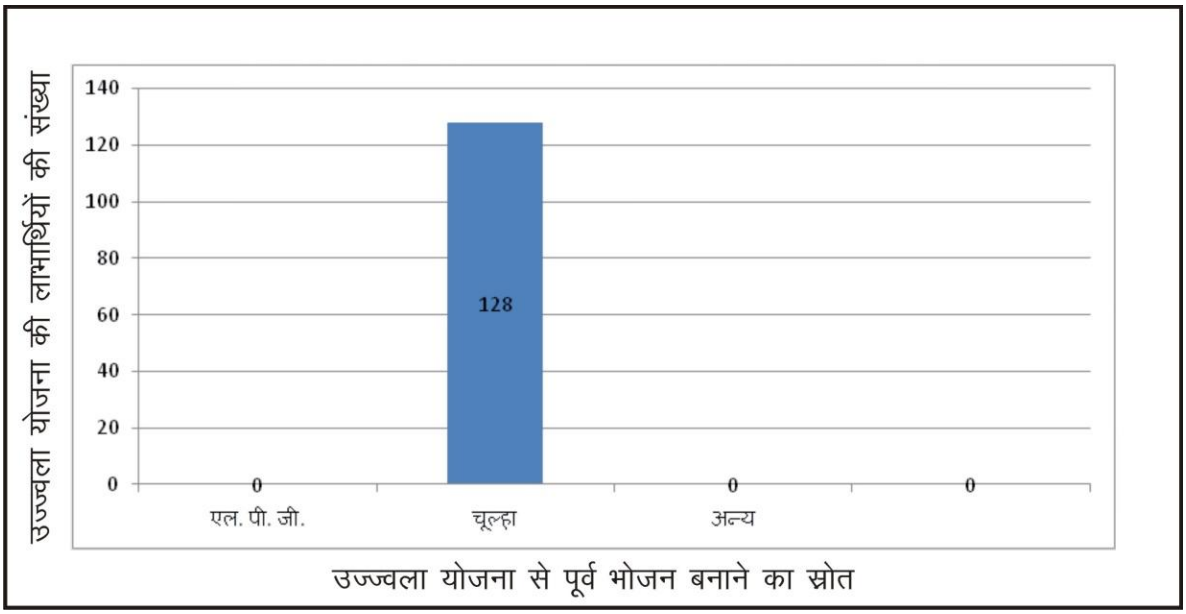

उज्ज्वला योजना से पूर्व भोजन बनाने का स्त्रोत

उपरोक्त तालिका संख्या–17 में चयनित पंचायतों में उज्ज्वला योजना से पूर्व 100 प्रतिशत् लाभार्थी के घर में भोजन बनाने स्त्रोत चूल्हा ही था।

तालिका संख्या–18

सुरक्षा उपायों की जानकारी का विवरण

क्रमांक	सुरक्षा उपायों की जानकारी	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	118	92.18%
2.	नही	20	15.62%
		कुल योग =128	

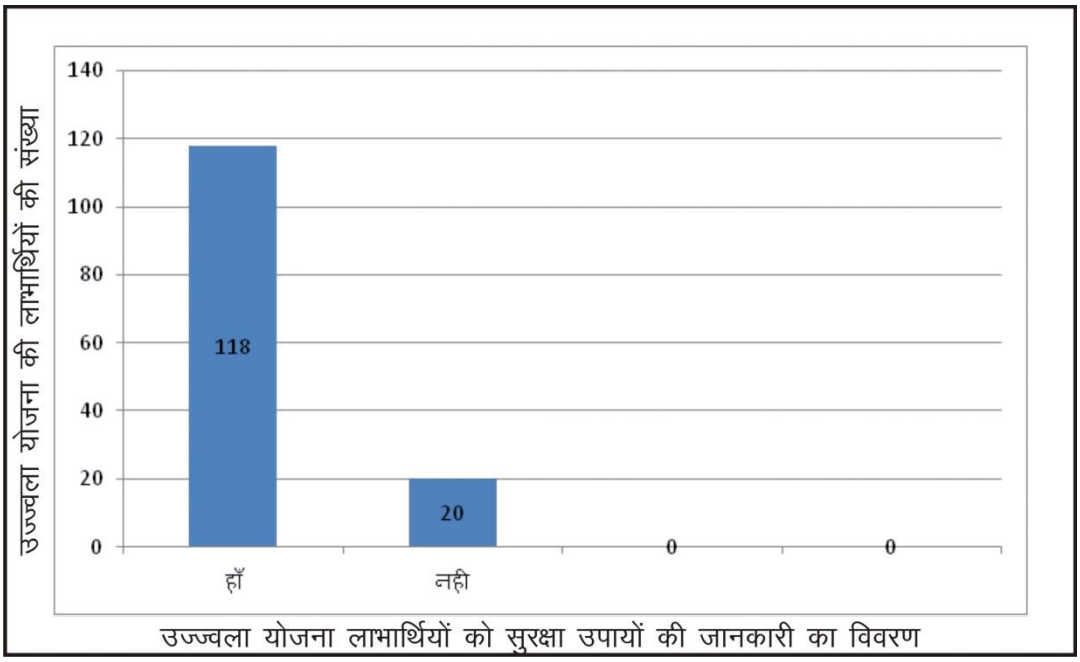

सुरक्षा उपायों की जानकारी का विवरण

उपरोक्त तालिका के अनुसार लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं में 92.18 प्रतिशत् है जिन्हें सुरक्षा उपायों की जानकारी है। इनकी संख्या 118 है। एवम् 20 महिलायें ऐसी है। जिनको एल.पी.जी. के प्रयोग के समय सुरक्षा उपायों की जानकारी नही है। इनका प्रतिशत् 15.62 है।

तालिका संख्या–19

प्रतिदिन भोजन बनाने में एल.पी.जी. का प्रयोग

क्रमांक	एल.पी.जी. का प्रयोग	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	प्रतिदिन	96	75%
2.	कभी–कभी	32	25%
		कुल योग =128	

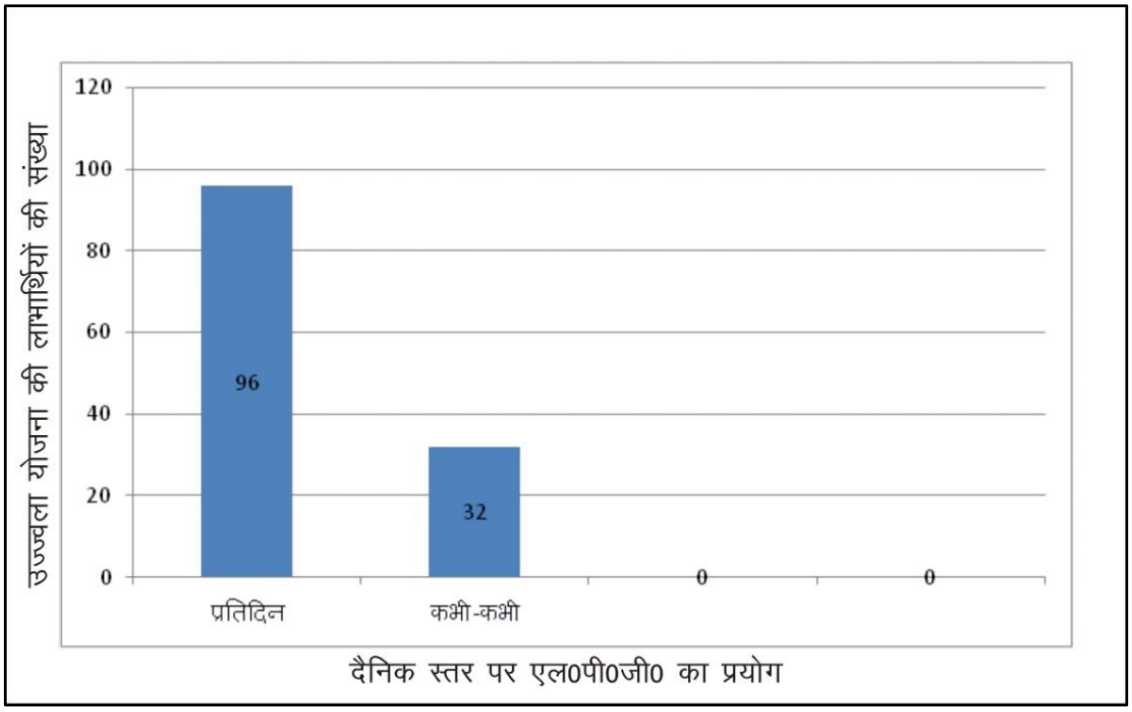

प्रतिदिन भोजन बनाने में एल.पी.जी. का प्रयोग

उपरोक्त तालिका संख्या–19 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में अध्ययन में यह पाया गया है कि 96 महिला लाभार्थी प्रतिदिन भोजन बनाने में एल.पी.जी. का प्रयोग करती है। इनका प्रतिशत् 75 है। वही दूसरी और 32 महिला लाभार्थी जिनका प्रतिशत् 25 है। भोजन बनाने में कभी–कभी एल.पी.जी. का प्रयोग करती है। अर्थात् प्रतिदिन भोजन बनाने में एल.पी.जी. का प्रयोग नही करती है।

तालिका संख्या–20

उज्ज्वला योजना से जीवन स्तर में सुधार

क्रमांक	जीवन स्तर में सुधार	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	अपेक्षित	86	67.18%
2.	थोडा	36	28.12%
3.	बिल्कुल नही	1	0.78%
4.	पता नही	5	3.906%
		कुल योग =128	

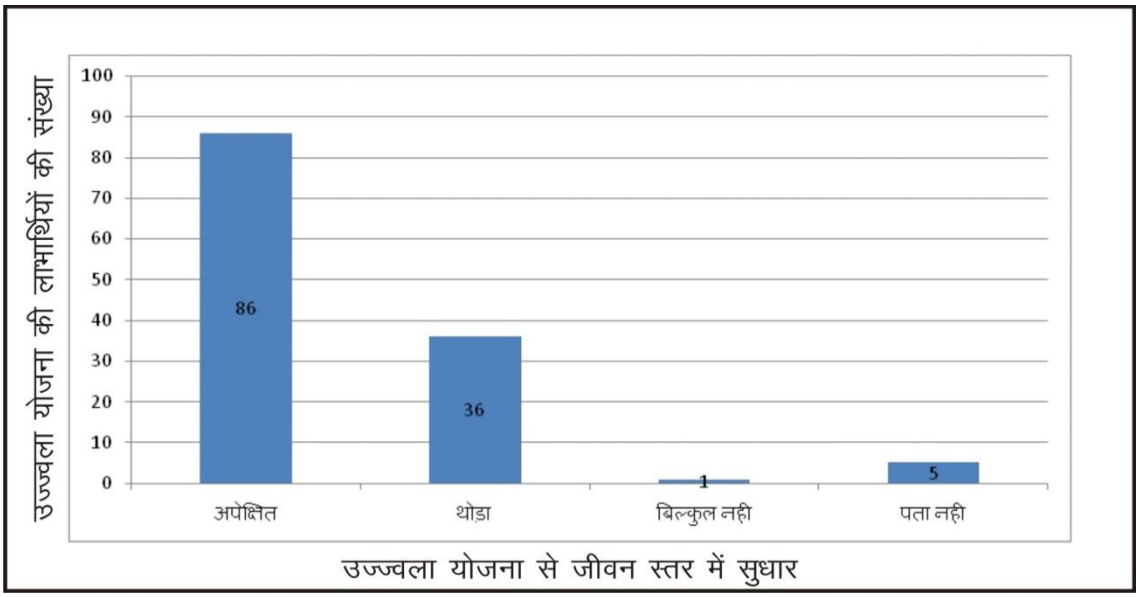

उज्ज्वला योजना से जीवन स्तर में सुधार

उपरोक्त तालिका संख्या–20 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में अध्ययन में यह पाया गया है कि 67.18 प्रतिशत् महिलायें जिनकी संख्या 86 है। के अनुसार उज्ज्वला योजना से उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार आया है। वही 28.12 प्रतिशत्, जिनकी संख्या 36 है। महिलाओं के अनुसार उनके जीवन स्तर में थोडा परिवर्तन आया है। 3.906 प्रतिशत् महिलाओं के अनुसार उन्हे पता नही है। तथा .78 प्रतिशत् महिलाओं के अनुसार उनके जीवन स्तर में बिल्कुल भी परिवर्तन नही आया है।

तालिका संख्या–21

उज्ज्वला योजना से पूर्व जीवन

क्रमांक	योजना से पूर्व जीवन	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	अपेक्षाकृत वर्तमान समय से ज्यादा संघर्षपूर्ण	128	100%
2.	अपेक्षाकृत वर्तमान समय से कम संघर्षपूर्ण	0	
3.	बिल्कुल संघर्षपूर्ण नही	0	
4.	बता नही सकती	0	
		कुल योग =128	

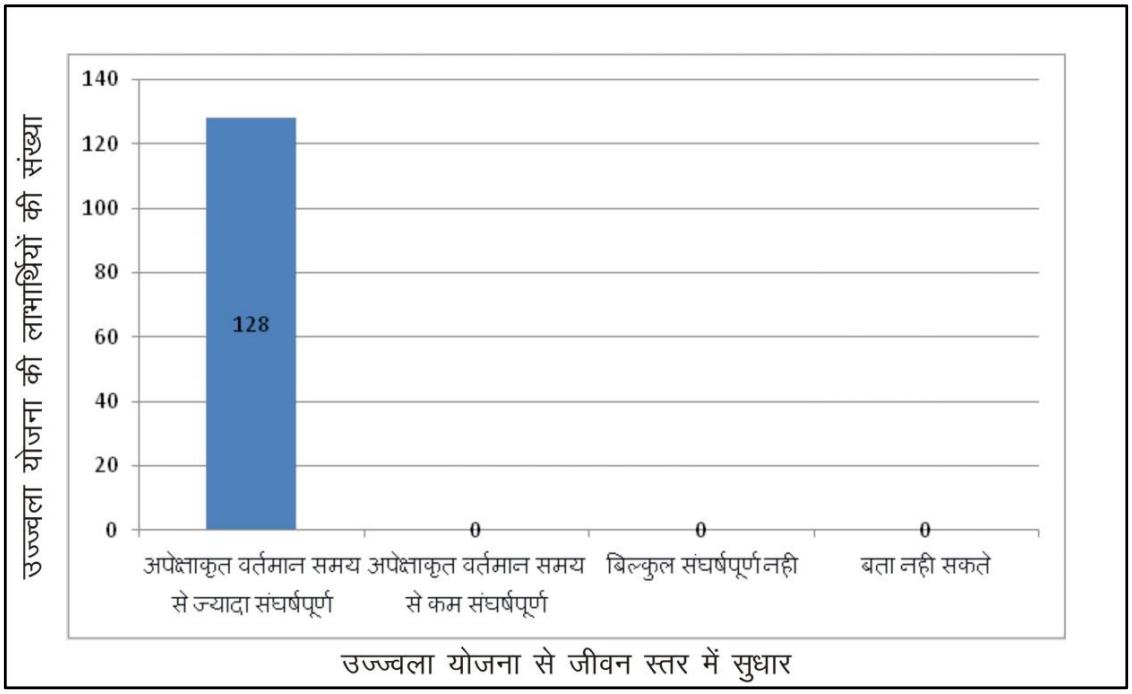

उज्ज्वला योजना से पूर्व जीवन

उपरोक्त तालिका संख्या–21 से स्पष्ट है कि 128 महिलाओं जिनका प्रतिशत्,100 हैं।ने माना कि उनका जीवन उज्ज्वला योजना से पूर्व अपेक्षाकृत वर्तमान समय से ज्यादा संघर्षपूर्ण था।

तालिका संख्या–22

एल.पी.जी. के प्रयोग से समय की बचत

क्रमांक	समय की बचत	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	128	100%
2.	नही	0	
		कुल योग =128	

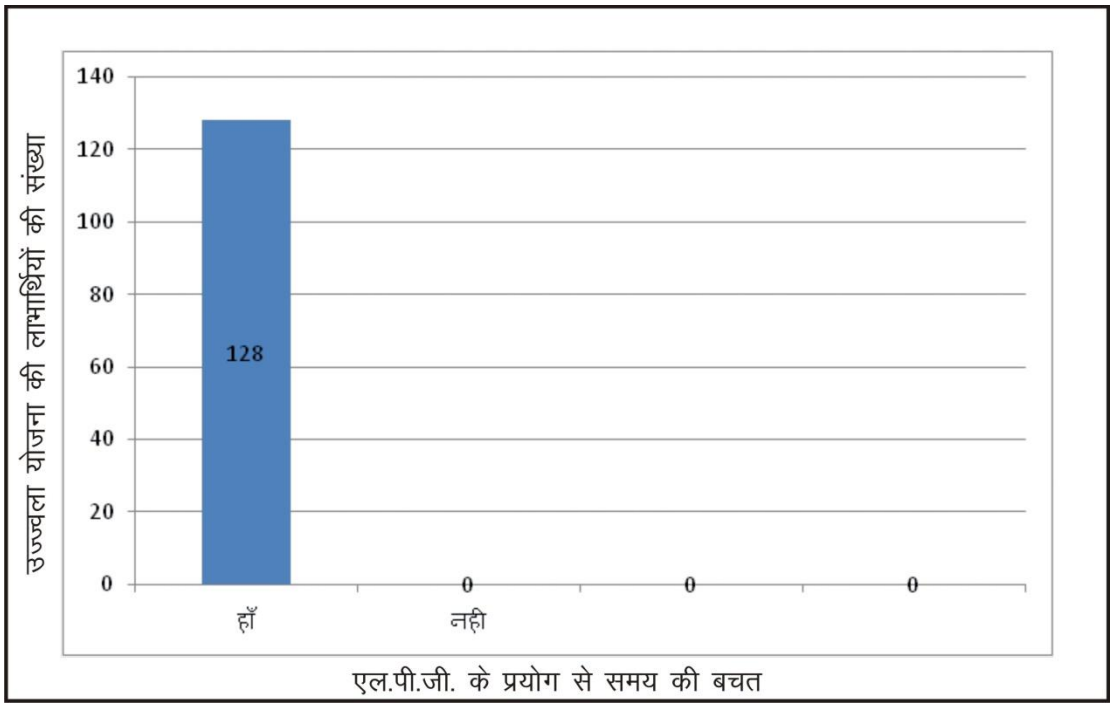

एल.पी.जी. के प्रयोग से समय की बचत

उपरोक्त तालिका संख्या–22 से स्पष्ट है कि 128 महिला लाभार्थियों के अनुसार एल. पी.जी. के प्रयोग से समय की बच होती हैं।

तालिका संख्या–23

एल.पी.जी. के प्रयोग से बचे समय का उपयोग

क्रमांक	समय का उपयोग	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	बच्चों को पढाकर	13	10.15%
2.	कोई अन्य व्यवसाय करके	7	5.46%
3.	बच्चों व परिवार के साथ अधिक समय बिता कर	45	35.15%
4.	अपने आप का ध्यान रखने में	35	27.34%
5.	अन्य तो, बतायें	28	21.87%
		कुल योग =128	

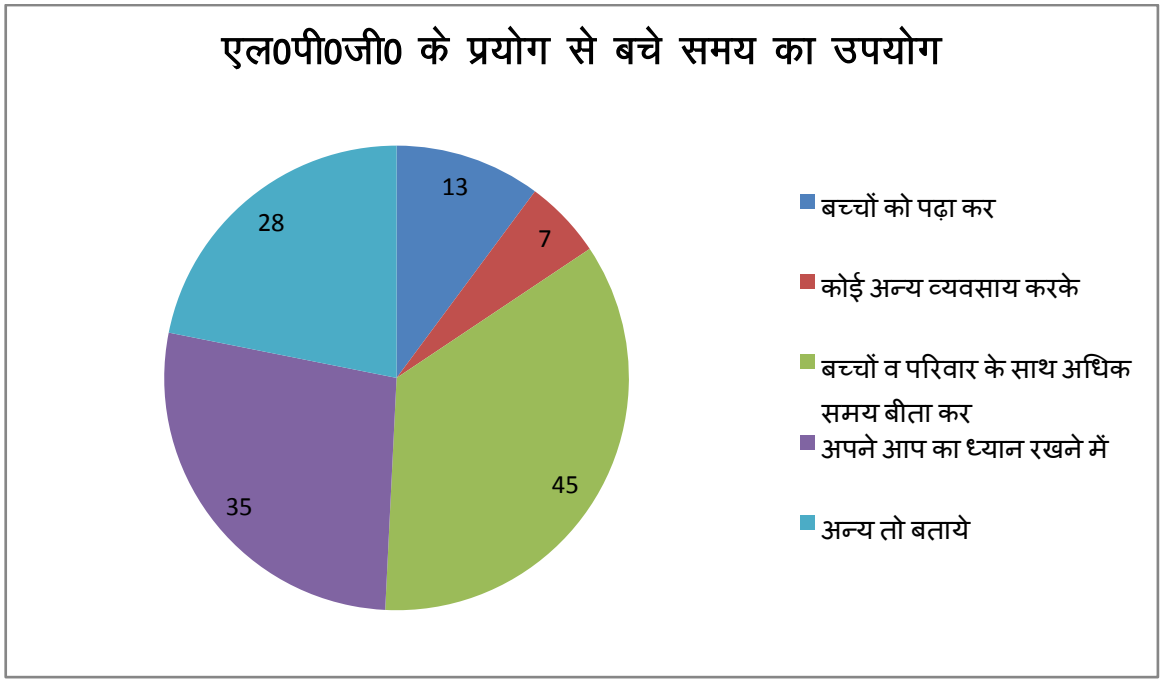

उपरोक्त तालिका संख्या–23 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की 35.15 प्रतिशत् महिला लाभार्थी एल.पी.जी. के प्रयोग से बचे समय का उपयोग अपने परिवार व बच्चों के साथ अधिक समय बिता कर करती है। 27.34 प्रतिशत् महिलायें इस समय का उपयोग अपने आप का ध्यान रखने में करती है। 21.87 प्रतिशत् महिला लाभार्थी अन्य कार्यों में अपने समय का प्रयोग करती है। एवम् 10.15 प्रतिशत् महिला लाभार्थी बच्चों को पढा कर अपने समय का उपयोग करती है। एवम् 5.46 प्रतिशत् महिला लाभार्थी अन्य व्यवसाय में अपने समय का उपयोग करती है।

तालिका संख्या–24

स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ

क्रमांक	स्वास्थ्य को लाभ	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	126	98.43%
2.	नही	0	-
3.	पता नही	1	0.78%
4.	बताना नही चाहती	1	0.78%
		कुल योग =128	

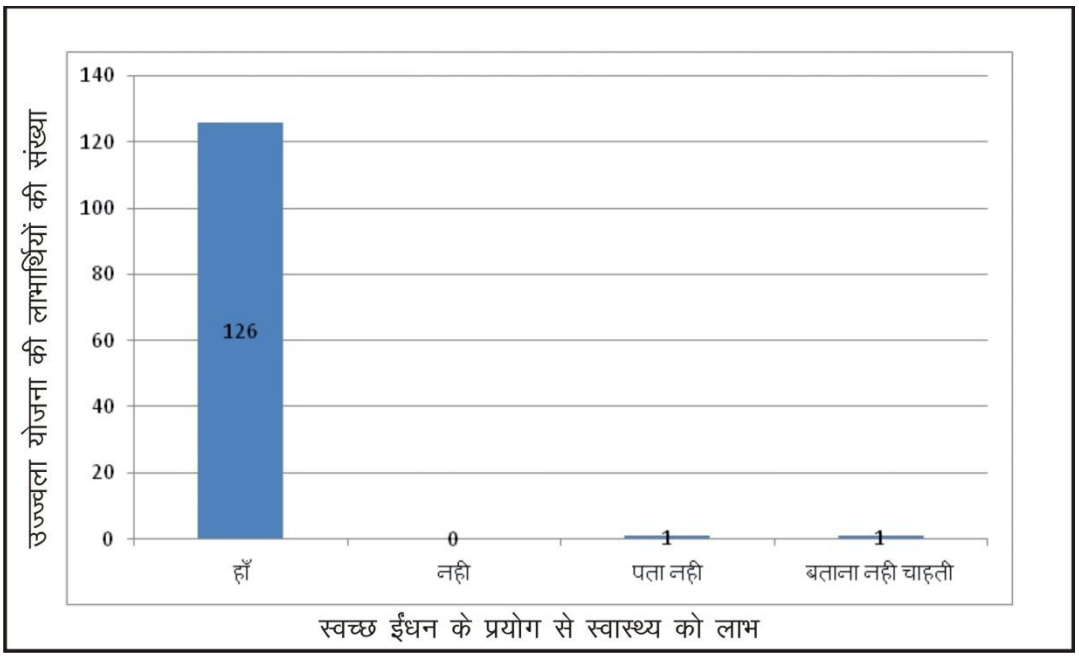

स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ

उपरोक्त तालिका संख्या–24 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में अध्ययन में यह पाया गया है कि 98.43 प्रतिशत् लाभार्थियों ने माना कि स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुॅचा है। वही .78 प्रतिशत् लाभार्थियों के अनुसार पता नही है कि उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुॅचा है या नही। वही .78 प्रतिशत् लाभार्थी इसके विषय में बताना नही चाहती है।

तालिका संख्या–25

घर से बाहर जलावन के लिये न जाने के कारण सुरक्षित अनुभव

क्रमांक	सुरक्षा	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	98	76.56%
2.	नही	3	2.34%
3.	बताना नही चाहती	27	21.09%
		कुल योग =128	

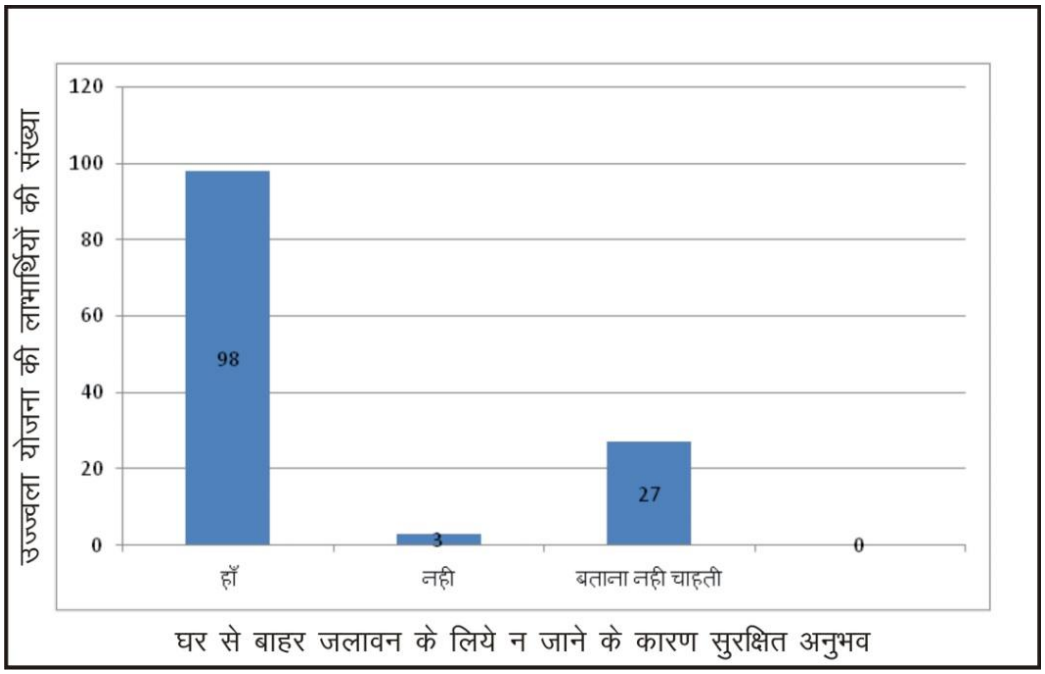

घर से बाहर जलावन के लिये न जाने के कारण सुरक्षित अनुभव

उपरोक्त तालिका संख्या–25 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में 76.56 प्रतिशत् महिला लाभार्थी जलावन की सामग्री–यथा लकडिया,उपले ,सूखी पत्तियॉ इत्यादि को एकत्र करने के लिए घर से बाहर न जाने के कारण अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। वही दूसरी ओर 21.09 लाभार्थी बताना नही चाहती है। तथा 2.34 प्रतिशत् लाभार्थी अपने आप को सुरक्षित अनुभव नही करती

तालिका संख्या–26

एल.पी.जी. भरवाने में असुविधा का विवरण

क्रमांक	एल.पी.जी. प्राप्त करने में असुविधा	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	5	3.90%
2.	नही	85	66.40%
3.	कभी–कभी	38	29.68%
		कुल योग =128	

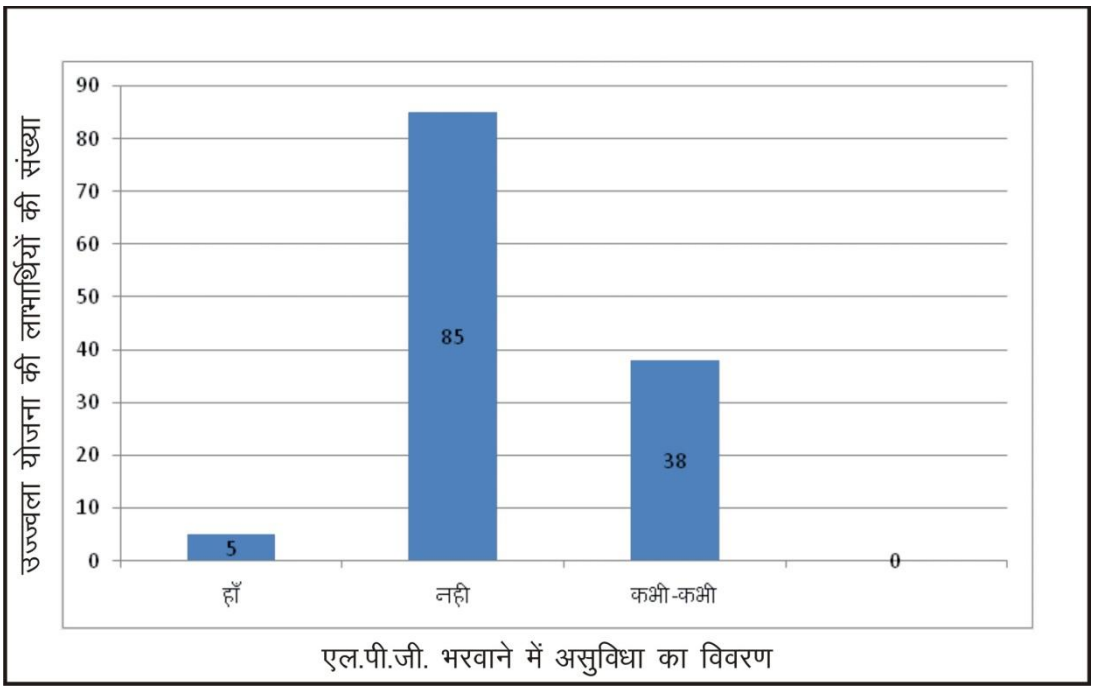

एल.पी.जी. भरवाने में असुविधा का विवरण

उपरोक्त तालिका संख्या–26 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र 66.40 प्रतिशत् लाभार्थियों के अनुसार उन्हें एल.पी.जी. भरवाने में असुविधा नही होती है। तथा 29.68 प्रतिशत् लाभार्थियों के अनुसार उन्हें कभी–कभी असुविधा होती है। 3.90 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें एल.पी.जी. भरवाने में असुविधा होती है।

तालिका संख्या–27

एल.पी.जी. सिलेण्डर की समय से प्राप्ति का विवरण

क्रमांक	सिलेण्डर की समय से प्राप्ति	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	122	95.312%
2.	नही	6	4.68%
		कुल योग =128	

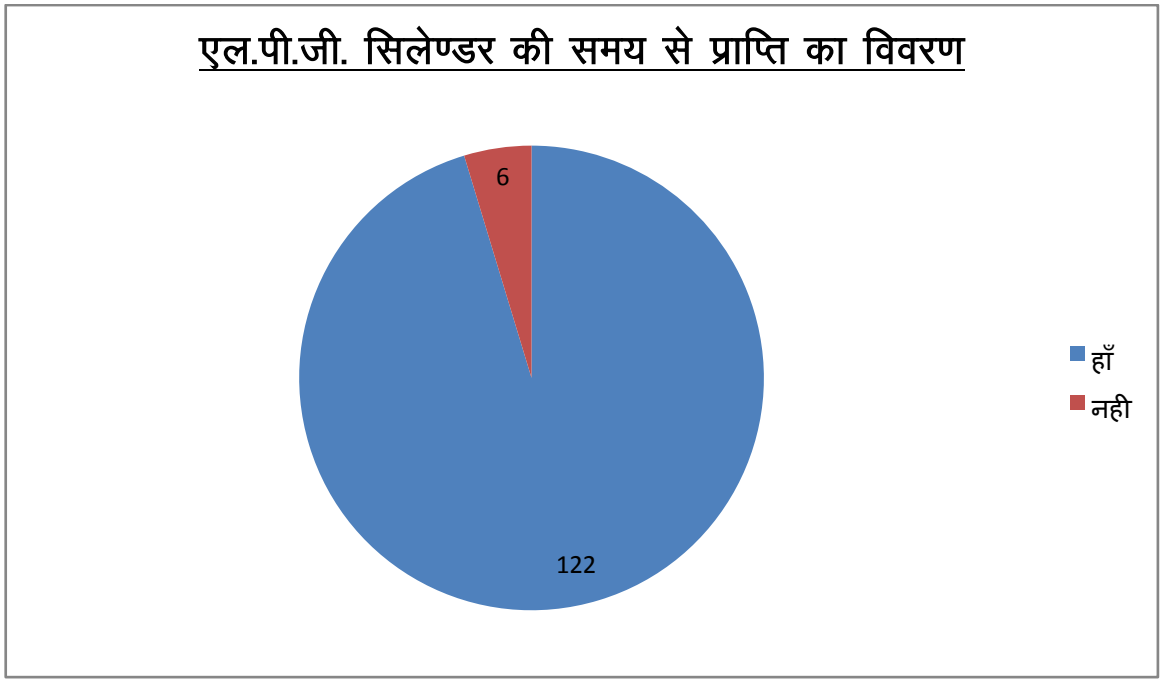

उपरोक्त तालिका संख्या–27 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में 95.31 प्रतिशत् लाभार्थी महिला जिनकी संख्या 122 है। उनको एल.पी.जी. सिलेण्डर की समय से प्राप्त हो जाता है। वही दूसरी ओर 4.68 प्रतिशत् लाभार्थी महिला जिनकी संख्या 6 है उनको एल.पी.जी. सिलेण्डर की समय से प्राप्त नही होता है।

तालिका संख्या–28

भोजन बनाने में सुविधाजनक का विवरण

क्रमांक	भोजन बनाने में सुविधाजनक	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	गैस	128	100%
2.	चूल्हा	-	-
		कुल योग =128	

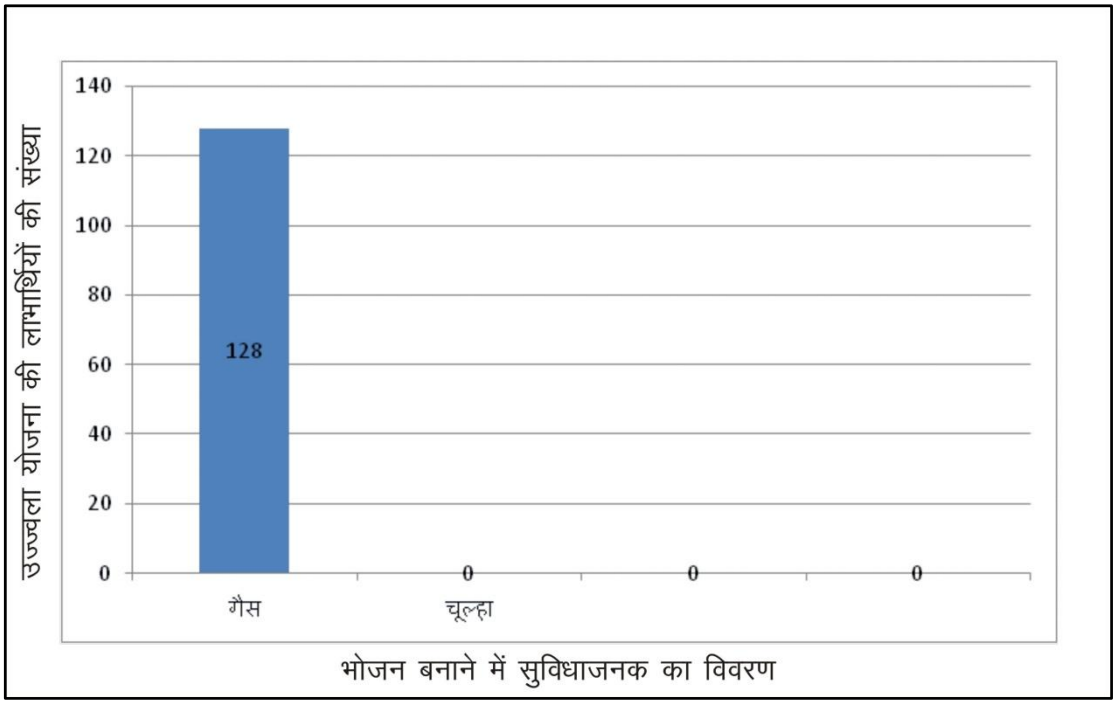

भोजन बनाने में सुविधाजनक का विवरण

उपरोक्त तालिका संख्या–28 से स्पष्ट है कि लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों में अध्ययन के अनुसार 128 लाभार्थी महिला जिनका प्रतिशत् 100 है। जो भोजन बनाने के लिये चूल्हा की अपेक्षा गैस अधिक सुविधाजनक लगता है।

तालिका संख्या–29

सिलेण्डर भरवाने के लिये पैसों का प्रबन्धन

क्रमांक	पैसो का प्रबन्धन	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	48	37.5%
2.	नही	80	62.5%
		कुल योग =128	

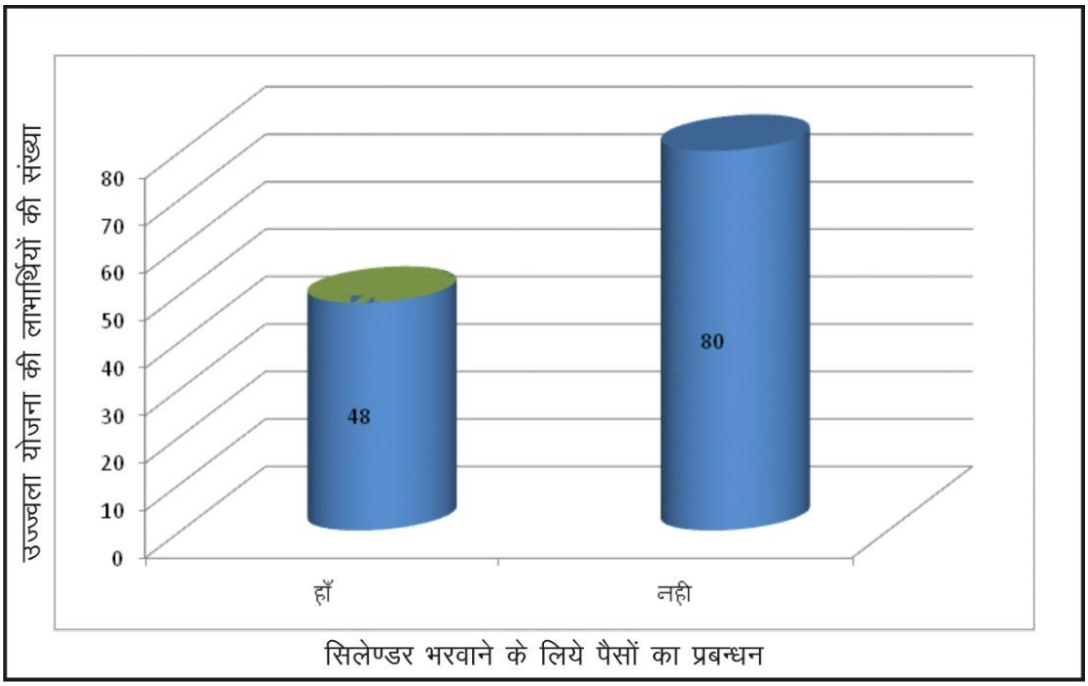

सिलेण्डर भरवाने के लिये पैसों का प्रबन्धन

उपरोक्त तालिका संख्या–29 से स्पष्ट है कि चयनित पंचायतों में अध्ययन में पाया गया है। कि 62.5 प्रतिशत् महिला लाभार्थियों को सिलेण्डर भरवाने के लिये पैसों के प्रबन्धन में परेशानी होती है। तथा 37.5 प्रतिशत् लाभार्थियों को सिलेण्डर के लिये पैसों के प्रबन्धन में समस्या नही होती है।

तालिका संख्या–30

योजना से जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग का विवरण

क्रमांक	बेहतर जीवन	लाभार्थियों का संख्या	प्रतिशत्
1.	हॉ	126	98.43.%
2.	नही	0	-
3.	पता नही	2	1.56%
4.	उत्तर देना नही चाहती	0	-
		कुल योग =128	

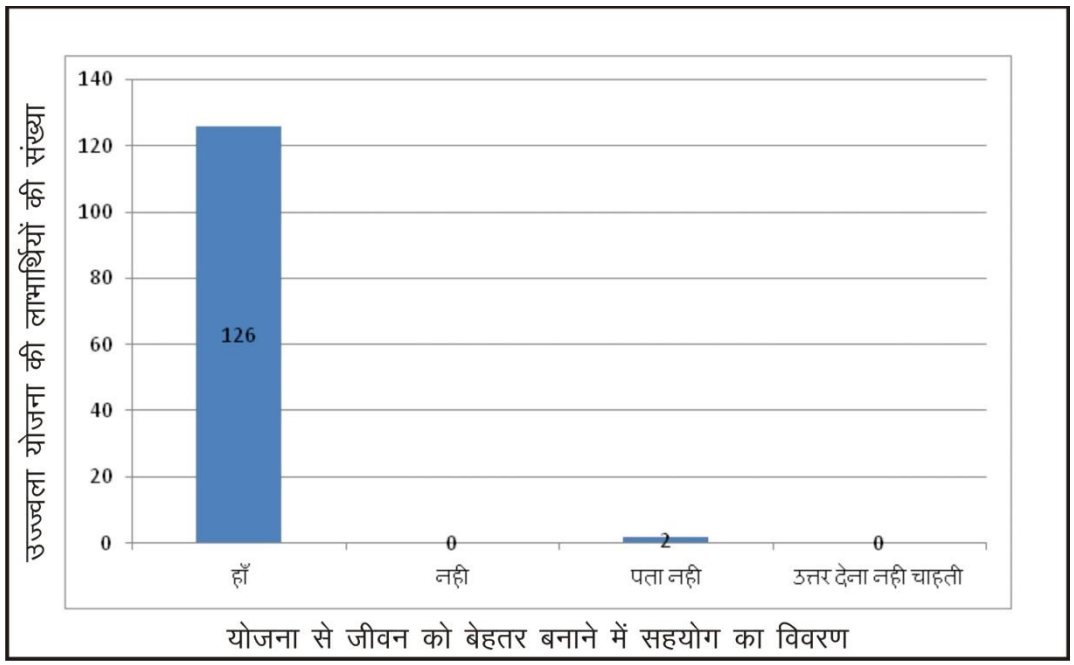

योजना से जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग का विवरण

उपरोक्त तालिका संख्या–30 के अनुसार चयनित पंचायतों में अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 98.43 प्रतिशत् लाभार्थी के जीवन को बेहतर बनाने में उज्ज्वला योजना ने सहयोग किया है। जबकि 1.56 प्रतिशत् लाभार्थियों के अनुसार उन्हें पता नही है।

प्रश्न 11 से संबंधित अवलोकन – उज्ज्वला योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी के विषय में

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 39.06 प्रतिशत् महिला लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में पूर्व जानकारी है तथा 21.09 प्रतिशत् महिलाओं को योजना से मिलने वाले लाभों विषय में बिल्कुल भी जानकारी नही है। एवम् 39.84 प्रतिशत् महिलाओं को योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में जानकारी है।

प्रश्न12 से संबंधित अवलोकन – उज्ज्वला योजना से पूर्व घर में भोजन बनाने का स्त्रोत

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों में समस्त लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उनके घर में इस योजना से पूर्व भोजन बनाने का प्रमुख स्त्रोत चूल्हा ही था। वे अपने परिवार के लिये सम्पूर्ण भोजन चूल्हे पर ही बनाती थी।

प्रश्न13 से संबंधित अवलोकन – गैस से भोजन बनाते समय समुचित सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 92.18 प्रतिशत् लाभार्थियों को सुरक्षा उपायों की पूर्ण जानकारी है। परन्तु अध्ययन में पाया गया कि लाभार्थी महिलाये सुरक्षा उपायों को पूर्ण रूप से नही अपनाती है। तथा 15.62 प्रतिशत् लाभार्थिओं को सुरक्षा उपायों की जानकारी नही है। परन्तु वे महिलायें अन्य महिलाओं को देखकर या उनसे पूछकर सुरक्षा उपायों को अपनाती हैं।

प्रश्न14 से संबंधित अवलोकन – प्रतिदिन भोजन बनाने में उज्ज्वला योजना से प्राप्त एल.पी.जी. का प्रयोग

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 75 प्रतिशत् लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे प्रतिदिन भोजन बनाने में एल. पी. जी. का प्रयोग करती है परन्तु अध्ययन में पाया गया है कि लाभार्थी महिलायें कुछ भोजन जैसे (सब्जी,दाल आदि) गैस पर तथा रोटी आदि चूल्हे पर बनाती है कुछ परिवारों में जिनके घर बच्चे पढने जाते है तो सुबह में जल्दी रहती है वे एक समय का भोजन गैस पर तथा शाम का भोजन चूल्हे पर बनाती है। तथा 17.96 प्रतिशत् लाभार्थी भोजन बनाने में कभी–कभी एल.पी.जी. का प्रयोग करती है परन्तु अध्ययन में पाया गया कि ऐसी लाभार्थी महिलायें भोजन बनाने में एल.पी.जी. का प्रयोग तब करती है जब उन्हें कहीं बाहर जाना हो या फिर घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाने पर।

प्रश्न15 से संबंधित अवलोकन – उज्ज्वला योजना से जीवन स्तर में सुधार से सम्बन्धित

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 67.18 प्रतिशत् ग्रामीण लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तथा 28.12 प्रतिशत् लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना से उनके जीवन में सुधार बहुत सुधार हो रहा है। .78 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में बिल्कुल भी सुधार नही हुआ है। एवम् 3.90 प्रतिशत् महिलाओं ने स्पष्ट रूप से नही बता पाया कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है या नही।

प्रश्न16 से संबंधित अवलोकन – उज्ज्वला योजना से पूर्व जीवन से सम्बन्धित

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की योजना से लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि उनका जीवन पहले वर्तमान समय से ज्यादा संघर्षपूर्ण था। उन्हें भोजन बनाते समय विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्यायें होती थी।

प्रश्न17 से संबंधित अवलोकन – गैस (एल.पी.जी.) से भोजन बनाने से समय की बचत से सम्बन्धित

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की समस्त लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि गैस पर भोजन बनाने से उनके समय की बचत होती है। इस बचे हुये समय को लाभार्थी महिलायें अपनी व अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार सदुपयोग कर रही है।

प्रश्न18 से संबंधित अवलोकन – भोजन बनाने में बचे समय का उपयोग से सम्बन्धित

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं में 10.15 प्रतिशत् महिलायें अपने बचे समय का उपयोग अपने बच्चों की पढाई सम्बन्धित कार्यो में सहायता करने और उनको होमवर्क कराने आदि तथा 5.46 प्रतिशत् महिलाओं जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करती है। वे अपने व्यवसाय में अधिक समय दे पाती है एवम् 35.15 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया है कि पहले चूल्हे पर भोजन बनाने में बहुत अधिक समय लगने के कारण वे अपने परिवार तथा बच्चों को अधिक समय दे पाती है। वही दूसरी ओर 27.34 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया कि अब उन्हें अपने लिये भी थोडा समय मिल जाता है 21.87 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया ि कवे बचे समय में कढाई–बुनाई कर लेती है जिससे उन्हें कुछ पैसे प्राप्त हो जाते है।

प्रश्न19 से संबंधित अवलोकन – स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ पहुॅचा है

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी ने अध्ययन में बताया कि स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से 98.43 प्रतिशत् महिलाओं को लाभ पहुॅचा है। तथा उनके बच्चों को भी धुये से मुक्ति मिल गयी है।

प्रश्न20 से संबंधित अवलोकन – स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से ईंधन के लिये घर से बाहर नही जाने के सम्बन्ध में

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 76.56 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया कि (एल.पी.जी.) गैस के प्रयोग स ेअब उन्हें व उनके बच्चों को खेतो व बागों से जलाने के लिये समय–असमय लकडी लेने व कण्डे, उपलो के लिये घर से बाहर नही जाना पडता है। जिससे वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है वही 2.34 प्रतिशत् महिलायें अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस नही करती है क्योंकि उनके अनुसार समाज में महिलायें कही भी सुरक्षित नही है वही दूसरी ओर 21.09 प्रतिशत् लाभार्थी महिलायें इसके बारे में बताना नही चाहती है कि वह सुरक्षित अनुभव करती है या नही।

प्रश्न21 से संबंधित अवलोकन – एल.पी.जी. सिलेण्डर प्राप्त करने में असुविधा से सम्बन्धित

लखनऊ जिले की अध्ययन क्षेत्र की पंचायतों की लाभान्वित महिलाओं में 3.90 प्रतिशत् ने बताया कि उन्हें एल.पी.जी सिलेण्डर भरवाने में असुविधा महसूस होती हैं जबकि 66.40 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया कि उन्हें एल.पी.जी सिलेण्डर भरवाने में कोई असुविधा नही होती है। तथा 29.68 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें सिलेण्डर भरवाने में कभी–कभी असुविधा होती है। मुख्यतः त्यौहार के समय।

प्रश्न22 से संबंधित अवलोकन – आप को सिलेण्डर समय से प्राप्त हो जाता हैं।

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की 95.31 प्रतिशत् लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें सिलेण्डर समय से प्राप्त हो जाता है। तथा 4.68 प्रतिशत् महिलाओं ने बताया कि उन्हें सिलेण्डर समय से प्राप्त नही होता है।

प्रश्न23 से संबंधित अवलोकन – आप को भोजन बनाने में क्या अधिक सुविधाजनक लगता है

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की समस्त महिलाओं ने बताया कि उन्हें गैस पर भोजन बनाना अधिक सुविधाजनक लगता है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि लाभार्थी महिलायें गर्मियों और बरसात के दिनों में अधिकतर गैस(एल.पी.जी.) पर खाना बनाती है परन्तु जाडे या सर्दी के मौसम में वे खाना बनाने के लिये चूल्हे का प्रयोग करती है।

प्रश्न24 से संबंधित अवलोकन – प्रत्येक महीने सिलेण्डर भरवान के लिये पैसो का प्रबन्ध आसानी से हो लाता है।

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों का 37 प्रतिशत् लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें एल. पी.जी. सिलेण्डर भरवाने के लिये पैसो का प्रबन्ध आसानी से हो जाता है। वही 62.5 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें सिलेण्डर भरवाने के लिये पैसो के प्रबन्ध में समस्या होती है।क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार रहते है। जिनके घर में आय का कोई निश्चित स्रोत नही है।

प्रश्न25 से संबंधित अवलोकन – क्या उज्ज्वला योजना ने आप के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग किया है।

लखनऊ जिले चयनित पंचायतों की 98.43 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन को बेहतर बनाने मेंहयोग दिया है। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि ससस से उन्हे भोजन बनाने में अधिक सुविधा हो गयी हैं पहले चूल्हे पर भोजन बनाने में बहुत अधिक परेशानी व असुविधा होती थी और समय भी अधिक लगता था सबसे अधिक समस्या बरसात के दिनों में होती थीं। इस योजना से इन सब समस्याओं से छुटकारा दिला कर उनके जीवन की बेहतर कर दिया हैं। वही 1.56 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं के अनुसार उन्हें पता नही है। कि योजना से उनका जीवन बेहतर हुआ हैं या नही। परन्तु अध्ययन में पाया गया कि इस योजना से गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिर्वतन आया है।

प्रश्न26 से संबंधित अवलोकन – उज्ज्वला योजना से आप के व्यक्तिगत जीवन में क्या परिर्वतन आया है।

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी अधिक परिर्वतन आया है। पहले उन्हें चूल्हें पर भोजन बनाने में समय व कष्ट दोनो ही अधिक होता था। परन्तु गैस पर भोजन बनाने के कारण इन समस्यायों से आराम मिल गयी है, चूल्हे के बर्तन अधिक काले व जल जाते थे जिन्हे साफ करने में अधिक समय लगता था और हांथ भी बर्तन साफ करने में काले हो जाते थे। जिससे उनके हांथ देखने में अच्छे नही लगते थे। अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल गया है वही कुछ लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि चूल्हे पर भोजन बनाने से उन्हें ऑखों में धुँए के कारण समस्या होती थी तथा गर्मियों में तो चूल्हे पर भोजन बनाना अधिक कष्टप्रद होता था गैस पर भोजन बनाने से इन सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिल गयी है। एवम् इस परिप्रेक्ष्य से उनका व्यक्तिगत जीवन आरामदायक हो गया है। लगभग सभी लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि अब स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑखों में धुआँ, जलन धुए से होने वाली खांसी से बहुत अधिक आराम मिल गया है।

प्रश्न27 से संबंधित अवलोकन –आप के पारिवारिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की महिलाओं ने अध्ययन में बताया कि उज्ज्वला योजना पारिवारिक जीवन में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये, अब वे बच्चों के पसन्द का खाना बनाने, बच्चों को होमवर्क करवाने तथा परिवार के लिये ज्यादा समय दे पाती है। पहले घर में चूल्हे पर भोजन बनाने से बच्चों की पसन्द (मैगी) का खाना बनाने में

थोडी समस्या होती थी। अब वो तुरन्त ही बच्चों के प्रसन्द का खाना बनाकर उन्हें दे पाती है।

प्रश्न28 से संबंधित अवलोकन – आप के आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है

लखनऊ जिले की अध्ययन क्षेत्र की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उनके आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। अब व्यवसायी महिलायें अपने व्यवसाय को अधिक समय दे पाती है। एक लाभार्थी जो कि परचून की दुकान करती है। उन्होने बनाया कि पहले सुबह और शाम के समय दुकान उनके परिवार के किसी सदस्य को देखनी पडती थी या फिर उस समय दुकान बन्द करनी पडती थी परन्तु घर में गैस आ जाने के कारण अब वह जल्दी से खाना बना कर पूरे समय वही दुकान देखती है जिससे उनके परिवार के सदस्य खेती व अन्य कार्यों को अधिक ठीक से देख लेते है। और उनकी अधिक बिक्री भी हो जाती है। घरेलू महिलाओं ने बताया कि उनके आर्थिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नही आया है। परन्तु अध्ययन में पाया गया है कि जो महिलायें गृहणी है वे खेती सम्बन्धी कार्यों में सहयोग देकर परोक्ष रूप से अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला पा रही है।

प्रश्न29 से संबंधित अवलोकन – आप के सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं ने बनाया कि उनके सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया है अब कि उन्हें किन्ही सामाजिक कार्यों जैसे किसी की सहायता करने, अपने से मिलने जाने, या गॉव में ही कोई आयोजन आदि में सम्मिलित होने में समस्या नही होती है। क्योंकि घर में बाहर निकलने पर उन्हें समाज के बारे में नयी–नयी जानकारी प्राप्त होती है।

प्रश्न30 से संबंधित अवलोकन – आप के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही है

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की योजना से लाभान्वित अधिकांश महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से समाज की पिछडी व सामाजिक रूप से हसिये पर महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के जीवन को सरल व सुगम बनाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने व उन्हें समाज में सम्मान दिलाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुई है। कुछ लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितनी आसानी से एल.पी.जी. गैस उपलब्ध हो गयी है वह सपना जैसा लगता था जो इस योजना के

माध्यम से ही साकार हुआ है। इस योजना के माध्यम से ही गरीब परिवार के लिये छोटे से कदम से उनके जीवन में बडा परिवर्तन आया है।

प्रश्न31 से संबंधित अवलोकन – आप की राय में उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप को क्या–क्या लाभ व सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये

लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि यदि इस योजना के माध्यम से सरकार गैस के सिलेण्डर के दामों में कमी कर दें तो वह आसानी से सिलेण्डर प्राप्त कर सके। और गैस पर भोजन बना सके। और उन पर अधिक आर्थिक भार भी नही पडेगा।

पंचम अध्याय

चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना से लाभान्वित कुछ महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन–1

मंगला जी इनकी उम्र 35 वर्ष है उन्होने बताया कि ये सलेमपुर पतौरा पंचायत की रहने वाली है वे अनुसूचित जाति की है उन्होने बताया कि वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। तथा उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहुत अधिक लाभ हुआ है उन्होने बताया कि गैस पर भोजन बनाने से उन्हें बहुत अधिक आराम मिला है अब इन्हें भोजन बनाते समय ऑखो में धुऑ नही लगता, तथा ऑखों में जलन नही होती है, मंगला जी के अनुसार पहले इन्हें चूल्हे पर खाना बनाते समय बहुत अधिक खॉसी आती थी। अब गैस पर खाना बनाने के कारण धीरे–धीरे खॉसी में बहुत आराम हो गया है। इनके पति मजदूरी व खेती करते है। इनके घर में आय का कोई निश्चित स्त्रोत नही है। इनके पति की तबियत ठीक नही रहती है। इसलिए इनकी आमदनी का कुछ भाग दवाईयों पर ही खर्च हो जाता है। मंगला जी ने बताया कि इन्हें उम्मीद नही थी कि अन्य घरों की तरह इनके घर में भी कभी गैस होगी परन्तु यह उज्ज्वला योजना के कारण उन्हें भी यह अवसर प्राप्त हुआ है उन्होने बताया कि इन्हें पहले चूल्हे पर खाना बनाने के कारण बरसात में बहुत अधिक परेशानी होती थी। क्योंकि उनका घर भी अधिक बडा नही है। उनके पास एक कमरा तथा बरामदा है। जिसके कारण उन्हें लकडी व कण्डें रखने की व्यवस्था नही है। बरसात के दिनों में लकडी गीली होती है इसलिए उसे जलाने में बहुत अधिक समय लगता था। तथा धुऑ भी ज्यादा होता था गैस पर भोजन बनाने के कारण अब इन समस्याओं का अन्त हो गया है। तथा गैस पर जल्दी खाना बना लेने के कारण अब वह घर पर ही कुर्ता व साडी कढाई का काम कर लेती है। जिसके कारण वे पहले से अधिक पैसे कमा लेती है। मंगला जी के अनुसार पहले चूल्हे पर भोजन बनाने के कारण चूल्हे के बर्तन बहुत अधिक काले हो जाते थे जिन्हें साफ करने में अधिक समय लगता था। और जाडे के दिनों में तो और भी अधिक समस्या होती है। और अब गैस पर खाना बनाने से बर्तन काले नही होते है। तथा उन्हें साफ करने में समय भी कम लगता है। मंगला जी के अनुसार उनकी गैस (एल.पी.जी.) समाप्त हो जाने पर अगली बार सिलेण्डर भरवाने में उन्हें कभी–कभी पैसों का प्रबन्ध न हो पाने के कारण 10 से 15 दिन भी लग जाते है। इन दिनों में उन्हें फिर से चूल्हें पर ही भोजन बनाना पडता है। उनके अनुसार एक गैस सिलेण्डर 700

या 800 रू का आता है। तो इतने अधिक रूपयों की व्यवस्था करने में उन्हें समस्या होती है परन्तु मंगला जी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ रहा है।

मंगला जी

वैयक्तिक अध्ययन–2

नफीसा जहॉ, इनकी उम्र 47 वर्ष है। ये पढी–लिखी नही है और ये कढाई का काम करती है इनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है। तथा ये महीने में 5 से 6 हजार रूपये कमा लेती है। इन्होने बताया है कि इन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है। अब यह प्रतिदिन भोजन बनाने के लिये गैस चूल्हें का प्रयोग करती है इनके अनुसार उज्ज्वला योजना से इनका जीवन बेहतर हुआ है पहले इन्हें चूल्हें पर भोजन बनाने में अधिक समय के साथ–साथ, धुयें के कारण शारीरिक कष्ट भी अधिक होता था इन्होने बताया कि स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से उनके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुॅचा है। अब उन्हें भोजन बनाते समय खॉसी नही आती है। धुऑ नही लगता है पहले इन्हें चूल्हे पर भोजन बनाने के लिये लकडी व कण्डे खरीदने पडते थे। तथा इन्हें रखने की समस्या होती थी परन्तु गैस पर भोजन बनाने से इन्हें रोज–रोज की इस समस्या से मुक्ति मिल गयी है। तथा गैस पर भोजन बनाने से बर्तन काले नही होते है। जिसके कारण उन्हें साफ करने में समय भी कम लगता है तथा उनके हांथ काले व फटते नही है और साफ भी रहते है। उन्होने बताया कि अब वो गैस पर अपने परिवार की मन पसन्द का खाना बना कर उनको खिला पाती है। जिससे परिवार के सदस्य भी खुश रहते है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। जल्दी–जल्दी घर पर काम समाप्त कर। जिससे उन्हें पहले से ज्यादा समय मिल जाता है। और बचे हुए समय में अधिक कढाई का लेती है। यह जब मजदूरी करने को मिलती है तो वो मजदूरी कर लेती है। नही तो घर पर ही कढाई करती है। उन्होने बताया है कि सरकार की तरफ से शौचालय मिलने के कारण उन्हें अब बाहर भी नही जाना पडता हैं अब उनका जीवन स्तर और भी बेहतर हो गया है।

नफीसा जहॉ जी ने बताया कि अब उन्हें कही जाना होता है तो उन्हें परेशानी नही होती है क्योंकि बाहर से घर आकर गैस पर खाना बनाने में अधिक समस्या नही होती है। और मिलने आने वाले लोगों को चाय नाश्ता पूछने में समस्या नही होती है। इन्होने भी यह बताया है कि इस योजना से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। और उनका जीवन बेहतर हो रहा है।

नफीसा जहॉ

षष्ठम् अध्याय

उपकल्पना परिक्षण,निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध समस्या हेतु तीन उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया था। अध्याय चतुर्थ जो कि आंकडों के विश्लेषण पर आधरित है में जो तथ्य सामने आये हैं। वे परिकल्पना के सत्यापन की पुष्टि करते हैं। जो निम्न लिखित हैं–

शोध की प्रथम उपकल्पना थी कि **उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से लाभार्थियों के स्वास्थ्य–सुरक्षा एंव सशक्तीकरण पर केन्द्रित हैं।**

ग्रामीण लाभार्थी महिलाओं के उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले (एल.पी.जी)स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ संबधी तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं। 126 (98.43 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया हैं।कि उनके द्वारा स्वच्छ ईधन(एल.पी.जी) के प्रयोग से स्वस्थ्य को लाभ हुआ है तथा 1 (.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं बताया हैं। कि (एल.पी.जी)स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ के विषय में स्पष्ट रूप से पता नही है। एवम् केवल 1(.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें ने स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ के विषय में बताना नही चाहती हैं। जिससे स्पष्ट होता है। कि चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं के स्वास्थ्य में लाभ की पुष्टि होती है।

उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के गैस (एल.पी.जी) के प्रयोग के कारण जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर न जाने कारण सुरक्षित अनुभव करने वाले तालिका से स्पष्ट है। कि 98 (76.56 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं बताया कि स्वच्छ ईधन के प्रयोग से जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर न जाने के कारण वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। जबकि 3 (2.34 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि स्वच्छ ईधन के प्रयोग के कारण जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर नही जाना पडता है। फिर भी वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नही करती है। वही दूसरी ओर 27 (21.09

प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अपने सुरक्षा सबंधी अनुभव के विषय में बात नही करना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है। कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकाशः महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जबकि कुछ महिलाओं अपने सुरक्षा संबधी अनुभव बताना नहीं चाहती हैं। इसका कारण उनकी पारिवारिक व्यक्तिगत समस्यायें हो सकती है। एवम् कुछ लाभार्थी महिलाओं के अनुसार केवल जलावन के लिये बाहर न जाने के कारण ही महिलायें सुरक्षित नही हो सकती बल्कि और भी कई कारण हैं जिसके कारण महिलायें अपनें आप को सुरक्षित अनुभव नही करती है।

अतः चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें स्वास्थ्य लाभ तथा सुरक्षा संबधी आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट है। कि चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना, महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा एवम् सशाक्तीकरण पर केन्द्रित है। अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

शोध की द्वितीय उपकल्पना थी कि **चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न है।**

लाभार्थी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति संबधी तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। कि 97 (75.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे निरक्षर है। अर्थात पढी–लिखी नही हैं। जबकि 24 (18.75 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे साक्षर है।और मात्र 4(3.12 प्रतिशत्) महिलायें हाईस्कूल तक पढी है। अतः स्पष्ट हैं कि अधिकाश उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अनपढ है। जो साक्षर है। वे केवल अपना नाम लिखना या थोंडा बहुत पढना–लिखना जानती है। जो महिला लाभर्थी स्नातक है। वो (18–28) आयु वर्ग की है।

महिलायें की व्यावसायिक स्थिति का वर्गीकरण संबधी तालिका के अध्ययन से पता चलता है। कि 110 (85.93 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे गृहणी है। जबकि 8(6.25 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अन्य कार्य जैसे कढाई –बुनाई, मजदूरी करती है, 6(4.68 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे व्यवसाय करती है केवल 4(3.12 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें नौकरी करती है।

अतः स्पष्ट है।कि अधिकाशः उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें गृहणी है,जो लाभार्थी महिलायें व्यवसाय करती हैं उनके व्यवसाय छोटे स्तर के है,तथा अन्य कार्यो में लगी महिलायें मजदूरी या घर पर ही कढाई बुनाई का कार्य करती है।

लाभार्थी के परिवार की मासिक आय सम्बधी तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 96 (75 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 5 से 10 हजार के बीच है,तथा 15(11.7 प्रतिशत् 1) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 1 से 5 हजार है।जबकि 15(11.71 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 10 से 15 हजार के बीच है मात्र 2(1.56 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 15 से 20 हजार है। **अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है। कि अधिकांशः उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की पारिवारिक मासिक आय निम्न है।**

उज्ज्वला योजना लाभार्थीयों की जाति श्रेणी का **विश्लषण करने से स्पष्ट** होता है। कि सबसे अधिक संख्या 104(81.25 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे अनुसूचित जाति की हैं।तथा 21(16.40 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें पिछडा वर्ग की है। तथा 3(2.34 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलायें सामान्य वर्ग की है। अतः स्पष्ट है।कि चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न है। अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

तृतीय शोध उपकल्पना **चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तिगत एंव सामाजिक,आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया हैं।**

अध्ययन में तथ्यों के **विश्लेषण करने से स्पष्ट** होता है। कि चयनित पंचायतों की 98. 43 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के अनुसार उनके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। 67.18 प्रतिशत् महिलाओं के अनुसार गैस पर भोजन बनाने से बचे समय को उत्पादक कार्यो में लगाकर अब वे पहले से अधिक धन कमा लेती है,तथा वे सामाजिक कार्यो में सक्रिय भागीदारी कर पाने के कारण उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया हैं।

अतः चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के गुणात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है। अतः उपकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव से सम्बन्धित है। यह अध्ययन लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। चयनित पंचायतों से प्राप्त आकडों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है।

अध्ययन क्षेत्र की 37 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थी की आयु 38–48 के बीच है। एवं चयनित पंचायतों की 75.78 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी निरक्षर है और मात्र 1.56 प्रतिशत् लाभार्थी स्नातक स्तर तक पढी लिखी है। चयनित पंचायतों की लगभग 96 प्रतिशत् महिलाये विवाहित है तथा 85.93 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थी गृहणी है। केवल 3.12 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाये नौकरी करती है एवं लगभग 74 प्रतिशत् लाभार्थी एकांकी परिवार में रहती है एवं लगभग 50 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवार में 5 से अधिक सदस्य है। और 75 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवार की मासिक आय 5 से 10 हजार है। तथा केवल 1.56 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ऐसी है। जिनके परिवार की मासिक आय 15 से 20 हजार रुपये है चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना लाभार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत् (81.25 प्रतिशत्) अनुसूचित जाति की महिलाओं का है। अध्ययन क्षेत्र की लगभग 40 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के विषय में पूर्ण जानकारी रखती है। तथा 46 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने बताया है कि वे उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के विषय में आंशिक अर्थात् थोडी–बहुत जानकारी रखती है।

चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की सभी (100 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलाओं के घर में इस योजना के पूर्ण भोजन बनाने का स्त्रोत चूल्हा था एवं लगभग 93 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने बताया कि उनको भोजन बनाते समय क्या–क्या सुरक्षा उपायो को अपनाना चाहिए। उनको इसके विषय में पता है। अध्ययन क्षेत्र की 75

प्रतिशत् महिलाओं ने बनाया है कि वे प्रतिदिन भोजन बनाने में उज्ज्वला योजना से प्राप्त एल.पी.जी. गैस का उपयोग करती है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि उज्ज्वला योजना लाभार्थी गैस पर एक समय भोजन बनाती है। चयनित पंचायतों की 67.8 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना के कारण उनके जीवन स्तर में उनकी अपेक्षा के अनुसार सुधार हुआ है। अध्ययन क्षेत्र की 128 (100 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना से पूर्व उनका जीवन ज्यादा संघर्षपूर्ण था। सभी (100 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि एल.पी.जी. के द्वारा भोजन बनाने से उनके समय की बचत होती है। अध्ययन क्षेत्र की 35 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाए भोजन बनाने से बचे समय का उपयोग अपने परिवार व बच्चों के साथ अधिक समय बिताकर करती है। तथा 21.87 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाए एल.पी.जी. के द्वारा भोजन बनाने से बचे समय का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करती है।

चयनित पंचायतों की लगभग 77 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने अपने सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव के विषय में बताया कि वे गैस पर भोजन बनाने के कारण अब उनको जलावन (लकडियां, उपले, सूखी पत्तियां आदि) लेने के लिये घर से बाहर न जाने के कारण वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि चूल्हे की अपेक्षा भोजन बनाने में गैस अधिक सुविधाजनक है। चयनित पंचायतों की 62.5 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि एल.पी.जी. गैस भरवाने के लिये पैसो के प्रबन्धन में उन्हें परेशानी होती है। तथा 37.5 उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें एल.पी.जी. गैस भरवाने के लिये पैसो के प्रबन्धन में परेशानी नही होती है। चयनित पंचायतों की लगभग 98.43 उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग किया है।

उपरोक्त आकडों के विश्लेषण के आधार पर पता चलता है। कि चयनित पंचायतों की अधिकतर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें निरक्षर है। एवं अनुसूचित जाति की है। अधिकतर उज्ज्वला योजना लाभार्थियो की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठ भूमि निम्न

स्तर की है। एवं उज्ज्वला योजना सभी 128 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियो के घर में भोजन बनाने का स्त्रोत चूल्हा था। तथा अधिकांश उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस पर भोजन बनाने के कारण स्वास्थ्य को लाभ पहुॅचा है। तथा अधिकांश उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का जीवन सरल व बेहतर हुआ है।

सुझाव

उपरोक्त अध्ययन एवम् निष्कर्ष के आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते है भारत सरकार को उन उज्ज्वला योजना लाभार्थी जो अभी भी चूल्हें पर भोजन बनाती है। उनके लिये जागरूकता अभियान चलाने चाहिये तथा उन्हें चूल्हें पर भोजन बनाने के कारण शरीर को होने वाले नुकसान के विषय में बताना, जिससे वे अधिक से अधिक गैस (एल.पी.जी.) के प्रयोग के प्रतिजागरूक हो इसके लिये सरकार को योजना की लाभार्थियों को गैस कुछ सस्ती दामों पर उपलब्ध कराना चाहिये जिससे कि वे एल. पी.जी. के प्रयोग से अपने पर अधिक आर्थिक भार न महसूस करें। अधिकतर उज्ज्वला योजना लाभार्थी निम्न आर्थिक वाले व सामान्य आर्थिक स्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवार है। जिनके लिये प्रत्येक महीने 700 से 800 रुपये का सिलेण्डर भरवाना बहुत अधिक आर्थिक बोझ है। इस लिये सरकार को इनके लिये सिलेण्डर की कीमत को कम किया जाना चाहिये जिससे कि वो इसे खुशी–खुशी बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपना सके।

सन्दर्भ सूची

1 पाण्डेय, अनुराधा. (2010), "महिला सशक्तिकरण" इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, राजस्थान

2 केशव, चन्द्रा. (2011), "वूमैन लॉ एण्ड सोसायटी" आरती प्रकाशन, नई दिल्ली।

3 उपाध्याय, सौरभ. (2011), "महिला विकास एवं स्वरोजगार" इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, भारत

4 http:/www.PMUJJWALAyojana.in

5 http:/www.Mospi.gov.in/sites/defaultfiles/Reports and social statistics/chaker3pdf

6 देसाई, नीरा. (1957). "वूमैन इन मॉडर्न इण्डिया" वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिकेशन प्रा0लि0 बॉम्बे

7 माथुर, दीपा. (1997). "वूमैन फैमिली एण्ड वर्क" रावत पब्लिकेशन जयपुर

8 मजूमदार, आर.सी. माधावानंद. स्वामी. (1957). "ग्रेट वमेन इन इण्डिया"लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन कम्पनी,नई दिल्ली

9 मिश्रा, कविता. (2007). "इन्साइक्लोपीडिया ऑफ वूमेन" ओमेगा पब्लिकेशन वैलूम–2, नई दिल्ली।

10 सिंह, तेज. (2011). "अम्बेडकरवादी स्त्री चिंतन सामाजिक शोषण के खिलाफ आत्मवृत्तामक संघर्ष" स्वराज प्रकाशन 7/14 दरियागंज नई दिल्ली।

11 http:/www.Ohchr.org/HRBodies/Ruralwomen/Arundhati Bhattacharyapdf

12 शर्मा, कुमार सुरेन्द्र. (2010). "महिलाओं के अधिकारों के प्रति चेतना" आर. बी. पब्लिकेशन जयपुर

13 यादव, डॉ0 वीरेन्द्र. (2013). "नई सहशताब्दी का महिला सशक्तिकरणः अवधारणा चिंतन एवं सरोकार" ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली।

14 http://www.ncbi.nnlm.nihgov>arlicles

15 शर्मा, प्रेम नारायण. एवं विनायक, वीण.(2011). "शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण" भारत बुक सेण्टर 17, अशोक मार्ग, लखनऊ।

16 Central Statistics Office, Ministry of Statistics of Programme lmplementation 2011 "Women and Men in India" 13th issue-Government of India, New Delhi.

17 दुबे, श्यामचरण. (1963). "वूमेन एण्ड वूमैन रोल इन इण्डिया" वूमेन इन न्यू एशिया ब्रदर्स द वार्ड पेरिस युनेस्को

18 Parikh, Jyoti. Smith Kirk Smith and Laxmi, Vijay. " Indoor Air Pollution" A Reflection on Gender Bias Published by: Economic and Political weeklyvol-34 No.- 9 Feb., 27 March 5, 1999

19 Government of India Press Information Bureau Poverty Estimate for 2011-2012. New Delhi 22 July 2013

20 Uttar Pradesh, District Census Handbook Series-10 Part VII Lucknow Village and Town wise Primary Census Abstract Directorate of Census operations U.P.

21 "Annual Health Survey 2012-2013" fact sheet Uttar Pradesh Office of Registrar General & Census Commissioner, India Ministry of Home Affairs New Delhi.

22 सिविल सर्विसेज क्रानिकल जून 2018 पेज संख्या 691

23 https://www.whoindoorair/healthimpects

24 https://Petroleum.nic.in/site/default/PAHAL-pdf

25 https://www.google.co.in/maps/place/Sarosa+Bharosa+Uttarpradesh/@26.8

26 https://www.census2011.co.in/data/village/143435-sarosa-bharosa-uttar-pradesh.html

27 https://www.census2011.co.in/data/village/143381-salempur-uttar-pradesh.html

28 https://www.Google.co.in/search?q=lucknow+map&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=OahUKEwil8ceLIKHCAhVNXCsKHdocBAw8Q_AUICygC&biw=1511&bin=735#imgrc=RRObqOZGcJ9JYM

29 WHO(2009)Public Health and the environment, (WHO Geneva Summit WHO)

30 Mazumdar, Vina. (1979). `Rural Women in India` Published by: Population Council vol. 10, No. 11/12 pp 353-358Appleton

31 Barua Samir kumar,Agarwalla kumar Sobhesh(2018) “Lighting up Live through cooking Gas and transforming Socirty”Indian Institute of Management Ahamedabad India.

32 Report of the High level Committee on “The Status of Women in India”(june 2015) ,Minisitry of Women and Child Development,New Delhi.

33 Duflo, Michael.Green, stone. and Hanna, Rema. (2008) “Indoor Air Pollution and Respiratory Health in Rural Orissa” Publised by: Economic and Political weekly vol-43 pp 71-76.

34 Misra,Jugal kishore. (2006) “ Empowerment of Women India” Publised by: Economic and Political weekly vol-67 pp 867-878.

35 Kumari. Harshika,Chandra.Avinash,Kaushik S C (2014) “ Comparative Study on Emissions from Traditional and Improved Biomass Cookstove Used in India” International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology vol-2,Issue VIII

36 “Pradhan Mantri Ujjwala Yojana” (2016),A Handbook.Volume-1.0 Ministry of Petroleum& Natural Gas, Govermennt of India.

37 Vatsala, L.Jamuna, Prakash. and Prabhavathi ,S. N.(2017),Journal of Food vol- 1, no-2:10 imed pub Journals.

38- Esmen A Nurtan(1985) “The Status of Indoor Air Pollution" Enviroment Health Perspective vol.62 pp259-265 Published by : The National Institute of Envirnment Health Science.

39- National Institution for Transforming India Aayog o/o Register General of India, Cited in National Health Profile

2018, 13th Issue, CBHI, Ministry Health & Family Welfare, Government of India.

40- Brendon .R.Barnes (2005), "Intervention to Reduce child Exposure to Air Pollution in Developing Countries": Behavioral Opportunities and Research Needs,Children Youth and Environmemt vol-15, no-1,pp 67-82 Publised by : University of Cincinnati.

41- kishwar,Madhu.(2006),"Women`S Marginal Role in Politics

42- http://www.census 2011

43- https://www.ijtrd.com

44- Lok Sabha Unstarred question no-2706 answeard 14th March 2016

45- https://www The Hindu businessline.com

एम,फिल शोध अध्ययन

साक्षात्कार अनुसूची

मन्जू सिंह (शोधार्थी)

समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार रायबरेली रोड लखनऊ उ0 प्र0

शोध विषय : "उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव : लखनऊ जिले के चयनित पंचायतो का एक अध्ययन"

(अ)

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी

1:– नाम (वैकल्पिक):

2:–आयु:– (1) 18–28 ☐ (2) 28–38 ☐ (3) 38–48 ☐

(4) 48–58 ☐ (5) 58– अधिक ☐

3:–शिक्षा.–का स्तर :–

(1) साक्षर ☐ (2) निरक्षर ☐ (3) हाईस्कूल ☐

(4) इण्टरमीडिएट ☐ (5) स्नातक ☐ (6) स्नाकोत्तर ☐

4:–वैवाहिक स्थिति :–

(1) विवाहित ☐ (2) अविवाहित ☐ (3) अन्य ☐

5:–व्यवसाय:–

(1) नौकरी ☐ (2) गृहणी ☐ (3) व्यवसाय ☐

(4) अन्य ☐

6:–परिवार की संरचनाः–

(1) एंकाकी परिवार ☐ (2) संयुक्त परिवार ☐

(3) विस्तृत परिवार ☐

7:– परिवार में सदस्यों की संख्याः–

(1) 1से 3 ☐ (2) 3 से 5 ☐ (3) 5 से अधिक ☐

8:– परिवार की मासिक आय (हजार रू 0):–

(1) 1 से 5 हजार ☐ (2) 5 से 10 हजार ☐

(3) 10 से 15 हजार ☐ (4) 15 से 20 हजार ☐

9:–जाति श्रेणीः–

(1) सामान्य वर्ग ☐ (2) पिछडा वर्ग ☐

(3) अनुः जाति ☐ (4) अनु : जन जाति ☐

10:– धर्म :–

(1) हिन्दू ☐ (2) मुस्लिम ☐

(3) सिक्ख ☐ (4) अन्य ☐

(ब) शोध समस्या से संबधित प्रश्न

11:– क्या आप को योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में जानकारी हैं?

(1) पूर्णरुप से जानकारी ☐ (2) बिल्कुल नहीं ☐

(3) आन्शिक जानकारी ☐

12 :–उज्ज्वला योजना से पहले आप के घर में भोजन बनाने का स्त्रोत क्या था?

(1) एल, पी, जी ☐ (2) चूल्हा ☐ (3) यदि; अन्य तो बतायें ☐

13:– क्या आप को गैस से भोजन बनाते समय प्रयुर्क्त सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐

14:– क्या आप प्रतिदिन भोजन बनानें में उज्ज्वला योजना से प्राप्त एल,पी,जी का प्रयोग करती हैं?

(1) प्रतिदिन ☐ (2) कभी– कभी ☐

15:– क्या उज्ज्वला योजना से आप के जीवन स्तर में सुधार हो रहा हैं?

(1) अपेक्षित ☐ (2) थोड़ा ☐ (3) बिल्कुल नहीं ☐

(4) पता नहीं ☐ (5) यदि; अन्य; बतायें ☐

16:– उज्ज्वला योजना आने से पूर्व आप का जीवन कैसा था?

(1) अपेक्षाकृत वर्तमान समय से ज्यादा संघ़र्षपूर्ण । ☐

(2) अपेक्षाकृत वर्तमान समय से कम संघर्षपूर्ण। ☐

(3) बिल्कुल संघर्षपूर्ण नहीं। ☐

(4) बता नहीं सकते। ☐

17:– उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस कनेक्शन के प्रयोग से क्या आप के समय की बचत हो रही हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐

18:– यदि हाँ ;तो आप भोजन बनाने में बचे समय का उपयोग कैसे करती हैं?

(1) बच्चों को पढ़ा कर। ☐ (2) कोई अन्य व्यवसाय करके। ☐

(3) बच्चों व परिवार के साथ अधिक समय बिता कर। ☐

(4) अपने आप का ध्यान रखने में । ☐

(5) यदि अन्य; बतायें। ☐

19:– स्वच्छ ईधन के प्रयोग से आप के स्वास्थ्य को लाभ पहुचाँ हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ (3) पता नहीं ☐

(4) बताना नहीं चाहती । ☐

20:– स्वच्छ ईधन के प्रयोग के कारण आप को ईधन के लिये घर से बाहर नहीं जाना पड़ता हैं जिससे आप अपनें को सुरक्षित अनुभव करती हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ (3) बताना नहीं चाहती ☐

21:– उज्ज्वला योजना से प्राप्त एल,पी,जी सिलेंडर प्राप्त करने में कोई असुविधा होती है?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ (3) कभी– कभी ☐

22:– क्या आप को सिलेंडर समय से प्राप्त हो जाता हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ यदि नहीं: तो क्यों:– ☐

23:– आप को भोजन बनाने में क्या अधिक सुविधाजनक लगता हैं?

(1) गैस ☐ (2) चूल्हा ☐

24:– क्या आप को प्रत्येक महीने उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस कनेक्शन का सिलेंडर भरवाने के लिये पैसो का प्रबन्ध आसानी से हो जाता हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ यदि; नहीं. तो क्यो:– ☐

25:– उज्ज्वला योजना ने आप के जीवन को बेहतर बनाने मे सहयोग किया हैं?

(1) हाँ ☐ (2) नहीं ☐ (3) पता नहीं ☐

(4) उत्तर देना नहीं चाहती ☐

26:– यदि; हाँ तो उज्ज्वला योजना से आप के व्यक्तिगत जीवन में क्या परिर्वन आया हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

27:– यदि ; हाँ तो आप के पारिवारिक जीवन में क्या परिर्वतन आया हैं?

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

28:– यदि; हाँ तो आप के आर्थिक जीवन में क्या परिर्वतन आया हैं?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

29:– यदि ; हाँ तो आप के सामाजिक जीवन में क्या परिर्वतन आया हैं।

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

30:– आप के अनुसार क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिर्वतन लाकर , उनको एक बेहतर जीवन प्रदान करने में सफल हो पा रही हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

31:– आप की राय में उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप को और क्या–2 लाभ व सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रपत्र वर्सन 2.0 (आईओसी / बीपीसी /एचपीसी)

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन

(काली स्याही द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है । सभी फील्ड भरना अनिवार्य हैं ।)

अपनी तस्वीर यहां चिपकाएं

उपभोक्ता विवरण

a)	आवेदक का नाम सुश्री / श्रीमती	b)	जन्म तिथि
1	प्रथम नाम	D D M M Y Y	
2	मध्य नाम		
3	अंतिम नाम		

b) रसोई गैस कनेक्शन के लिए पता / संपर्क जानकारी

1	पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड* P O A	लैंडलाइन (एसटीडी कोड सहित)	/
2	घर / फ्लैट # का नाम	तल सं.	
3	आवास परिसर / भवन	लैंड मार्क	
4	गली/सड़क का नाम	क्षेत्र/डाक घर का नाम	
5	शहर / कस्बा	पिन कोड	
6	गांव / पंचायत	मोबाइल नंबर	
7	ब्लॉक / उप जिला	ईमेल ID	@
8	जिला		
9	राज्य		

c) 18 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्यों का विवरण (साझी रसोई वाले एक आवासीय इकाई में एक साथ रहने वाले लोग)

क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम (प्रथम नाम, अंतिम नाम)	आधार संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	लिंग (M/F)
1				
2				
3				
4				
5				

पहल' में शामिल होने संबंधी विवरण

c)	*मेरा आधार कार्ड विवरण* (*आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें*)	
1	आधार कार्ड में नाम	
2	आधार संख्या	

d)	*मेरे बैंक खाते का विवरण* (*पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें, जिस पर खाताधारक का नाम/खाता सं. व आईएफएससी कोड लिखा हो*)	
1	बैंक खाते में नाम	
2	बैंक का नाम	
3	शाखा का नाम	
4	आईएफएससी कोड	
5	बैंक खाता संख्या	

राशन कार्ड विवरण (राशन कार्ड की प्रति संलग्न करें)

1	जारीकर्ता राज्य	
2	राशन कार्ड संख्या	

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के विवरण

a) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित महिलाओं को नि: शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं ।

b) यह योजना सिलिंडर, प्रेशर रेगुलेटर की सुरक्षा जमा लागत, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी), सुरक्षा होज़ तथा स्थापना व प्रशासनिक प्रभार की लागत को कवर करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

c) ओएमसी के पास उपलब्ध बीपीएल जनसंख्या की अधिकृत सूची से इस केवाईसी फार्म में प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।

d) आपके घर पर पीडीएस एलपीजी कनेक्शन न होने की पुष्टि तथा सफल सत्यापन पर आपको लागू नियम एवं शर्तों के अधीन रसोई गैस कनेक्शनजारी किया जाएगा ।

पीओए दस्तावेजों की सूची

आधार कार्ड (यूआईडी): -पीओए**01**
ड्राइविंग लाइसेंस: -पीओए**02**
लीज करार: - पीओए**03**
मतदाता पहचान पत्र: - पीओए**04**
टेलीफोन / बिजली / पानी के बिल: - पीओए**05**
पासपोर्ट: - पीओए**06**
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा: - पीओए **07**
राशन कार्ड: - पीओए **08**
फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा पत्र: - पीओए **09**
आवास पंजीकरण दस्तावेज: - पीओए**0**
एलआईसी पालिसी: -पीओए**11**
बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट: - पीओए**12**

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स / बॉक्सों को टिक करें)			
1	वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	☐ 14.2 किलो सिलेंडर	☐ 5 किलो सिलेंडर
2	क्या आपको वितरक से एलपीजी स्टोव चाहिए (हां या नहीं)	☐ हां	☐ नहीं

प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं ______________________________पुत्री/पत्नी __________ उम्र _______ वर्ष, निवासी____ अपने नाम रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहता हूँ तथा शपथ करता हूँ कि :-

a) *मैं यहाँ पुष्टि करता हूँ कि, इस प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मुझे मालूम है कि यदि कोई सूचना झूठी है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है ।*

b) *मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपीएवंएनजी को मेरे बैंक खाते के बंद/परिवर्तन/निष्क्रियण /बैंक NACH में नहीं या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या जानकारी की गैर-गोपनीयता के कारण सब्सिडी प्रदान करने में किसी भी देरी/गैर प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा.*

c) *उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूँगा ।*

d) *मैं अपने आधार नं/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाता विवरण को अद्यतन तथा आपस में एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों हेतु साझा करने के लिए अपनी तेल कंपनी / बैंक को प्राधिकृत करता हूं ।*

e) *एलपीजी के आपूर्ति तथा वितरण संबंधी सरकारी विनियमों के उल्लंघन पर आईओसी/एचपीसी/बीपीसी को मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने, सुरक्षा राशि जब्त करने तथा नियम एवं दिशानिर्देशों के अनुसार दंड प्रभार लगाने तथा प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अपना अधिकार होगा.*

f) *मैं भारत का नागरिक / अप्रवासी भारतीय / भारत में सेवारत विदेशी नागरिकता का कर्मचारी / वैध वीसा के तहत भारत में निवास कर रहा विदेशी नागरिक / निवास स्थानांतरण / पीआईओ पर भारत वापस लौट रहा व्यक्ति हूं । *जो लागू हो उसे टिक करें । केवल भारतीय नागरिक ही रियायती एलपीजी हेतु पात्र हैं।*

g) *कि मेरी जन्म तिथि ______________ है । (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है)*

h) *कि मेरे या मेरे परिवार (परिवार का अर्थ पति, पत्नी, अविवाहित बच्चों तथा आश्रित माता-पिता से है जो एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं) के किसी सदस्य के पास घरेलू उपयोग हेतु किसी भी पीएसयू तेल कंपनी का कोई एलपीजी अथवा पीएनजी कनेक्शन नहीं है । (परिवार, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, वे रियायती एलपीजी हेतु पात्र नहीं हैं।)*

i) *मैं पुष्टि करता हूं कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग ऊपर उल्लिखित मेरे पते पर घर में केवल खाना बनाने हेतु किया जाएगा तथा मैं इसके उपयोग पर लागू सभी शर्तों से बाध्य रहूंगा ।*

j) *कि मैं उसी रसोई में कोई दूसरा एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रखूंगा ।*

k) *जब भी मुझे इस कनेक्शन पर दूसरा सिलिंडर मिलेगा, मैं इसका उसी रसोई में मूल संस्थापन के साथ उपयोग करूंगा ।*

l) *जब भी मैं अपना निवास वर्तमान पते से अन्य जगह बदलूंगा, मैं मेसर्स ---------------------------------- (वितरक / आरजीजीएलवी का नाम) को रिकार्ड में अपने पते में परिवर्तन करने हेतु लिखित रूप में अग्रिम सूचित करूंगा ।*

m) *मुझे पता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त घोषणा पत्र तथा अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) फार्म में दी गई जानकारी, निवास प्रमाण तथा पहचान प्रमाण के आधार पर घरेलू सब्सिडीयुक्त गैस कनेक्शन जो कि मुझे मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा जारी किया जाएगा तथा मेरे नाम या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम किसी भी सरकारी तेल कंपनी का घरेलू सब्सिडीयुक्तक गैस कनेक्शन होने की डी-डुप्लीकेशन जांच पूरी होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा ।*

n) *यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना / घोषणा, केवाईसी फार्म अथवा निवास / पहचान प्रमाण के लिए दिए गए दस्तावेज गलत/असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित तेल कंपनी को गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जब्त करने/सिक्योरिटी जब्त करने का पूरा अधिकार होगा तथा मैं इस प्रकार गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जब्त करने/सिक्योरिटी जब्त करने के विरुद्ध मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर कोई दावा नहीं करूंगा ।*

तिथि :-____________________ *घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर*

स्थान :-____________________ *नाम :-_________________________*

डीलर/वितरक द्वारा भरा जाए

मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियों को उनकी मूल प्रति से सत्यापित कर लिया गया हैं ।

एएचएल टिन नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है)

एलपीजी आईडी (यदि आवंटित हो) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

वितरक के हस्ताक्षर

पावती पर्ची

(नाम) ________________________________ स्थान ________________________________ से उज्ज्वला आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया गया ।

एएचएल टिन नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है)(

दिनांक: वितरक के हस्ताक्षर व मुहर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

रिफिल/ एलपीजी स्टोव को ऋण पर लेने हेतु शपथ

(बड़े अक्षरों के साथ काली स्याही में भरा जाए । सभी फील्ड्स अनिवार्य हैं)

उपभोक्ता विवरण

आवेदक का नाम कु./श्रीमती

1	**प्रथम नाम**																												
2	**मध्य नाम**																												
3	**अंतिम नाम**																												

एएचएल टिन नंबर																													

(एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है)

ऋण की आवश्यकता (उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें)		स्टोव		रिफिल		दोनों

प्रिय एलपीजी वितरक,

*मैं*_____*पुत्री/पत्नी श्री* _____ *उम्र* _____*वर्ष, निवासी* _____ *एलपीजी स्टोव/पहली रिफिल/दोनों को ई एम आई के विकल्प द्वारा लेना चाहती हूँ । इस संबंध में अलग से के वाई सी फॉर्म संलग्न है तथा वचनबद्ध हूँ कि:-*

a) *मैं यहाँ घोषणा करती हूँ की कि मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और एलपीजी स्टोव / रिफिल खरीदने में असमर्थ हूँ इसलिए एलपीजी स्टोव /पहली रिफिल / दोनों को ई एम आई आधार पर ऋण पर लेने के लिए मेरे द्वारा अनुरोध किया गया है ।*

b) *ओएमसी से एलपीजी स्टोव तथा पहली रिफिल ऋण पर खरीदी जाती है तो मैं अपनी ओएमसी को मेरे द्वारा ली गई रिफिल की सब्सिडी से ऋण राशि वसूलने के लिए प्राधिकृत करता हूं । मुझे पूर्ण ज्ञात है कि मेरे बैंक खाते में मेरे द्वारा ख़रीदे गए रिफिल की सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ओएमसी द्वारा पूरी ऋण राशि वसूली नहीं जाती ।*

c) *मैं यहाँ पुष्टि करता हूँ कि, इस प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मुझे मालूम है कि यदि कोई सूचना झूठी है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है ।*

*तिथि :-*_____ *घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर*

*स्थान :-*_____ *नाम :-*_____

गृहस्थी का विवरण

जिला : **Lucknow** ब्लाक : **KAKORI** ग्राम पंचायत : **SAROSA BHAROSA**

दुकानदार का नाम : **PRATAP NARAYAN AWASTHI** दुकान संख्या : **100100300020** कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

(11/05/2018 समय: 02:55 AM तक की स्थिति)

क्र.	टाइप राशन कार्ड संख्या	धारक का नाम	पिता/पति का नाम	माता का नाम	कुल यूनिट	पात्रता सूची में शामिल करने की तिथि
1.	215720270394	सीता देवी	छेदी लाल	श्यामा	6	31/08/2015
2.	215720270403	माया देवी	राम कुमार	मखाना	5	31/08/2015
3.	215720270411	सावित्री	जंगली	कलावती	6	31/08/2015
4.	15720270417	बिब्बो	स्व सुलेमान	खैरुन निशा	5	31/08/2015
5.	215720270425	विशुन देई	राम कुमार	छेदाना	6	31/08/2015
6.	215720270435	उर्मिला	राम दास	मुन्नी	4	31/08/2015
7.	215720270438	राम बेटी	स्व सुरेश	मैका	6	31/08/2015
8.	215720270444	रूप रानी	स्व राम आसरे	श्यामा	5	31/08/2015
9.	15720270450	अनीता	बच्चू लाल	जग्राना	5	31/08/2015
10.	215720270457	फूलमती	सुरेश कुमार	कमला	6	31/08/2015
11.	215720270459	प्रेमा	प्रदीप कुमार	रामा	6	31/08/2015
12.	215720270464	श्रीमती किरन देवी	दुलारे	दुलारा	2	31/08/2015
13.	215720270491	सरजू देई	राम गुलाम	धना	4	31/08/2015
14.	15720270497	रामरती	कैलाश	शिवानी	4	31/08/2015
15.	215720270504	सुनीता	जगनू	कविता	3	31/08/2015
16.	215720271434	राज रानी	बैज नाथ	बुधना	6	31/08/2015
17.	215720271455	मीना कुमारी	स्व जंगली	श्यामा	1	31/08/2015
18.	215720271472	सुशीला देवी	तुलसी राम	माता	5	31/08/2015
19.	15720271496	राम शंकर	कादिले	रजना	6	31/08/2015
20.	215720271511	रूप रानी	प्रेम कुमार	अम्मा	7	31/08/2015
21.	215720271526	सरीना	नवी शेर खान	माता	5	31/08/2015
22.	215720271530	राधा	रमेश कुमार	मुन्नी	4	31/08/2015
23.	215720271542	विजय कुमार	राम असारे	मुन्नी	1	31/08/2015
24.	5720271551	श्रीमती किशन	नन्द किशोर	सरजू देई	4	31/08/2015
25.	215720271552	महलाब	गुड्डू	समीम	6	31/08/2015
26.	215720271565	परवीन कुमार	कल्लू	मुन्नी	1	31/08/2015
27.	215720271566	नत्थू लाल	स्व जगन	सरायन देइ	1	31/08/2015
28.	215720271572	संगीता	राजकुमार	मुन्नी	6	31/08/2015
29.	572021583	राम काली	संदर	सारधा	5	31/08/2015
30.	215720271585	श्रीपाल	सूपक	अम्माँ	1	31/08/2015
31.	215720271590	कमला	राम लखन	मुन्नी	6	31/08/2015

32.	215720271602	प्रेम कुमार	नन्द लाल	रामरती माता	1	31/08/2015
33.	215720271605	सन्ति	रामनाथ	मुन्नी	4	31/08/2015
34.	215720271613	फूलमती	विश्वनाथ	मुन्नी	6	31/08/2015
35.	215720271615	छोटे लाल	रूपन	छेदना	1	31/08/2015
36.	215720271620	चंदा	राम पल	सीता वती	7	31/08/2015
37.	215720271628	शिवरानी	स्व मुन्ना लाल	माता	1	31/08/2015
38.	215720271629	चन्दावती	राम चन्दर	मुन्नी	8	31/08/2015
39.	215720271633	राम दुलारी	शंकर लाल	सवितारी	6	31/08/2015
40.	215720271634	ठाकुर प्रसाद	भरोसे लाल	अम्माँ	1	31/08/2015
41.	215720271642	सुशीला	सुशील कुमार	मुन्नी	5	31/08/2015
42.	215720271643	समप्ता देवी	ख्याली राम	विनीता	5	31/08/2015
43.	215720271646	रानी	उमा शंकर	माता	2	31/08/2015
44.	215720271657	शांतिदेवी	रामरतन	मुन्नी	10	31/08/2015
45.	215720271659	राम कुमारी	दरोगा	विनीता	4	31/08/2015
46.	215720271661	शिवकुंती	स्व विमल कुमार	अम्माँ	6	31/08/2015
47.	215720271672	उषा	श्रवण कुमार	रीता	4	31/08/2015
48.	215720271675	शिव काली	शिवनारायण	मुन्नी	5	31/08/2015
49.	215720271679	शांति	राम जियावन	रीता	5	31/08/2015
50.	215720271689	नीलम	लवकुश	लक्छमी	4	31/08/2015
51.	215720271691	रामदेवी	राम कुमार	मुन्नी	7	31/08/2015
52.	215720271692	केतकी	राम जीवन	माता	6	31/08/2015
53.	215720271699	राम जानकी	बुद्धि लाल	रीता	6	31/08/2015
54.	215720271708	उर्मिला	रामासरे	मुन्नी	4	31/08/2015
55.	215720271712	चन्द्र वाली	मैकू लाल	सीता देवी	5	31/08/2015
56.	215720271721	श्रीमती पान	मिठाई लाल	रीता	7	31/08/2015
57.	215720271728	चंपा देवी	रामचन्द्र	मुन्नी	3	31/08/2015
58.	215720271731	राज पति	रज्जन लाल	सीता देवी	5	31/08/2015
59.	215720271738	श्री माटी	राजू	मुन्नी	3	31/08/2015
60.	215720271739	जय देवी	नन्हकऊ	विनीता देवी	7	31/08/2015
61.	215720271745	शांति	मंगल प्रसाद	मुन्नी	5	31/08/2015
62.	215720271746	फूलमती	पप्पू	एरिना	6	31/08/2015
63.	215720271753	विनोद कुमारी	विरोज कुमार	रीता	8	31/08/2015
64.	215720271758	सविता	मंगलू	मुन्नी	7	31/08/2015
65.	215720271766	रामकली	राजू	रीता	5	31/08/2015
66.	215720271770	शुभानि	राजीवन लाल	मुन्नी	7	31/08/2015
67.	215720271777	इतवारी	नन्हे	रीता	1	31/08/2015
68.	215720271779	प्रेमा	नन्हके	रीता	7	31/08/2015
69.	215720271783	नाजिम	इमरान	मुन्नी	7	31/08/2015
70.	215720271790	रूकाशना	साबित अली	रेत	7	31/08/2015
71.	215720271797	शाहजहाँ	नन्नू खान	समीम	7	31/08/2015
72.	215720271811	मुन्नी	कल्लू	रीता	6	31/08/2015
73.	215720271814	सावित्री	रामचन्द्र	मुन्नी	6	31/08/2015
74.	215720271817	माया देवी	रमेश	रीता	6	31/08/2015

75.	215720271824	माया	संजय	रीता	4	31/08/2015
76.	215720271825	कैलाशा	छत्ते लाल	मुन्नी	6	31/08/2015
77.	215720271834	केतकी	राजेश कुमार	मुन्नी	6	31/08/2015
78.	[illegible]5720271836	भगवंडी	प्रेम	मुन्नी	5	31/08/2015
79.	215720271839	मधुरीदेवी	मधु प्रसाद	मुन्नी	4	31/08/2015
80.	215720271840	मुन्नी देवी	कटीले	मुन्नी	8	31/08/2015
81.	215720271841	सरला देवी	रामबाबू	मुन्नी	4	31/08/2015
82.	215720271842	रामेश्वरी	पुन्ति लाल	मुन्नी	5	31/08/2015
83.	[illegible]5720271843	सुमन	सरोज कुमार	मुन्नी	5	31/08/2015
84.	215720271844	मुन्नीदेवी	उमेश	मुन्नी	8	31/08/2015
85.	215720271845	रामेश्वरी	श्री राम	मुन्नी	9	31/08/2015
86.	215720271846	प्रेम कुमारी	मुरलीधर	मुन्नी	4	31/08/2015
87.	215720271865	प्रेमा	चन्द्रिका प्रसाद	शिवानी	10	31/08/2015
88.	[illegible]5720277898	मंगला	सरोज कुमार	लक्ष्मी	4	31/08/2015
89.	215720277899	सनो	समसेर अली	रजिया	4	31/08/2015
90.	215720277900	चंदा देवी	स्व महावीर	स्व महाराणा	3	31/08/2015
91.	215720277901	मोहम्मदी	मोहम्मद हुसैन	सरोजा	3	31/08/2015
92.	215720277902	रामरती	मातादीन	स्व इन्द्राणी	1	31/08/2015
93.	[illegible]5720277903	रूपरानी	स्व छेदालाल	स्व फूलमती	5	31/08/2015
94.	215720277904	महादेयी	चुन्नी लाल	सतना	3	31/08/2015
95.	215720277905	संतोष कुमारी	राम पाल	केशन	4	31/08/2015
96.	215720277906	सरोजनी देवी	इस्वरदीन	कमला देवी	3	31/08/2015
97.	215720277907	राजेश्वरी	रामलोक	मुन्नी	7	31/08/2015
98.	[illegible]5720277908	राजकुमारी	तुलाराम	रौशनी	3	31/08/2015
99.	[illegible]15720277909	सितारा	चन्दन	चौहान	3	31/08/2015
100.	215720277910	अनीता	लालाराम	अनीता	4	31/08/2015
101.	215720277911	सन्नो	सुनील	मुन्नी	1	31/08/2015
102.	215720277912	सरोजनी	राजेश	शांति	4	31/08/2015
103.	[illegible]57202[illegible]7913	सुशीला	श्यामलाल	रामजानकी	4	31/08/2015
104.	[illegible]15720277914	उमाशंकर	स्व रामचन्दर	स्व लक्ष्मी	1	31/08/2015
105.	215720277916	विद्यावती	भूखा	सुखरानी	3	31/08/2015

गृहस्थी का विवरण

जिला : Lucknow ब्लाक : KAKORI ग्राम पंचायत : SALEMPUR PATOURA

दुकानदार का नाम : GANGA PRASAD दुकान संख्या : 100100300084 कार्ड का प्रकार : अन्त्योदय

(11/05/2018 समय: 02:55 AM तक की स्थिति)

क्र.	डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या	धारक का नाम	पिता/पति का नाम	माता का नाम	कुल यूनिट	पात्रता सूची में शामिल करने की तिथि
1.	2[illegible]72011[illegible]829	नफीसा जहाँ	मो पप्पू	सजिकुन निशा	5	31/08/2015
2.	2[illegible]5720112830	निशा	सत्तार	जीनत	4	31/08/2015
3.	215720112831	श्रीमती	महादेव	तारावती	3	31/08/2015
4.	215720112832	क्रान्ति देवी	गंगा	कतलो	5	31/08/2015
5.	215720112833	लीलावती	राजकुमार	गंगादेई	5	31/08/2015
6.	2[illegible]72011[illegible]834	पुत्तीलाल	रामचरन	रामा देवी	1	31/08/2015
7.	2[illegible]5720112835	कैलाशपति	नोखे लाल	मुन्नी	5	31/08/2015
8.	215720112836	सकीना	शफी	मालती यादव	5	31/08/2015
9.	215720112837	चंद्रवती	राम औतार	लक्ष्मी	8	31/08/2015
10.	215720112838	तारावती	हरिश्चन्द्र	जगरना	5	31/08/2015
11.	2[illegible]72011[illegible]839	पप्पी	पप्पू	शिवरानी	6	31/08/2015
12.	2[illegible]5720112840	दयावती	राम खेलावन	सुंदरा	5	31/08/2015
13.	215720112841	विमला रावत	बैजनाथ रावत	फुलदुलरी	10	31/08/2015
14.	215720112842	फूलमती	धर्मेंद्र कुमार	दुलारा	4	31/08/2015
15.	215720112843	विंद्रवती	विष्णु नारायन	राजेश्वरी	6	31/08/2015
16.	2[illegible]72011[illegible]844	मालती	माता प्रसाद	महादेई	7	31/08/2015
17.	2[illegible]5720112845	आश गौतम	रामशंकर	आशा	6	31/08/2015
18.	215720112846	राजाराम	छोट्टी लाल	मीरा देवी	2	31/08/2015
19.	215720112847	विद्यावती	रामचन्दर	गुड्डी	4	31/08/2015
20.	215720112848	सुन्दारा	स्व दुलारे	स्व गंगा देवी	4	31/08/2015
21.	2[illegible]72011[illegible]849	गीता	कलिका प्रसाद	श्याम देयी	6	31/08/2015
22.	2[illegible]5720112850	गुड्डी	शत्रोहन लाल	राजरानी	6	31/08/2015
23.	215720112851	बेलावती	गेंदालाल	दुर्गा	7	31/08/2015
24.	215720112852	बिट्टी यादव	बाबू लाल यादव	ब्रम्हावती यादव	7	31/08/2015
25.	215720112853	महेश्वरी	लक्ष्मी नरायन	जगरानी	4	31/08/2015
26.	21[illegible]72011[illegible]854	रामकुमारी	गरीबे	गंगा देयी	3	31/08/2015
27.	2[illegible]5720112855	रूपरानी	कालीदीन	श्रीमती माता	5	31/08/2015
28.	215720112856	मीरा देवी	छोटेलाल	मुला	6	31/08/2015
29.	215720112857	कल्लो	जयकरन	श्रीमती माता	5	31/08/2015
30.	215720112858	परीना	शिवराज	मौलाना	5	31/08/2015
31.	21[illegible]72011[illegible]859	आशा रानी	लक्ष्मन प्रसाद	मंगला	6	31/08/2015

32.	215720112860	अनिशा खातून	नफीश	सफिकुं निशा	6	31/08/2015